



ई-निविदा के लिए सूचना [एनआईटी]

ई-निविदा संख्या: **RBI/Bhubaneswar Regional Office/Estate/33/25-26/ET/682**

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (MOP) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओडिशा की तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाओं (IFMS) के अनुबंध के लिए **ई-टेंडरिंग** प्रक्रिया द्वारा दो भागों में ऑनलाइन निविदा आमंत्रित किए जाते हैं। यह कार्य **1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक** के लिए अनुमानित लागत लगभग **₹4,06,00,000/-** (सभी कर सहित) है। यह अनुबंध विक्रेता द्वारा संतोषजनक कार्यनिष्पादन और निविदा की शर्तों और शर्तों का पालन करने पर और वित्तीय वर्ष 2027-28 और 2028-29 के लिए बैंक की एकमात्र विवेकाधिकार पर दो अतिरिक्त वर्षों (एक वर्ष के लिए) के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

2. सभी बोलीदाताओं के लिए ऑनलाइन निविदा **08 दिसंबर 2025 को 18:00 बजे से** देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे। जो बोलीदाता भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के साथ ईएमडी (बयाना जमाराशि) प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन पर भाग-I निविदा के खुलने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। जो बोलीदाता तकनीकी मूल्यांकन में पात्रता मानदंडों का पालन नहीं करते हैं, उन पर उनके भाग-II (मूल्य बोली) निविदा के खुलने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3. एनईएफटी (प्रमाण के साथ) द्वारा जमा किया गया ईएमडी का विवरण ईमेल – estatebhubaneswar@rbi.org.in के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह **12 जनवरी 2026 को 14:00 बजे तक** हमें प्राप्त हो जाना चाहिए।

4. पात्रता मानदंडों से संबंधित सभी दस्तावेजों को MSTC साइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा बोली खुलने की तारीख के बाद इन्हें डाउनलोड करके जांच की जाएगी।

5. इच्छुक बोलीदाताओं के लिए एक बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन मोड) **30 दिसंबर 2025 को 11:00 बजे** आरबीआई, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी।

6. बैंक निविदाकर्ता के पिछले कार्यनिष्पादन के बारे में उसके ग्राहकों और बैंकरों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक भाग-II (मूल्य बोली) के खुलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि कोई निविदाकर्ता

किसी भी समय टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं रखता है और/या उसके ग्राहकों और/या बैंकरों से प्राप्त कार्यनिष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक को भाग-I के खुलने के बाद भी उसका प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई भी कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

7. निविदा का भाग-II **12 जनवरी 2026 को 16:00 बजे** ऑनलाइन खोला जाएगा। पात्र/योग्य बोलीदाताओं के भाग-II (मूल्य बोली) को एक बाद की तारीख पर खोला जाएगा जो पहले से सूचित की जाएगी।

8. भविष्य में जारी किए जाने वाले निविदा में किसी भी संशोधन / सुधार की सूचना केवल आरबीआई वेबसाइट और MSTC वेबसाइट पर दी जाएगी और अखबार में प्रकाशित नहीं की जाएगी। **चूंकि यह एक ई-निविदा है, इसलिए दरें केवल MSTC पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए और किसी अन्य दस्तावेज पर दरें उल्लेख नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।**

9. बैंक को सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह किसी भी बोली को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का भी अधिकार रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
आरबीआई, भुवनेश्वर

भुवनेश्वर
तारीख: 08 दिसंबर 2025



भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India
संपदा विभाग/ Estate Department
भुवनेश्वर/ Bhubaneswar

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओड़िशा की तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाओं (आईएफएमएस) के लिए करार हेतु ई-निविदा।

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/33/25-26/ईटी/682

भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

बोलीकर्ता का नाम:

पता: _____

एनआईटी के प्रकाशन की तिथि	08 दिसंबर, 2025 को 18:00 बजे के बाद
बोली-पूर्व बैठक	30 दिसंबर, 2025 को 11:00 बजे
बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय	12 जनवरी, 2026 को 15:00 बजे तक
पार्ट-I (टेक्नो-कमर्शियल बिड) खुलने की तारीख और समय	12 जनवरी, 2026 को 16:00 बजे तक

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। उक्त उद्देश्य के लिए आरबीआई को जवाब देने के उद्देश्य को छोड़कर, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य पर इसकी प्रतिलिपि, वितरण या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहां तक कि प्राधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, पूरी तरह से वर्जित है, और यह कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।



अस्वीकरण

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर (बैंक) ने यह टेंडर दस्तावेज तैयार किया है। यह जानकारी संभावित बोलीकर्ताओं को दी गई है ताकि वे बैंक के मेन ऑफिस परिसर (MOP) और RBI भुवनेश्वर, ओड़िशा की तीन (03) रेजिडेंशियल कॉलोनियों में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज़ (IFMS) के लिए संविदा हेतु ई-टेंडर के लिए बिड कर सकें।

यह टेंडर न तो किसी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट है, और न ही किसी पार्टी को किसी भी तरह का काम करने का न्योता है। इस टेंडर का उद्देश्य सभी इंटरस्टेड पार्टियों के साथ बैंक की ज़रूरतों को शेयर करना है ताकि वे अपनी बिड जमा कर सकें। हालांकि बैंक ने यहां दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है, लेकिन बैंक यह दावा नहीं करता कि यह जानकारी पूरी है। इस टेंडर के जवाब देने वालों को अपनी जांच खुद करनी होगी और उन्हें सिर्फ टेंडर में दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर जवाब देने वाले सही जांच नहीं करते हैं तो बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा।

बैंक के पास इस टेंडर को आगे न बढ़ाने, इस दस्तावेज में दिखाए गए टाइमटेबल को बदलने, काम के स्कोप को अपडेट करने या लागू होने वाले प्रोसेस या प्रोसीजर को बदलने का अधिकार है। बैंक के पास किसी भी जवाब देने वाले के साथ टेंडर पर आगे चर्चा करने से मना करने का भी अधिकार है। बिड जमा करने वाले लोगों या एंटीटी को किसी भी तरह की या किसी भी अकाउंट की लागत का कोई रीइंबर्समेंट नहीं दिया जाएगा।

भविष्य में टेंडर में कोई भी बदलाव / सुधार, अगर कोई हो, तो सिर्फ RBI वेबसाइट और MSTC वेबसाइट पर बताया जाएगा और अखबार में नहीं छापा जाएगा।



विषय-सूची

विषय-वस्तु	
भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली).....	1
अस्वीकरण	2
विषय-सूची	3
ई-निविदा आमंत्रण सूचना [एनआईटी]	6
निविदा अनुसूची (एसओटी)	8
खंड I.....	10
1.1 पात्रता मानदंड	10
1.2 टेंडर फॉर्म	13
1.3 ई-प्रोक्योरमेंट के लिए ज़रूरी निर्देश	16
खंड II.....	21
2.1 कार्यों का विस्तृत दायरा.....	21
2.2 प्लंबिंग/ सैनिटरी	32
2.3 पंप संचालन	36
2.4 बढ़ईगरी और निर्माण.....	38
2.5 इलेक्ट्रिकल काम	41
2.6 बागवानी	50
2.7 बैंक की रेजिडेंशियल कॉलोनियों में मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग का काम	54
2.8 फ्लैटों की सफाई	57
2.9 टॉयलेट/बाथरूम आदि की सफाई	59
2.10 कचरा उठाना तथा Green Waste & Manure का परिवहन.....	60
खंड III.....	62
बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश.....	62
खंड IV:.....	74
करार की विशेष शर्तें	74
जुर्माना	75
कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (PBG):.....	79
खंड V	84

करार की सामान्य शर्तें	84
खंड VI:.....	88
MSTC वेबसाइट पर टेक्नो - कमर्शियल बिड के साथ बिडर को दस्तावेज अपलोड करने होंगे ।	88
खंड VII	91
तकनीकी-व्यावसायिक स्थितियाँ	91
खंड VIII:.....	92
बोलियों की संवीक्षा	92
खंड IX	95
करार का मसौदा	95
अनुलग्नक I	103
A. बयाना राशि जमा (ईएमडी) के बदले बैंक गारंटी का प्रोफार्मा.....	103
B.सिक्क्योरिटी डिपॉजिट के बदले परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) के लिए प्रोफार्मा	106
अनुलग्नक II	109
A. बोलीकर्ता के पिछले काम के अनुभव की लिस्ट, बोलीकर्ता के किए गए ज़रूरी कार्यों की लिस्ट	109
(.....	109
B. पिछले पांच सालों अर्थात 01 दिसंबर, 2020 से 30 नवंबर, 2025 तक पूरे किए गए ऐसे ही योग्य कार्यों (योग्य) का ब्यौरा	110
C. मौजूदा महत्वपूर्ण समान कार्यों की सूची	111
अनुलग्नक III	112
सफल बोलीकर्ता के कार्यनिष्पादन के बारे में ग्राहक का प्रमाणपत्र.....	112
अनुलग्नक IV	114
ए. वित्तीय जानकारी.....	114
B. बोलीकर्ता का विवरण	115
अनुलग्नक VI	117
मैट्रिक्स की वृद्धि.....	117
अनुलग्नक VII	118
A. पब्लिक इंस्टीट्यूशन/क्लाइंट द्वारा डिबारमेंट की घोषणा और कानूनी नियमों का उल्लंघन न करने के बारे में अंडरटेकिंग.....	118
B. बोलीकर्ता देश द्वारा भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने के बारे में अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफिकेट	120
अनुलग्नक VIII	122
सफल वेंडर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले और सप्लाई किए जाने वाले कंज्यूमेबल्स की एक इंडिकेटिव लिस्ट	122
अनुलग्नक IX	126

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप	126
अनुलग्नक X	127
01 अक्टूबर, 2025 से मिनिमम वेज (सेंट्रल) और लागू कानूनी कॉम्पोनेंट (फिक्स्ड कॉम्पोनेंट) के आधार पर वेज की अनुमानित लागत.....	127
अनुलग्नक XI	129
वेतन के अनुपालन पर वचन	129
अनुलग्नक XII	130
सुरक्षा कोड के पालन पर वचन.....	130
भाग- II (मूल्य बोली)	132
(मात्राओं की अनुसूची)	132
<u>पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप</u>	Error! Bookmark not defined.
130	



ई-निविदा आमंत्रण सूचना [एनआईटी]

ई-निविदा संख्या: **RBI/Bhubaneswar Regional Office/Estate/33/25-26/ET/682**

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओड़िशा के तीन (03) आवासीय कॉलोनीयों में करार एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवा (आईएफएमएस) देने के लिए ई-निविदा।

बैंक के मेन ऑफिस परिसर (MOP) और RBI भुवनेश्वर, ओड़िशा की तीन (03) रेजिडेंशियल कॉलोनीयों में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज़ (IFMS) देने के लिए **01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक ई-टेंडरिंग प्रोसेस** से दो हिस्सों में ऑनलाइन टेंडर मंगाए गए हैं। इस काम पर सभी टैक्स मिलाकर 12 महीने के लिए लगभग **₹4,06,00,000/- खर्च होने का अनुमान है**। इसे बैंक की मर्जी से FY:2027-28 और FY:2028-29 के लिए दो वर्ष (एक बार में एक वर्ष) के लिए रिन्यू किया जा सकता है, बशर्ते वेंडर अच्छा काम करे और टेंडर की शर्तों का पालन करे।

2. ऑनलाइन टेंडर सभी बिडर के लिए **08 दिसंबर, 2025 को शाम 6:00 बजे** से देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे। जो बिडर पार्ट-I (टेक्नो - कमर्शियल बिड) के साथ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा नहीं करेंगे, उन्हें टेंडर का पार्ट-I खोलने के लिए नहीं माना जाएगा। जो बिडर टेक्निकल इवैल्यूएशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें टेंडर का पार्ट-II (प्राइस बिड) खोलने के लिए नहीं माना जाएगा।

3. NEFT से पेमेंट की गई EMD (प्रूफ के साथ) ईमेल – estatebhubaneswar@rbi.org.in पर जमा करनी होगी ताकि **12 जनवरी, 2026 को 14:00 बजे** तक हम तक पहुंच जाए।

4. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़े सभी दस्तावेज MSTC साइट पर अपलोड किए जाने चाहिए। उन्हें बिड खोलने की दिनांक के बाद बैंक द्वारा जांच के लिए डाउनलोड किया जाएगा।

5. इच्छुक बोलीदाताओं के लिए प्री-बिड मीटिंग (ऑफ-लाइन मोड) 30 दिसंबर, 2025 को 11:00 बजे मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी।

6. बैंक टेंडर देने वाले के क्लाइंट्स और बैंकर्स से उसके पिछले परफॉर्मेंस की रिपोर्ट लेगा। बैंक टेंडर्स का पार्ट-II (प्राइस बिड) खोलने से पहले इन रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट करेगा। अगर किसी भी टेंडर में किसी भी समय टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी एलिजिबिलिटी नहीं पाई जाती है और/या उसके

क्लाइंट्स और/या उसके बैंकर्स से मिली उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक नहीं पाई जाती है, तो बैंक टेंडर का पार्ट-I खुलने के बाद भी उसके ऑफर को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए मजबूर नहीं है।

7. टेंडर का पार्ट-I, **12 जनवरी, 2026 को शाम 4:00 बजे** ऑनलाइन खोला जाएगा । एलिजिबल/क्वालिफाइड बोलीकर्ताओं का पार्ट-II (प्राइस बिड) बाद की दिनांक को खोला जाएगा, जिसके बारे में पहले से बताया जाएगा।

8. अगर भविष्य में टेंडर में कोई बदलाव / सुधार किया जाता है, तो उसे सिर्फ RBI वेबसाइट और MSTC वेबसाइट पर बताया जाएगा और अखबार में नहीं छापा जाएगा । **क्योंकि यह एक ई-टेंडर है, इसलिए रेट सिर्फ MSTC पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे और किसी दूसरे दस्तावेज पर रेट नहीं लिखे जाएंगे, नहीं तो बिड रिजेक्ट कर दी जाएगी।**

9. बैंक सबसे कम कीमत वाला टेंडर स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं है और किसी भी टेंडर को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी टेंडर को रिजेक्ट करने का भी अधिकार रखता है।

भुवनेश्वर
दिनांक : 08 दिसंबर, 2025

क्षेत्रीय निदेशक
आरबीआई, भुवनेश्वर

निविदा अनुसूची (एसओटी)

टेंडरिंग MSTC Ltd के ई-टेंडरिंग पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) के ज़रिए की जाएगी। टेंडर का शेड्यूल इस तरह है:

a. ई-निविदा संख्या	ई-निविदा संख्या: RBI/Bhubaneswar Regional Office/Estate/33/25-26/ET/682
b. निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से www.mstcecommerce.com/eprocn)
c. पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध NIT की दिनांक (टेंडर इनवाइट करने का नोटिस)	08 दिसंबर, 2025 को 18:00 बजे के बाद।
d. बोली-पूर्व बैठक (सभी सवाल/क्लैरिफिकेशन, अगर कोई हों, तो उन पर प्री-बिड मीटिंग में ही चर्चा की जानी चाहिए)	30 दिसंबर, 2025 11:00 बजे (स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, द्वितीय तल, आरबीआई, भुवनेश्वर-751001). नोट: पार्टिसिपेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे ज़रूरी इंतज़ाम करने के लिए, बताई गई मेल ID से एक दिन पहले अपना पार्टिसिपेशन कन्फर्म कर लें।
e. प्री-बिड मीटिंग के मिनट्स रखने की दिनांक	02 जनवरी, 2026
f. बयाना राशि जमा (ईएमडी)	₹8,12,000/- (केवल आठ लाख बारह हजार रुपये) की EMD इस माध्यम से भेजी जानी है: i. एनईएफटी/आरटीजीएस: खाता संख्या-186003001, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईएफएससी कोड – RBIS0BBPA01 (5 वां और 10 वां अक्षर 'शून्य' है), ब्रांच का नाम – भुवनेश्वर. ट्रांज़ैक्शन की डिटेल्स estatebhubaneswar@rbi.org.in पर दी जा सकती हैं। (या) i. डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी:

	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर के नाम पर DD/BG, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, पं. जे.एन. मार्ग, भुवनेश्वर-751001 पर फिजिकल फॉर्म के साथ प्रस्तुत की जानी है। 4 ऊपर दिए गए किसी भी फॉर्म में EMD ओरिजिनल रूप में टेंडर इनवाइटिंग प्राधिकारी के ऑफिस में ड्यू डेट पर या उससे पहले जमा करना होगा। BG की वैलिडिटी बिड की वैलिडिटी तक होनी चाहिए। हालांकि, बिड के एक्सटेंशन के मामले में, BG को भी बढ़ाना होगा।
g . ईएमडी जमा करने की आखिरी दिनांक	12 जनवरी, 2026 को 14:00 बजे तक
h. ई-टेंडर शुरू होने की दिनांक ऑनलाइन टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली जमा करना www.mstcecommerce.com/eprocn	02 जनवरी, 2026 15:00 बजे से
i . टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-टेंडर बंद होने की दिनांक नोट: जो बिड्स अधूरी हैं, अर्थात अगर इस टेंडर के अनुसार कोई भी ज़रूरी दस्तावेज इस दिनांक और समय तक जमा नहीं किया जाता है, तो उन्हें बैंक अपनी मर्जी से रिजेक्ट कर सकता है।	12 जनवरी, 2026 को 15:00 बजे तक
j. खुलने की तिथि व समय <ul style="list-style-type: none"> भाग-I (अर्थात, टेक्नो - कमर्शियल बोली) भाग-II मूल्य बोली 	<ul style="list-style-type: none"> 12 जनवरी, 2026 को 16:00 बजे पार्ट II अर्थात प्राइस-बिड खोलने की दिनांक एलिजिबल बोलीकर्ताओं को अलग से बताई जाएगी।
k. लेनदेन शुल्क	ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का पेमेंट MSTC पेमेंट गेटवे के ज़रिए ऑनलाइन किया जाएगा।



खंड I

1.1 पात्रता मानदंड

ऊपर दिए गए काम के लिए टेंडर दो हिस्सों में होगा, अर्थात पार्ट-I जिसमें टेक्नो - कमर्शियल स्पेसिफिकेशन्स और टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे (इस हिस्से में आइटम्स के रेट्स और अमाउंट कहीं नहीं दिखेंगे) और पार्ट-II जिसमें सिर्फ आइटम्स के रेट्स और अमाउंट्स आंकड़ों में होंगे, उन्हें तय टाइमलाइन के हिसाब से सिर्फ MSTC पोर्टल पर ही भरा जाएगा। यह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है और ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर MSTC Ltd. है। गलत और/या कम जानकारी वाली बिड्स रिजेक्ट हो सकती हैं। सिर्फ वही बोलीकर्ताओं ई-टेंडर में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल होंगे, जो नीचे दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं:

कार्य का नाम : आरबीआई भुवनेश्वर, ओडिशा के बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ (आईएफएमएस)।

इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट (IFM) का अभिप्राय है सभी फैसिलिटी सर्विस और कार्यों को एक साथ लाना, जैसे प्लंबिंग, पंप ऑपरेशन, कारपेंटरी/फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल, गार्डनिंग/हॉर्टिकल्चर, मेंटेनेंस/हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, आदि, एक्सपर्ट्स की एक आउटसोर्स टीम के तहत। इंटीग्रेटेड फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम करने से सभी समर्थित सर्विस कार्यों की ज़िम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसी के हाथों में आ जाती है। इंटीग्रेटेड फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर सभी सर्विस डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन, इनोवेशन को मैनेज करता है और क्लाइट ऑर्गनाइज़ेशन को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देता है।

1.1.1 पात्रता मापदंड:

- | | |
|-----|---|
| (a) | बिडर कंपनीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनी या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरी कंपनी होनी चाहिए। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन/ सर्टिफिकेट ऑफ़ इनकॉर्पोरेशन/ पार्टनरशिप डीड/ इसी तरह के दूसरे ज़रूरी दस्तावेज की कॉपी टेक्नो - कमर्शियल बिड के हिस्से के तौर पर जमा करनी होगी। |
| (b) | पंजीकरण : बोलीकर्ता के पास GST, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्रोविडेंट फंड, लेबर कानूनों (अगर लागू हो) के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बोलीकर्ता को टेक्नो-कमर्शियल बोली के हिस्से के तौर पर PAN की कॉपी, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट, EPF रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए संबंधित प्राधिकारी (सेंट्रल/स्टेट) से लाइसेंस, लेबर कानूनों (अगर लागू हो) के तहत रजिस्ट्रेशन जमा करना होगा। |
| (c) | (i) पिछला अनुभव: |

	<p>बिडर के पास इसी तरह के काम करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बिडर को कम से कम 5 वर्ष के अनुभव के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री सबूत जमा करने होंगे (अर्थात, बिडर ने 30 नवंबर, 2020 से पहले इंटीग्रेटेड काम करने का इसी तरह का काम किया हो)। फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज़ या इसी तरह की सर्विसेज़ (इसी तरह के काम का अभिप्राय है सरकारी/ऑटोनॉमस ऑर्गनाइज़ेशन// A क्लास एयरपोर्ट/जाने-माने हॉस्पिटल/5-स्टार होटल/बड़े मॉल/बड़े ऑफिस या रहने की स्थान आदि में IFMS सर्विसेज़ देना)</p> <p>(ii) तय समय के दौरान पूरे किए गए हर एक जैसे काम की कम से कम कीमत* (कालिफाइंग) :</p> <p>30 नवंबर, 2025 को खत्म होने वाले पिछले 5 सालों में ठीक से पूरे किए गए इसी तरह के काम का अनुभव होना चाहिए , और यह इनमें से कोई एक होना चाहिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> तीन पूर्ण कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत करार की अनुमानित लागत के 40% से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात ₹1,62,40,000/- का 40% या दो पूर्ण कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत करार की अनुमानित लागत के 50% से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात ₹2,03,00,000/- का 50% या एक पूरा हुआ काम जिसकी कीमत संविदा की अनुमानित कीमत का कम से कम 80% हो, अर्थात ₹3,24,80,000/- का 80%। <p>ऑर्गनाइज़ेशन के सक्षम प्राधिकारी के साइन किए हुए वर्क ऑर्डर और क्लाइंट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट होने चाहिए।</p> <p>क्लाइंट के हिसाब से काम की लिस्ट, दिए गए काम के वर्ष, और किए गए काम की असली कीमत, जिन अधिकारियों/अधिकारियों/डिपार्टमेंट के तहत काम किया गया/किए गए, उनके नाम और पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स <u>Annexure II (A, B & C) के अनुसार दी जानी चाहिए।</u></p> <p>ग्राहक रिपोर्ट (अनुलग्नक में दिए गए प्रारूप के अनुसार) I.V) सही प्राधिकारी से साइन किया हुआ, जिसमें किए गए काम की डिटेल्स हों, टेक्नो-कमर्शियल बिड के साथ अटैच करना होगा।</p> <p>टिप्पणी: सरकारी डिपार्टमेंट/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के मामले में, ऊपर बताए गए सर्टिफिकेट के अलावा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जारी TDS सर्टिफिकेट (फॉर्म 26 AS) भी साथ में लगाने होंगे, जो किए गए काम से जुड़े पेमेंट से मैच करते हों।</p>
(d)	भारतीय रिज़र्व बैंक/केंद्र सरकार की संस्था/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए किसी भी केंद्र पर इसी तरह के काम करने के पिछले अनुभव के साथ-साथ, अगर कोई हो, तो दस्तावेज़ी सबूत भी दिए जाने चाहिए।
(e)	वार्षिक वित्तीय विवरण पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ₹406.00 लाख (अनुमानित लागत का 100%) या उससे अधिक का कारोबार होना चाहिए।

	वित्त वर्ष 2022-23 वित्त वर्ष 2023-24 वित्त वर्ष 2024-25 इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/IT रिटर्न की कॉपी, साथ ही बिडर के बिज़नेस के लेटेस्ट ऑडिटेड फ़ाइनल अकाउंट्स, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड हों या चार्टर्ड अकाउंटेंट से जारी टर्नओवर सर्टिफिकेट, उनकी क्रेडिट योग्यता और पिछले तीन सालों के टर्नओवर के सबूत के तौर पर साथ में लगाने होंगे।
(f)	बैंकर्स सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जिसका मूल्य कम से कम हो ₹406.00 लाख अनुलग्नक में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार v टेक्नो - कमर्शियल बिड के साथ ।
(g)	बिडर के पास कम से कम 98 मज़दूर (अनस्किल्ड/सेमी-स्किल्ड/स्किल्ड/हाइली स्किल्ड) होने चाहिए। बिडर को अपने पेरोल पर ज़रूरी वर्कफ़ोर्स होने के अपने दावे के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री सबूत (PF स्टेटमेंट/ESIC स्टेटमेंट) देने होंगे।
(h)	i . बिडर का लोकल ऑफिस/सर्विस सेटअप भुवनेश्वर, ओड़िशा में होना चाहिए। या ii. अगर फ़ाइनल सक्सेसफ़ुल बिडर बनता है, तो बैंक के साथ फ़ाइनल संविदा करने से पहले भुवनेश्वर, ओड़िशा में अपना ऑफ़िस ज़रूर सेटअप करेगा। इस बारे में, बिडर वर्क ऑर्डर जारी होने के दो (02) महीने के अंदर भुवनेश्वर, ओड़िशा में सर्विस सेटअप के बारे में अपने लेटर हेड पर डिक्लेरेशन जमा कर सकते हैं।

फर्म/बोलीदाता के कार्यालय के अधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर और नाम

1.2 टेंडर फॉर्म

स्थान:

दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक
संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओड़िशा के तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाओं (आईएफएमएस) के लिए करार देने हेतु ई-निविदा

महोदय,

उपर्युक्त कार्य से संबंधित आवश्यकताओं, शर्तों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने और कार्य स्थल का दौरा करने और जांच करने और निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव करार लेने की पेशकश करता/करते हैं। बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओड़िशा के तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ (आईएफएमएस)।

महत्वपूर्ण सूचना:

काम की अनुमानित लागत (जिसमें लेबर, मटीरियल, सर्विस, EPF/ESIC कंटीरिब्यूशन, बोनस, प्रॉफ़िट/ओवरहेड कॉस्ट, टैक्स आदि शामिल हैं)	सभी टैक्स सहित 12 महीने के लिए लगभग ₹4,06,00,000/-
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	SOT में दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके NEFT/RTGS/DD/बैंक गारंटी के ज़रिए ₹8,12,000/- की EMD जमा करें।
कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी	खंड IV में क्लॉज़ 4.11 देखें)
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी	कंपनी के मामले में टेंडर दस्तावेज पर साइन करने वाले व्यक्ति के पक्ष में जमा किया जाएगा (Annexure IX)।
भुगतान की शर्त	खंड IV में क्लॉज़ 4.6 देखें
जुर्माना	खंड IV के क्लॉज़ 4.5 में बताया गया है
निविदा की वैधता	तकनीकी-व्यावसायिक बोली खुलने की तिथि से 90 दिन

सभी विवाद कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होंगे	भुवनेश्वर, ओड़िशा।
बैंक गारंटी भेजने का पता	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, पं. जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर-751001, ओड़िशा

2. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बिड्स को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है और किसी भी नियम और शर्तों में ढील देने का भी अधिकार रखता है। किसी भी बिडर के पास अपनी बिड के अस्वीकार होने पर बैंक के खिलाफ कोई कार्रवाई या दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इस टेंडर के जवाब में दी गई सभी जानकारी रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की संपत्ति होगी और यह मुफ्त होगी।

3. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारा टेंडर खुलने की दिनांक से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए वैलिड रहेगा और इस वैलिडिटी पीरियड को बैंक और हमारे बीच लिखित में तय समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हम बताए गए फॉर्मेट में NEFT /DD/बैंक गारंटी के ज़रिए -----/- रुपये की EMD रकम जमा करने के लिए भी सहमत हैं।

4. अगर यह टेंडर स्वीकार हो जाता है, तो मैं/हम टेंडर के सभी नियमों और शर्तों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं और इनमें किसी भी तरह की चूक होने पर, टेंडर दस्तावेज और आर्टिकल्स ऑफ़ एग्रीमेंट में बताई गई शर्तों के साथ-साथ संविदा की लिखित स्वीकृति के अनुसार, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनी या नॉमिनी को उतनी रकम ज़ब्त करके दे देंगे।

5. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी टेंडर को पूरी तरह या कुछ हिस्से में स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं।

दिनांक:2026

मेसर्स _____ के लिए और उनकी ओर से

(हस्ताक्षर मुहर सहित)

नाम _____

पद का नाम _____

स्थान _____

दिनांक _____

(ऊपर बताए गए साइन करने वाले के पावर ऑफ़ अटॉर्नी की सर्टिफाइड सच्ची कॉपी साथ में लगानी होगी)।

गवाहों

(1) हस्ताक्षर के साथ

नाम, पता और दिनांक

(2) हस्ताक्षर

नाम, पता और दिनांक

1.3 ई-प्रोक्योरमेंट के लिए ज़रूरी निर्देश

यह RBI का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/संविदाकर्ता MSTC लिमिटेड है।

आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ऑनलाइन टेंडर सबमिट करने से पहले, टेंडर इनवाइटिंग नोटिस और उसके बाद के कोरिजेंडा, अगर कोई हो, को पढ़ और समझ लें।

ई-टेंडर की प्रक्रिया:

A) रजिस्ट्रेशन : इस प्रोसेस में वेंडर का MSTC ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है , जो **फ्री** है । **रजिस्ट्रेशन** के बाद ही वेंडर **अपनी बिड** इलेक्ट्रॉनिक तरीके से **जमा** कर सकते हैं । **टेक्नो -** कमर्शियल बिड और प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग इंटरनेट पर की जाएगी । वेंडर के पास क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप का डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए । वेंडर को इंटरनेट से जुड़े P.C. से बिड लगाने का अपना इंतज़ाम खुद करना होगा। RBI ऐसा इंतज़ाम करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बिड रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली होनी चाहिए

सिर्फ www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन सबमिट किया गया (वर्जन 3)

1) वेंडर्स को www.mstcecommerce.com/eprocn पर **खुद** को ऑनलाइन **रजिस्टर** करना होगा।

वेंडर के तौर पर रजिस्टर करें -- डिटेल्स भरें और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं। सबमिट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / रजिस्ट्रेशन पर जाएं।

वेंडर्स को उनके रजिस्ट्रेशन को कन्फर्म करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल उनके ईमेल पर मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय दिया गया था। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए, कृपया MSTC/RBI से संपर्क करें, (ई-टेंडर के तय समय से पहले)।

सम्पर्क विवरण:

a) वेंडर्स के लिए कॉन्टैक्ट पर्सन (MSTC):

HO सेंट्रल हेल्प डेस्क: (वेंडर्स के लिए)

फ़ोन नंबर :07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "HO Helpdesk" लिखें)

उपलब्धता

ई-टेंडर्स से जुड़ी सभी टेक्निकल दिक्कतों, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 AM से शाम 5:00 PM तक।

b) भुवनेश्वर में संपर्क व्यक्ति (MSTC)

कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx पर जाएं


संपर्क व्यक्ति	मेल	गतिमान
श्री महेश रामावत	rmaresh@mstcindia.co.in	8801281004
सहायता डेस्क/कार्यालय	helpdesk@mstcindia.co.in	0674-2544199/ 2950091

c) RBI (भुवनेश्वर) में संपर्क व्यक्ति

संपर्क व्यक्ति	मेल	गतिमान
श्री प्रेम शंकर कोनापाला, एजीएम	premshankark@rbi.org.in	8074376753
श्री मनोज पति, प्रबंधक	manojpati@rbi.org.in	7008475898
श्री राजेश सतपथी, स.प्र.	rajeshsatapathy@rbi.org.in	7684074612
श्री राजेश बोनागिरी, स.प्र.	rajeshbonagiri@rbi.org.in	9160541941
जेनरिक ई-मेल	estatebhubaneswar@rbi.org.in	

सिस्टम ज़रूरतें:

<https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर मौजूद **DOWNLOAD SYSTEM SETTING GUIDE** देख सकता है।



- विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम
- एज/गूगल क्रोम
- साइनिंग टाइप डिजिटल हस्ताक्षर
- लेटेस्ट अपडेटेड JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा।

DSC को साइनर बॉक्स में दिखाने के लिए "प्रोटेक्टेड मोड" को डिसेबल करने के लिए, ये सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

• टूल्स => इंटरनेट ऑप्शन => सिक्योरिटी => डिसेबल प्रोटेक्टेड मोड अगर इनेबल है - अर्थात, "इनेबल प्रोटेक्टेड मोड" वाले टिक बॉक्स से टिक हटा दें। • अन्य सेटिंग्स:

टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => "हर बार जब मैं वेबपृष्ठ पर जाता हूं" को सक्रिय करें।

सभी एक्टिव X कंट्रोल को इनेबल करने और 'पॉप अप ब्लॉकर का इस्तेमाल करें' को डिसेबल करने के लिए

टूल्स→ इंटरनेट ऑप्शन्स→ कस्टम लेवल (कृपया www.mstcecommerce.com पेज से IE सेटिंग्स एक बार चलाएं)

1. लेनदेन शुल्क के प्रति विशेष नोट : विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके / "इवेंट कैटलॉग " में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना बदलाव किए मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा

ट्रांज़ैक्शन फ़्रीस नॉन-रिफंडेबल है। ट्रांज़ैक्शन फ़्रीस का पेमेंट किए बिना वेंडर को ऑनलाइन ई-टेंडर का एक्सेस नहीं मिलेगा।

नोट : बिड लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के बंद होने से काफी पहले ट्रांज़ैक्शन फ़्रीस जमा कर दें, ताकि उन्हें बिड जमा करने के लिए काफ़ी समय मिल सके।

2. टेंडर/कोरिजेंडा के बारे में जानकारी टेंडर फाइनल होने तक प्रोसेस के दौरान सिर्फ़ ईमेल से भेजी जाएगी। इसलिए वेंडर्स को यह पक्का करना होगा कि MSTC Ltd. के साथ वेंडर के रजिस्ट्रेशन के समय दी गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल ID वैलिड और अपडेटेड हो। वेंडर्स से यह भी रिक्वेस्ट है कि वे अपने क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के DSC (डिजिटल हस्ताक्षर) की वैलिडिटी पक्का करें। (प्रमाणपत्र)।

3. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत दिनांक और समय के बाद ई-टेंडर एक्सेस नहीं किया जा सकता।

5. ई-टेंडर में बोली लगाना:

नोट: वेंडर्स को दस्तावेज लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड करने के लिए My menu में **Upload Documents लिंक का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है**। एक से ज़्यादा दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एक दस्तावेज का ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ 5 MB है।

लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड होने के बाद, वेंडर्स उस खास ई - टेंडर के साथ **अटैच** दस्तावेज **लिंक के ज़रिए** दस्तावेज **अटैच कर सकते हैं**। कृपया ध्यान दें कि अगर दस्तावेज किसी ई - टेंडर के साथ अटैच नहीं हैं, तो उन्हें RBI डाउनलोड नहीं कर सकता। और यह माना जाएगा कि वेंडर ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। ज़्यादा मदद के लिए कृपया वेंडर गाइड के इंस्ट्रक्शन्स फ़ॉलो करें।

- a) **बोलीकर्ता को ई - टेंडर के लिए ज़रूरी EMD, ई-टेंडर फीस (अगर कोई हो) और ट्रांज़ैक्शन फीस अलग से जमा करनी होगी। अगर कोई ट्रांज़ैक्शन फीस है, तो वह नॉन - रिफंडेबल है। EMD पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जो बोलीकर्ता असफल होंगे, उनकी EMD RBI वापस कर देगी।**
- b) इस प्रोसेस में टेक्नो कमर्शियल बिड के साथ-साथ प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।

बिडर ने ऊपर दी गई फीस जमा कर दी है, वे अपनी टेक्नो कमर्शियल बिड्स और प्राइस बिड सिर्फ़ इंटरनेट के ज़रिए MSTC की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर जमा कर सकते हैं। → ई - प्रोक्योरमेंट → नया कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चुनाव → ट्रांज़ैक्शन फीस->कॉमन टर्म्स->**दस्तावेज** अटैच करें->प्राइस बिड।

कृपया ध्यान दें: ट्रांज़ैक्शन फ़ीस सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, वेंडर के लॉगिन में दस्तावेज अटैच करें और कॉमन टर्म्स टैब चालू हो जाएगा। इस स्टेप के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, वेंडर्स को लॉट की खास शर्तों को सेव करने और पोर्टल के ज़रिए लॉट के लिए अपनी प्राइस बिड जमा करने या प्राइस बिड जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड करने की इजाज़त होगी, जैसा भी मामला हो। अगर दस्तावेज अटैच करने और/या कॉमन टर्म्स सेव करने का स्टेप सफल नहीं होता है, तो लॉट की खास शर्तों को सेव करने और प्राइस बिड जमा करने वाले टैब बंद हो जाएंगे। यह सफल/पेंडिंग है या नहीं, इसका स्टेटस बिड स्टेटस बटन में दिखाया जाएगा।

- c) सबसे पहले वेंडर को कमर्शियल स्पेसिफिकेशन, अगर कोई हो, भरकर सेव करना होगा। फिर वेंडर को टेक्नो - कमर्शियल बिड भरनी चाहिए। टेक्नो - कमर्शियल बिड भरने के बाद, बिडर को अपनी टेक्नो - कमर्शियल बिड रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, प्राइस बिड लिंक एक्टिव हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बिडर को अपनी प्राइस बिड रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर जब टेक्नो - कमर्शियल बिड और प्राइस बिड दोनों सेव हो जाएं, तो बिडर अपनी बिड रजिस्टर करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट : - फ़ाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद " डिलीट बिड " ऑप्शन दिखेगा । अगर वेंडर फ़ाइनल सबमिशन के बाद बिड डिलीट करना चाहता है और बिड को दोबारा सबमिट करना चाहता है, तो उसे डिलीट बिड पर क्लिक करके उसे दोबारा सबमिट करना चाहिए और फिर से फ़ाइनल सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए ।

- d) सभी मामलों में, **बोलीकर्ता** को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल **हस्ताक्षर** के साथ अपनी ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए ।
- e) पूरे ई - टेंडर प्रोसेस के दौरान, **बोलीकर्ताओं** एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से एनॉनिमस रहेंगे ।
- f) ई - टेंडर **फ़्लोर पहले से** बताई गई **दिनांक** और समय से और ऊपर बताई गई अवधि तक खुला रहेगा ।
- g) ई - टेंडर प्रोसेस के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बिड बिडर पर कानूनी तौर पर लागू होंगी । **किसी भी बिड को उस बिडर की दी गई वैलिड बिड माना जाएगा और बायर के उसे स्वीकार करने से सप्लाई / काम पूरा करने के लिए बायर और बिडर के बीच एक बाइंडिंग संविदा बन जाएगा। ऐसे सफल टेंडरर को आगे सप्लायर / संविदाकर्ता कहा जाएगा ।**
- h) यह ज़रूरी है कि सभी बिड्स क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के डिजिटल **हस्ताक्षर** सर्टिफिकेट के साथ सबमिट की जाएं, नहीं तो सिस्टम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा ।
- i) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए टेंडर को पूरी तरह या कुछ हिस्से में कैंसल करने, रिजेक्ट करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार है ।
- j) - टेंडर **दस्तावेज** के टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी बदलाव मंज़ूर नहीं है । **किसी भी बिडर का ई - टेंडर फ़्लोर में बिड जमा करना यह कन्फर्म करता है कि उसने ई - टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस मान लिए हैं ।**

यूनिट ऑफ़ मेज़र (UOM) ई - टेंडर फ़्लोर में बताया गया है । कोट किया जाने वाला रेट ई - टेंडर फ़्लोर / टेंडर **दस्तावेज** में बताए गए UOM के अनुसार भारतीय रुपये में होना चाहिए ।

खंड II

2.1 कार्यों का विस्तृत दायरा

काम का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओडिशा के तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ (आईएफएमएस)।

1. कार्य क्षेत्र:

- बैंक का मेन ऑफिस (MOP) यूनिट III, JN मार्ग, भुवनेश्वर में है।
- नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स (OQNP), नयापल्ली, IRC विलेज, भुवनेश्वर।
- विद्युत मार्ग पर स्टाफ क्वार्टर्स (SQVM), विद्युत मार्ग, यूनिट 4, भुवनेश्वर।
- बारामुंडा, भुवनेश्वर में स्टाफ क्वार्टर्स (SQBM)।

बैंक के कर्मचारी और अधिकारी क्वार्टर्स, यानि नयापल्ली, विद्युत मार्ग और बारामुंडा में 03 आवासीय कॉलोनियों में फ्लैट, वीओएफ, टीएचएच, मेडिकल फ्लैट, सिंगल रूम आवास, डिस्पेंसरी, केयरटेकर का कार्यालय, सामुदायिक हॉल, व्यायामशाला, मनोरंजन कक्ष आदि शामिल हैं। यह कार्य सभी परिसरों (मुख्य कार्यालय परिसर जिसमें अनुलग्नक भवन और 3 कॉलोनियां/क्वार्टर्स शामिल हैं) के लिए सुविधा प्रबंधन है जिसमें निम्नलिखित प्रकृति के सभी प्रकार के नियमित, निवारक, आवधिक, सुधारात्मक और ब्रेक डाउन रखरखाव कार्य शामिल हैं:

- चारों जगहों पर सभी संविदा वाले कार्यों (ज़्यादातर इसी IFMS के तहत किए जा रहे काम) का सुपरविज़न।
- चारों परिसरों में प्लंबिंग और सैनिटरी इंस्टॉलेशन से जुड़ा काम
- चारों परिसरों में पंप संचालन कार्य
- चारों परिसरों में बढ़ईगीरी और फैब्रिकेशन का काम
- चारों परिसरों में बिजली के इंस्टॉलेशन से जुड़ा काम
- चारों जगहों पर गार्डनिंग/हॉर्टिकल्चर का काम होता है।
- तीन रेजिडेंशियल जगहों में मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग का काम।
- तीन रेजिडेंशियल जगहों के फ्लैटों की सफाई।
- तीन रेजिडेंशियल कॉलोनियों में टॉयलेट/बाथरूम आदि की सफाई।
- चारों जगहों से हर तरह का कचरा उठाना और बाकी तीन जगहों से हरे/गीले कचरे को SQBM के ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर (OWC) यार्ड में शिफ्ट करना, बैंक के अधिकारियों के कहने पर रोज़ाना अपनी व्यवस्था/अपनी गाड़ी से। इसके अलावा, OWC, SQBM से निकलने वाले गोबर/ऑर्गेनिक खाद को बैंक के अधिकारियों के कहने पर रेगुलर इंटरवल (हफ़्ते के आधार पर) अपनी व्यवस्था/अपनी गाड़ी से बाकी तीन जगहों MOP, OQNP और SQVM में शिफ्ट करना।

2. फ्लैट्स और दूसरे एरिया की डिटेल्स (नीचे दी गई डिटेल्स में लगभग सभी जगहें शामिल हैं, लेकिन यह अभी भी पूरी नहीं है क्योंकि हमारे चारों परिसरों में कई एरिया हैं) जहाँ काम होना है:

एस. नं.	फ्लैट्स का विवरण	संख्या.
a)	ऑफिसर्स क्वार्टर्स नयापल्ली में जनरल फ्लैट्स की कुल संख्या	100
	स्टाफ क्वार्टर्स विद्युत मार्ग में कुल जनरल फ्लैटों की संख्या	164 (120+44)
	स्टाफ क्वार्टर्स बारामुंडा में जनरल फ्लैट्स की कुल संख्या	92
	मुख्य कार्यालय परिसर में सामान्य फ्लैटों की कुल संख्या [एमओपी] {नोट - मेन ऑफिस बिल्डिंग [MOP] में एनेक्स बिल्डिंग भी शामिल हैं}	10
b)	नयापल्ली (OQNP) में ऑफिसर्स क्वार्टर्स में RD का निवास/बंगला	01
c)	एग्जीक्यूटिव विजिटिंग ऑफिसर फ्लैट्स (VOFs)/ विजिटिंग ऑफिसर फ्लैट्स (VOFs)/ ट्रांजिट हॉलिडे होम (THH)/ सिंगल रूम अकोमोडेशन (SRAs)/ मेडिकल फ्लैट्स	32
d)	फ्लैट्स/VOFs/SRAs/THHs/मेडिकल फ्लैट्स के अलावा कॉमन एरिया (पार्क, सीढ़ियां, प्लेग्राउंड (बच्चों के खेलने की स्थान सहित), टेरेस, फिशपॉन्ड, फव्वारे, लैंडस्केपिंग सहित)	विभिन्न क्षेत्र
e)	अधिकारी लाउंज भोजन कक्ष	01
f)	मुख्य कार्यालय में स्टाफ कैटीन	01
g)	OQNP में स्टाफ कैटीन ब्लॉक	01
h)	व्यायामशाला	04
i)	औषधालय	04
j)	क्रेच	01
k)	मनोरंजन कक्ष	01
l)	कार्यवाहक कार्यालय/पूछताछ कार्यालय	04
m)	केयरटेकर स्टोर	04
n)	सामुदायिक हॉल	03
o)	पंप रूम	04
p)	पुलिस बराक (एमओपी)	01
q)	संपर्क केंद्र (एमओपी-एनेक्स बिल्डिंग)	01
r)	बागवानी क्षेत्र 1. मुख्य कार्यालय परिसर, यूनिट III, जेएन मार्ग, भुवनेश्वर 2. आरबीआई ऑफिसर्स क्वार्टर्स, नयापल्ली, भुवनेश्वर 3. आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग, भुवनेश्वर 4. आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स, बारामुंडा, भुवनेश्वर	
नोट: ऊपर दिया गया स्टेटस बदल सकता है, लेकिन कुल फ्लैट्स की संख्या वही रहेगी।		

3. मैनपावर का विवरण-

- सुपरवाइज़र (टेक्निकल-हाई स्किल्ड) के पास इंजीनियरिंग में कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए और सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े कार्यों में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- सुपरवाइज़र (नॉन-टेक्निकल-हाई स्किल्ड) के पास कम से कम इंटरमीडिएट या उसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए और हाउसकीपिंग और गार्डनिंग/हॉर्टिकल्चर सर्विस के फील्ड में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन: आपके पास वैलिड इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 3 वर्ष का काम का अनुभव होना चाहिए।
- इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन के लिए सेमी-स्किल्ड हेल्पर: कम से कम 3 वर्ष का काम का अनुभव होना चाहिए।

(बिड की स्कूटनी के समय एम्प्लॉयर से वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा)।

सुपरवाइज़र के पास साइट पर एक्टिव मोबाइल फ़ोन (संविदाकर्ता का दिया हुआ) होना चाहिए ताकि वे बैंक के इंजीनियर/कॉलोनी केयरटेकर/AMC डेस्क ऑफिसर/सिक्योरिटी ऑफिसर या बैंक द्वारा साइट पर काम की देखरेख के लिए रखे गए किसी भी व्यक्ति से इंस्ट्रक्शन ले सकें और वे **कम से कम** मैनपावर भी इस तरह रखेंगे:

क्रमांक।	विवरण	अत्यधिक कुशल	कुशल	अर्द्ध कुशल	अकुशल
1	पर्यवेक्षक (तकनीकी रूप से योग्य)	04	-	-	-
2	पर्यवेक्षक (गैर-तकनीकी लेकिन योग्य)	04	-	-	-
3	प्लंबिंग और सैनिटरी इंस्टॉलेशन से संबंधित कार्य	-	04	04	-
4	पंप संचालन कार्य	-	-	04	-
5	बढ़ईगीरी का काम	-	04	04	-
6	निर्माण कार्य	-	02	02	-
7	विद्युत कार्य	-	10	09	-
8	बागवानी/बागवानी कार्य	-	-	08	11
10	तीन कॉलोनियों में मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग का काम	-	-	-	19
11	फ्लैटों की सफाई	-	-	-	04
12	सभी रेजिडेंशियल फ्लैट्स में टॉयलेट/बाथरूम आदि की सफाई	-	-	-	05
	कुल - 98	8	20	31	39

टिप्पणी:

- (a) बैंक के पास यह अधिकार है कि जब भी ज़रूरत हो, वह ऊपर बताए गए तरीके से अधिक मैनपावर मांग सकता है या वर्कफोर्स कम कर सकता है। अगर अधिक मैनपावर की ज़रूरत होगी, तो बैंक डॉक्यूमेंट्री सबूत दिखाने पर असल में इंश्योरेंस और यूनिफॉर्म का खर्च वापस करेगा और इस बारे में बैंक का फैसला आखिरी होगा।
- (b) एनेक्सर X में कैलकुलेट की गई सैलरी में 365 दिन की डिप्लॉयमेंट के मामले में रिलीवर चार्ज शामिल हैं। रिलीवर के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दिया जाएगा।
- (c) मद बी के लिए संबंधित बोलीदाता द्वारा उद्धृत राशि : मूल्य बोली (भाग- II) के गैर- श्रम घटक के लाभ/सेवा शुल्क को अनुलग्नक X के क्रम संख्या – 23 (जीएसटी को छोड़कर कुल मजदूरी) में विस्तृत कुल न्यूनतम मजदूरी के प्रतिशत (दो दशमलव तक) में परिवर्तित किया जाएगा। समान प्रतिशत (दो दशमलव तक) करार अवधि के दौरान जीएसटी को छोड़कर कुल न्यूनतम मजदूरी पर लाभ/सेवा शुल्क की गणना के लिए लागू किया जाएगा, जब भी मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में कोई वृद्धि / कमी होती है और बोनस, पीएफ और ईएसआई घटकों जैसी संबंधित देनदारियां होती हैं।

4. काम का समय:

सेवाएं प्रदान करना और मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और तीन (03) आवासीय कॉलोनियों के सामान्य रखरखाव की देखभाल करना, शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी कार्यदिवसों में सुबह से शाम तक (अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग समय सारिणी) भोजन अवकाश और साप्ताहिक अवकाश (कुछ कार्यों के लिए) के साथ बैंक द्वारा तय किया गया।

कार्य विवरण	दिनों की संख्या	परिसर में कार्यबल	अन्य टिप्पणियां
पर्यवेक्षक (टेक्निकल रूप से क्वालिफाइड - हाई स्किल्ड)	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	क) 02 (01 सिविल और 01 इलेक्ट्रिकल) - एमओपी और एसक्यूबीएम बी) 02 - 01 सिविल और 01 इलेक्ट्रिकल ओक्यूएनपी के लिए और एसक्यूबीएम	26x12 दिन

पर्यवेक्षक (नॉन-टेक्निकल लेकिन कालिफाइड हाई स्किल्ड)	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	01 – एमओपी 01 – ओक्यूएनपी 01 – एसक्यूवीएम 01 – एसक्यूबीएम	26 x12 दिन
अनुभवी प्लम्बर	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	01 – एमओपी 01 – ओक्यूएनपी 01 – एसक्यूवीएम 01 – एसक्यूबीएम	26x12 दिन
अनुभवी बढ़ई	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	01 – एमओपी 01 – ओक्यूएनपी 01 – एसक्यूवीएम 01 – एसक्यूबीएम	26x12 दिन
अनुभवी फ्रेब्रीकेटर	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	02 – एमओपी और तीन आवासीय कॉलोनियां	26x12 दिन
अनुभवी इलेक्ट्रीशियन- एमओपी	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	03 – एमओपी	26x12 दिन
अनुभवी इलेक्ट्रीशियन- कॉलोनियां	रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, ऑफिस में तैनाती के लिए एक हफ्ते की छुट्टी और कॉलोनी में तैनाती के लिए कोई हफ्ते की छुट्टी नहीं। लेकिन, कॉलोनियों में मैनपावर की तैनाती के मामले में, हर वर्कर को एक दिन का वीकली-ऑफ दिया जाएगा, और उसकी स्थान एक सही रिलीवर	03 – ओक्यूएनपी 02 – एसक्यूवीएम 02 – एसक्यूबीएम	28/29/30/31x1 2 दिन

	रखा जाएगा, बशर्ते कि किसी खास दिन स्थान के हिसाब से वर्करो की कुल संख्या वही रहे।		
प्लंबर का हेल्पर	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	01 – एमओपी 01 – ओक्यूएनपी 01 – एसक्यूवीएम 01 – एसक्यूबीएम	26x12 दिन
पंप ऑपरेटर	365 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, किसी भी दिन कोई वीकली ऑफ़ नहीं। लेकिन, कॉलोनियों में मैनपावर की तैनाती के मामले में, हर वर्कर को एक दिन का वीकली-ऑफ़ दिया जाएगा, और उसकी स्थान एक सही रिलीवर रखा जाएगा, बशर्ते कि किसी खास दिन स्थान के हिसाब से वर्करो की कुल संख्या वही रहे।	01 – एमओपी 01 – ओक्यूएनपी 01 – एसक्यूवीएम 01 – एसक्यूबीएम	28/29/30/31x1 2 दिन
बढ़ई का सहायक	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	01 – एमओपी 01 – ओक्यूएनपी 01 – एसक्यूवीएम 01 – एसक्यूबीएम	26x12 दिन
निर्माता का सहायक	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	02 – एमओपी और तीन आवासीय कॉलोनियां	26x12 दिन
इलेक्ट्रीशियन का हेल्पर-एमओपी	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	02 – एमओपी	26x12 दिन
इलेक्ट्रीशियन के लिए हेल्पर-कॉलोनियां	रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, ऑफिस में तैनाती के लिए एक	03 – ओक्यूएनपी	28/29/30/31x1 2 दिन

	हफ्ते की छुट्टी और कॉलोनी में तैनाती के लिए कोई हफ्ते की छुट्टी नहीं। लेकिन, कॉलोनियों में मैनपावर की तैनाती के मामले में, हर वर्कर को एक दिन का वीकली-ऑफ दिया जाएगा, और उसकी स्थान एक सही रिलीवर रखा जाएगा, बशर्ते कि किसी खास दिन स्थान के हिसाब से वर्करों की कुल संख्या वही रहे।	02 – एसक्यूवीएम 02 – एसक्यूबीएम	
बागवानी श्रमिक	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	02 – एमओपी 02 – ओक्यूएनपी 02 – एसक्यूवीएम 02 – एसक्यूबीएम	26x12 दिन
बागवानी कार्यकर्ता (सहायक)	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	03 – एमओपी 04 – ओक्यूएनपी 02 – एसक्यूवीएम 02 – एसक्यूबीएम	26x12 दिन
तीन कॉलोनियों में मेटेनेंस और हाउसकीपिंग वर्कर	365 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, किसी भी दिन कोई वीकली ऑफ नहीं। लेकिन, कॉलोनियों में मैनपावर की तैनाती के मामले में, हर वर्कर को एक दिन का वीकली-ऑफ दिया जाएगा, और उसकी स्थान एक सही रिलीवर रखा जाएगा, बशर्ते कि किसी खास दिन स्थान के हिसाब से वर्करों की कुल संख्या वही रहे।	06 – ओक्यूएनपी 07 – एसक्यूवीएम 06 – एसक्यूबीएम	28/29/30/31x1 2 दिन
प्लैटों की सफाई	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक	01 – ओक्यूएनपी	26x12 दिन

	दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	02 – एसक्यूवीएम 01 – एसक्यूबीएम (हर तीन महीने में सफाई/ ज़रूरत के हिसाब से)	
सभी रेजिडेंशियल फ्लैट्स में टॉयलेट/बाथरूम आदि की सफाई के लिए वर्कर	312 (शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन, जिसमें एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जो बैंक तय करेगा)	02 – ओक्यूएनपी 02 – एसक्यूवीएम 01 – एसक्यूबीएम (साप्ताहिक सफाई)	26x12 दिन

अलग-अलग कार्यों की टाइमिंग इस तरह है:

कार्य विवरण	ऑफिस में काम का समय	कॉलोनियों में काम का समय
पर्यवेक्षक (तकनीकी रूप से योग्य)	कार्य समय – सुबह 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक	कार्य समय – सुबह 07:00 बजे से 11:00 बजे तक
सुपरवाइज़र (गैर-तकनीकी लेकिन योग्य)	दोपहर का भोजन/ ब्रेक का समय – दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक कार्य समय – दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	लंच/ ब्रेक का समय – सुबह 11:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक कार्य समय – दोपहर 03:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक
अनुभवी प्लम्बर	कार्य समय – सुबह 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक	कार्य समय – सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
अनुभवी बढ़ई	दोपहर का भोजन/ ब्रेक का समय – दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक	दोपहर का भोजन/ ब्रेक का समय – दोपहर 12:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक
अनुभवी फैब्रिकेटर	कार्य समय – दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	कार्य समय – दोपहर 03:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक
अनुभवी इलेक्ट्रीशियन	कार्य समय – सुबह 09:00 बजे से	OQNP: 8 घंटे की 3 शिफ्ट में एक-

	<p>दोपहर 01:00 बजे तक दोपहर का भोजन/ ब्रेक का समय – दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक कार्य समय – दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक</p>	<p>एक व्यक्ति (सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, हर शिफ्ट में खाने के लिए एक घंटे का ब्रेक)</p> <p>SQVM: 8 घंटे की 2 शिफ्ट में एक-एक व्यक्ति (सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक, हर शिफ्ट में खाने के लिए एक घंटे का ब्रेक)</p> <p>SQBM: 8 घंटे की 2 शिफ्ट में एक-एक व्यक्ति (सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक, हर शिफ्ट में खाने के लिए एक घंटे का ब्रेक)</p>
प्लंबर का हेल्पर	<p>कार्य समय – सुबह 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक दोपहर का भोजन/ ब्रेक का समय – दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक कार्य समय – दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक</p>	<p>कार्य समय – सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक दोपहर का भोजन/ ब्रेक का समय – दोपहर 12:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक कार्य समय – दोपहर 03:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक</p>
पंप ऑपरेटर		
बढ़ई का सहायक		
फैब्रिकेटर का सहायक		
इलेक्ट्रीशियन का हेल्पर	<p>कार्य समय – सुबह 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक दोपहर का भोजन/ ब्रेक का समय – दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक कार्य समय – दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक</p>	<p>OQNP: 8 घंटे की 3 शिफ्ट में एक-एक व्यक्ति (सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, हर शिफ्ट में खाने के लिए एक घंटे का ब्रेक)</p> <p>SQVM: 8 घंटे की 2 शिफ्ट में एक-एक व्यक्ति (सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक, हर शिफ्ट में खाने के लिए एक घंटे का ब्रेक)</p>

		SQBM: 8 घंटे की 2 शिफ्ट में एक-एक व्यक्ति (सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक, हर शिफ्ट में खाने के लिए एक घंटे का ब्रेक)
बागवानी श्रमिक	कार्य समय – सुबह 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक	कार्य समय – सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
बागवानी कर्मचारी (सहायक)	दोपहर का भोजन/ ब्रेक का समय – दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक कार्य समय – दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	दोपहर का भोजन/ ब्रेक का समय – दोपहर 12:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक कार्य समय – दोपहर 03:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक
तीन कॉलोनियों में मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग वर्कर	ना	कार्य समय – सुबह 07:00 बजे से 11:00 बजे तक लंच/ ब्रेक का समय – सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कार्य समय – दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक
फ्लैटों की सफाई के लिए कर्मचारी	ना	कार्य समय – सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक दोपहर का भोजन/ ब्रेक का समय – दोपहर 12:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक कार्य समय – दोपहर 03:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक
तीन रेजिडेंशियल कॉलोनियों में टॉयलेट/बाथरूम आदि की सफाई के लिए वर्कर	ना	कार्य समय – सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक दोपहर का भोजन/ ब्रेक का समय – दोपहर 12:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक कार्य समय – दोपहर 03:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक

काम का दायरा, मैनपावर आदि के बारे में ज़रूरी टिप्पणी

नोट 1:

अगर ज़रूरी लगे तो बैंक के पास मैनपावर डिप्लॉयमेंट की टाइमिंग बदलने/अपडेट करने का अधिकार है, बशर्ते काम की पूरी शिफ्ट में कोई बड़ा बदलाव न हो। खास मौके पर या खास ज़रूरत के हिसाब से, बैंक मज़दूरों से उनकी नॉर्मल शिफ्ट के कोटे के बाद कुछ और समय काम करवाने का अधिकार रखता है , **बशर्ते ऐसा बार-बार न हो ।**

नोट 2:

इमरजेंसी कार्यों में, वर्कर्स को इमरजेंसी खत्म होने तक काम करते रहना होगा। वर्कर्स को वीकली छुट्टी बैंक से सलाह लेने के बाद ही दी जानी चाहिए।

- बैंक की तरफ से सबसे पास की स्थान पर मुफ्त में दिया जाएगा, लेकिन बाकी सारे इंतज़ाम सफल बोलीकर्ता को खुद करने होंगे।
- अगर सफल बिडर का कोई वर्कर खराब काम करता हुआ, बैंक के निर्देशों को न मानता हुआ और गलत व्यवहार करता हुआ पाया जाता है, तो एजेंसी बैंक के निर्देश के अनुसार ऐसे व्यक्ति को काम से हटा देगी।
- सफल बिडर यह पक्का करेगा कि एक स्थान पर तैनात वर्कफोर्स को, बैंक को पहले से बताकर, रेगुलर इंटरवल पर एक स्थान से अन्य स्थान रोटेट किया जा सके। अगर बैंक की किसी स्थान पर तैनात मैनपावर को बदलना है, तो उसे बैंक को काफी पहले ईमेल/एप्लीकेशन लिखकर सही अप्रूवल मिलने के बाद ही तैनात किया जाना चाहिए।

नोट 3:

आने वाले पेज पर दिए गए अलग-अलग कार्यों का स्कोप सिर्फ़ बताने के लिए है। कोई भी संबंधित रिपेयर/मेंटेनेंस/आम काम, जिसका खास तौर पर ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन सिस्टम/ऑपरेशन के ठीक से चलने के साथ-साथ शिकायत करने वाले/बैंक के इंजीनियर/AMC ऑफिसर/बैंक के दूसरे प्रतिनिधियों की संतुष्टि के लिए ज़रूरी है, उसे IFMS के काम के स्कोप का हिस्सा माना जाएगा और इस बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा और इस बारे में बैंक का फ़ैसला आखिरी होगा।

नोट 4:

संविदार्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने टेंडर जमा करने और टर्म्स एंड कंडीशंस को कन्फर्म करने से पहले काम का डिटेल्ड स्कोप समझने के लिए अलग-अलग साइट्स पर जाएं।

पर्यवेक्षकों की भूमिका

आठ (08) उच्च कुशल पर्यवेक्षकों [चार (04) तकनीकी रूप से योग्य और चार (04) गैर-तकनीकी लेकिन योग्य] की सेवाएं प्रदान करना और विवरण निम्नानुसार है:

- टेक्निकली (हार्ड स्किल्ड) कालिफाइड सुपरवाइज़र प्लंबिंग और सैनिटरी इंस्टॉलेशन से जुड़े काम, पंप ऑपरेशन का काम, बढ़ईगीरी का काम, फैब्रिकेशन का काम और इलेक्ट्रिकल काम के IFMS टेक्निकल कार्यों की देखरेख करेंगे।
- लिफ्टिंग के आईएफएमएस गैर-तकनीकी कार्यों की निगरानी करेंगे। कचरे का निपटान और हरे कचरे/खाद का ओडब्ल्यूसी यार्ड, एसक्यूबीएम से/तक परिवहन।

सुपरवाइज़र यह पक्का करेंगे कि मोबाइल ऐप/कम्प्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम या केयरटेकर के ऑफिस या कॉलोनी गेट पर रखे गए कम्प्लेंट रजिस्टर में दर्ज शिकायतों (IFMS कार्यों से जुड़ी) पर समय पर ध्यान दिया जाए। वे बैंक के इंजीनियरों/केयरटेकरों को अलग-अलग कार्यों का मेज़रमेंट लेने में ज़रूरी मदद देंगे।

हालांकि सुपरवाइज़र IFMS के काम देखेंगे, लेकिन कुछ मौकों पर (सिर्फ़ ज़रूरत के आधार पर) बैंक के इंजीनियर या बैंक द्वारा भेजा गया कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें ऑफिस/कॉलोनी में दूसरे संविदाकर्ता के काम की देखरेख का काम भी दे सकता है।

सभी सुपरवाइज़र की तैनाती हफ़्ते में छह दिन की जाएगी, जिसमें शनिवार, रविवार और छुट्टियां शामिल हैं (बैंक द्वारा तय हर सुपरवाइज़र के लिए एक दिन की छुट्टी को छोड़कर) ताकि वे रोज़ाना के सुपरवाइज़र के काम कर सकें।

2.2 प्लंबिंग/ सैनिटरी

1. कार्य क्षेत्र:

नयापल्ली स्थित अधिकारी क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग एवं बारामुंडा स्थित कर्मचारी क्वार्टर्स के लिए है। बैंक की ज़रूरत के हिसाब से कोई अन्य साइट, जिसमें सभी तरह के रूटीन, बचाव के, समय-समय पर होने वाले मेंटेनेंस के काम शामिल हैं, आम तौर पर प्लंबिंग और सैनिटरी इंस्टॉलेशन के। भविष्य में स्थान में किया जाने वाला कोई भी बदलाव/अलार्म भी कवर किया जाएगा।

2. मैनपावर का विवरण:

बिडर को बैंक के अधिकारियों/कॉलोनी केयरटेकर/सुपरवाइज़र से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए साइट पर प्लंबर/हेल्पर (टेंडर में बताई गई मैनपावर) तैनात करने होंगे।

3. नलसाजी और स्वच्छता

(ए) प्रदान की जाने वाली सेवाओं में मोटे तौर पर की निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे: -

ऊपर बताए गए चार बैंकों की जगहों के लिए कम से कम 4 अनुभवी प्लंबर और 4 सेमी-स्किल्ड प्लंबर की सर्विस लेकर सैनिटरी और प्लंबिंग से जुड़े रूटीन/ समय-समय पर/ बचाव के मेंटेनेंस/ ब्रेकडाउन, प्लंबिंग/ सैनिटरी शिकायत के कार्यों को करने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करना। बैंक की प्रॉपर्टीज़ में ठीक से रहने के लिए इंस्टॉलेशन को काम करने लायक, साफ़ और हाइजीनिक हालत में

रखना, जिसमें सीवर लाइन/मैनहोल/सेप्टिक टैंक, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन, फव्वारे आदि की समय-समय पर सफ़ाई शामिल है, और ज़रूरत पड़ने पर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के एक्स्ट्रा मैनपावर लगाकर।

i. प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य

- a. मिट्टी की वेस्ट लाइन, गली/ नहानी ट्रैप, मैनहोल, इंस्पेक्शन चैंबर, बॉटल ट्रैप, सिंक, वॉश हैंड बेसिन, यूरिनल, वॉटर क्लॉसेट में रुकावटों को हटाना और बैंक के परिसर के बाहर मलबा हटाना बिना किसी खर्च के। कनेक्टिंग पीस, नल, स्टॉप कॉक, वाल्व या किसी अन्य CI फिटिंग जैसे आई प्लग आदि को हटाने और फिर से लगाने के दौरान, उन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बदला जाएगा।
- b. वॉशर बदलने की कीमत में बिब टैप, पिलर टैप, स्टॉप कॉक, फ्लशिंग सिस्टर्न के लिए रबर गैस्केट और लो लेवल फ्लशिंग टैंक के लिए प्लंजर वॉशर शामिल हैं।
- c. फ्लशिंग सिस्टम CI/PVC/किसी भी दूसरे मेक पॉर्सिलेन, फोर्डहैम की रिपेयरिंग जिसमें साइफन, बेल्स, फ्लोट वाल्व हटाना, कॉटर पिन प्लंजर वॉशर, साइफन के लिए नट और बोल्ट, 'S' हुक, बॉल-कॉक के लिए नकुचा आदि लगाना शामिल है, जिसमें टैंकों को हटाना और सही साइज़ की नई एक्सेसरीज़ से फिर से लगाना शामिल है।
- d. वॉटर हीटर, गीज़र, कूलर, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के मामले में प्लंबिंग कनेक्शन को डिस्कनेक्ट और रीकनेक्ट करना, जब भी ऐसे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को बदलने/रिपेयर करने की ज़रूरत हो।
- e. अलग-अलग ड्रेनेज लाइनों के जोड़ों, वॉश बेसिन, सिंक और दीवारों के बीच के गैप को सीमेंट करना, फर्श और डैडो की टाइलों के जोड़ों को पॉइंट करना, ढीली टाइलों, फर्श और डैडो को सीमेंट करना, जिसमें उन्हें सफेद सीमेंट और मैचिंग पिगमेंट से फिर से फिक्स करना शामिल है।
- f. ढीले फिक्स्चर और फिटिंग को फिर से लगाना, जिसमें समर्थित ब्रैकेट जैसे वॉश बेसिन, सिंक, फ्लशिंग सिस्टर्न, ड्रेन बोर्ड, टॉवल रॉड, मिरर, ग्लास शेल्फ, सोप होल्डर, नहानी ट्रैप, ग्रेटिंग और प्रॉपर्टी में मौजूद कोई भी दूसरा फिक्स्चर और फिटिंग शामिल हैं, जिसमें बिना किसी नुकसान के मौजूदा फिटिंग/फिक्स्चर को हटाना भी शामिल है। सीमेंट मोर्टार में नई लकड़ी की गट्टियों की ग्राउटिंग करना और नए स्कू से फिर से लगाना; जहाँ ज़रूरी हो वहाँ हटाना।
- g. जब भी पंप को रिपेयर/रिप्लेसमेंट के लिए ले जाना हो, तो पानी के पंप के सक्शन और डिलीवरी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट और रीकनेक्ट करना। ज़रूरत पड़ने पर सक्शन लाइन/डिलीवरी लाइन से एयर लॉक हटाना।
- h. जांच की जाएगी और जब भी ज़रूरत होगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाएगा।
- i. बैंक में मोबाइल/डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ज़रिए रखी गई कंप्लेंट बुक में रहने वाले की तरफ़ से रजिस्टर की गई कंप्लेंट को रोज़ चेक किया जाएगा और सभी कंप्लेंट पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। ठीक से काम पूरा होने के बाद, उस कंप्लेंट पर रहने वाले या उनके रिप्रेजेंटेटिव से साइन लिए जाएंगे और उसके बाद उस प्रॉपर्टी के केयरटेकर से साइन लिए जाएंगे। कोई भी कंप्लेंट 5 वर्किंग डेज़ से ज्यादा पेंडिंग नहीं रखी जाएगी।
- j. बैंक के अधिकारियों के निर्देशानुसार फव्वारों के ठीक से चलने के लिए कोई भी प्लंबिंग या सिविल मरम्मत।
- k. जलभराव वाले इलाकों की सफ़ाई (जब भी हो)

- l. रोज़ाना वॉटर मीटर रीडिंग रजिस्टर मेंटेन करना और बैंक के अधिकारियों को दिखाना और PDCO ग्रीन पोर्टल पर आगे सबमिट करने के लिए मंथली और क्वार्टर्सली रिपोर्ट तैयार करना। सभी वॉटर मीटर का समय-समय पर/रेगुलर जनरल मेंटेनेंस करना।
- m. अगर ज़रूरत हो, तो लोकल अधिकारियों से संपर्क करें।
- n. दीवार की क्लैडिंग की सफाई।
- o. सॉइल पाइप, पानी के पाइप, प्लंबिंग और सैनिटरी सिस्टम के लिए सभी इनलेट और आउटलेट पाइप का रखरखाव और सही काम करना
- p. पाइप आदि के लीकेज से होने वाले रिसाव को रोकना।
- q. प्लंबिंग/सफाई के काम की वजह से निकला कचरा हटाकर कॉर्पोरेशन के कूड़ेदान में डालना होगा या बैंक की स्थान के बाहर कानूनी नियमों के हिसाब से सही स्थान पर फेंकना होगा।
- r. बैंक की इच्छा के अनुसार कोई अन्य संबंधित कार्य।

ii. माह में दो बार किए जाने वाले कार्य

- a. मेन ऑफिस परिसर में फव्वारे की पूरी तरह सफाई।
- b. प्लंबिंग के काम की वजह से जमा हुए मलबे को हटाना।
- c. स्थान का इन्स्पेक्शन और बड़ी कमियों की रिपोर्ट जमा करना।

iii. मासिक आधार पर किए जाने वाले कार्य

- a. छत की सफाई - छज्जा, जाली, सड़क गली आदि।
- b. जहां भी इमारतें दिखें, वहां से पेड़-पौधों की सफाई करें।
- c. परिसर के अंदर इमारतों/ढांचों पर और उसके आस-पास किसी भी जंगली पौधे को उखाड़ना। जहाँ भी ज़रूरी हो, एसिड से भी ऐसा किया जाएगा।
- d. छतों आदि से पानी के त्वरित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए छतों, छतरियों पर वर्षा जल के आउटलेट को मलबे, विदेशी सामग्री आदि से मुक्त रखना। एक वर्ष में मासिक आधार पर और वर्षा ऋतु के दौरान प्रत्येक पखवाड़े के आधार पर निवारक अनुरक्षण सफाई की जानी होती है।
- e. ड्रेनेज स्लैब का रखरखाव।

iv. छमाही आधार पर किए जाने वाले

- a. सभी कानूनी नियमों का पालन करते हुए, परिसर के अंदर मैनहोल और सेप्टिक टैंक, सड़क की नाली आदि से कीचड़ हटाने सहित नालियों/सीवर लाइनों की सफाई करना, म्युनिसिपल मैनहोल तक (जिसमें मलबा हटाना और उसे परिसर से बाहर फेंकना शामिल है)।
- b. खाली प्लैट में प्लंबिंग/सैनिटरी इंस्टॉलेशन का हर छह महीने में इन्स्पेक्शन करके रिपोर्ट जमा करनी होगी।
- c. ऊपरी नालियों, बारिश के पानी के पाइपों, चैंबरों और मैनहोल की सफाई, जिसमें इमारतों के पाइपों और छतों पर लगी हल्की गंदगी को हटाना भी शामिल है।
- d. केयरटेकर/बैंक के अधिकारियों से सलाह करके STP टैंकों की सफाई।

- e. स्टॉर्म वॉटर ड्रेन की सफाई।
- f. सभी तरह के वाल्व की सर्विसिंग।

v. इमरजेंसी में किए जाने वाले

- a. साइक्लोन आदि जैसी किसी भी आपदा के लिए पहले और बाद की तैयारी का इंतज़ाम।
- b. किसी भी इमरजेंसी, ऑफिशियल ज़रूरत के लिए, यहाँ तक कि काम के समय के बाहर भी सर्विस दी जानी चाहिए।

(A) नीचे दिए गए काम की लागत कोटेड दरों में शामिल होनी चाहिए:

दिए गए रेट में सभी तरह की कंज्यूमेबल्स भी शामिल होंगी **(देखें एनेक्सर VII I.)** (उदाहरण के लिए, बिब कॉक/एंगल कॉक/फ्लश कॉक के वॉशर, टेप्लॉन टेप और सभी उपकरण इत्यादि की लागत, जैसा कि साइट पर आवश्यक हो।

नोट: प्लंबिंग के काम की मरम्मत/बदलने/रखरखाव के लिए ज़रूरी कोई भी सामान बैंक देगा, सिवाय ऊपर (B) में बताई गई वस्तु के।

अगर सफल बिडर ऐसा नहीं कर पाता है, तो यह काम बैंक अपनी अन्य एजेंसियों से संविदाकर्ता के रिस्क और खर्च पर करवाएगा और बैंक का खर्च संविदाकर्ता के महीने के बिल से वसूला जाएगा।

4. प्लंबर के कर्तव्य:

- i. **प्रकृति की सफाई और नलसाजी कार्यों में भाग लेने के लिए** शनिवार, रविवार और छुट्टियों (बैंक द्वारा तय किए गए प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक दिन का साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर) सहित प्रति सप्ताह छह कार्यदिवसों पर आवश्यक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों के साथ अनुभवी प्लंबर और हेल्पर की सेवाएं प्रदान करना, जिसमें निवारक रखरखाव और टूट-फूट की मरम्मत आदि शामिल है। उनके कार्य के दायरे में जल आपूर्ति और जल निकासी पाइपलाइनों, नलों, दीवार मिश्रणों, सिंक-मिश्रण, जाल, फ्लशिंग सिस्टर्न, शौचालय, वॉशबेसिन, मूत्रालय, पानी के मीटर, फ्लोट वाल्व, गेट वाल्व, स्लुइस वाल्व आदि की मरम्मत शामिल है; सैनिटरी और प्लंबिंग फिटिंग की मरम्मत {प्लंबिंग फिटिंग की लागत बैंक की मानक स्वीकृत दरों (एसएआर) पर या बाजार दरों पर या सीपीडब्ल्यूडी दरों के अनुसार स्वीकार्य लाभ और गैर एसएआर मदों के लिए ओवरहेड्स के साथ अलग से भुगतान की जाएगी}, जाल, डब्ल्यूसी, सीवर लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों में हवा की रुकावट या कॉलोनी में सैनिटरी और प्लंबिंग स्थापना से संबंधित किसी भी अन्य कार्य आदि की रुकावट को हटाना, सभी निर्देशानुसार पूरे किए जाएंगे।
- ii. उपरोक्त कार्यों के संबंध में सेवा करार में फिटिंग, फिक्सचर, पाइप, क्लैप इत्यादि जैसी सामग्री की लागत शामिल नहीं होगी। हालांकि, इसमें सभी उपभोग्य/नाशपाती सामग्री जैसे काता यार्न, पुट्टी, सूती धागा, वाशर इत्यादि, आवश्यक उपकरण और संयंत्र, दैनिक रखरखाव और मरम्मत, निवारक रखरखाव, प्रतिस्थापन इत्यादि के लिए आवश्यकतानुसार अनुभवी प्लंबर/श्रम की सेवाएं **(अनुलग्नक VIII देखें) शामिल होगी ।**

- iii. मानसून से पहले छतों पर सनशेड, ऊपरी नालियों, बारिश के पानी के पाइप, छज्जे , गली ट्रैप, बारिश के पानी के ड्रेन, खुरा /बारिश के पानी के पाइप के मुँह आदि की वर्ष में एक बार सफाई करें, ताकि बारिश के पानी के बहने में रुकावट न आए।
- iv. सभी तरह के वाल्वों का 6 महीने में एक बार ऑपरेशन और सर्विसिंग।
- v. पानी की टंकियों (ओवरहेड और अंडरग्राउंड), टॉयलेट, किचन, छतों और कॉमन एरिया आदि का इंस्पेक्शन, उनकी कंडीशन और लीकेज आदि के बारे में, 6 महीने में एक बार किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट बैंक के संबंधित स्टाफ को दी जाएगी।

5. मैनपावर आवश्यकता सारणी

ऊपर बताए गए काम को करने के लिए जिन लोगों को लगाने की ज़रूरत है, उनकी अनुमानित संख्या नीचे दी गई है। हालांकि, बैंक के पास काम देने से पहले या संविदा के दौरान कभी भी लगाए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

स्थान	न्यूनतम मैनपावर आवश्यकता	
	कुशल	अर्द्ध कुशल
मुख्य कार्यालय भवन	01	01
नयापल्ली में अधिकारियों के क्वार्टर्स	01	01
विद्युत मार्ग पर स्टाफ क्वार्टर्स	01	01
बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स	01	01
उप-कुल	04	04

2.3 पंप संचालन

1. कार्य क्षेत्र:

नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स , विद्युत मार्ग और बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स के लिए है , जिसमें सभी तरह के रूटीन, प्रिवेंटिव, समय-समय पर होने वाले मेंटेनेंस के काम शामिल हैं, खासकर पंप ऑपरेशन के। भविष्य में परिसर में जो भी एडिशन/ऑल्टरेशन किया जाएगा, वह भी कवर किया जाएगा।

2. मैनपावर का विवरण:

बोलीकर्ता को बैंक के अधिकारियों/कॉलोनी केयरटेकर/सुपरवाइज़र से निर्देश लेने के लिए साइट पर पंप ऑपरेटर तैनात करने होंगे।

3. पंप संचालन:

(ए) प्रदान की जाने वाली सेवाओं में मोटे तौर पर की निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे

ऊपर बताए गए चार बैंकों की जगहों के लिए 4 सेमी-स्किल्ड पंप ऑपरेटरों की सर्विस लेकर पंप ऑपरेशन और उससे जुड़े रूटीन/पीरियोडिक/प्रिवेंटिव मेंटेनेंस/ब्रेकडाउन, पंप से जुड़े कंप्लेंट कार्यों को अटेंड करने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करना और करना।

i. प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य

- a. हर साइट पर ऑपरेटिंग स्टाफ रोज़ाना पंप ऑपरेशन का ध्यान रखेगा ताकि पूरे वर्ष बिना रुके पानी की सप्लाई हो सके।
- b. तय जगहों पर पानी उठाने और सबमर्सिबल पंप-मोटर सेट के रोज़ाना के ऑपरेशन के साथ-साथ बचाव का रखरखाव भी करें।
- c. काम की स्थान के पंप हाउस में लगे LT पैनल, मेन स्विच और बस-बार चैंबर, पंप-मोटर सेट के स्टार्टर से जुड़ी शिकायतों को दूर करें।
- d. पंप रूम और इक्विपमेंट की सफाई।

ii. प्रत्येक माह किए जाने वाले कार्य

- a. अगर ज़रूरी हो, तो ग्लैंड पैकिंग की चेकिंग और प्रूफिंग।
- b. मोटर टर्मिनल बॉक्स में कनेक्शन की जांच और कसावट।
- c. स्विच और स्टार्टर का सामान्य निरीक्षण और सफाई।
- d. इक्विपमेंट की सेप्टी के लिए प्रोटेक्शन रिले और प्रिवेंटर की टेस्टिंग।
- e. केबल कनेक्शन को कसना।

iii. वार्षिक आधार पर किए जाने वाले कार्य

- a. पंप और मोटर बेयरिंग को लुब्रिकेट करना।
- b. पंप शाफ़्ट चेक करें।
- c. पंप कपलिंग चेक करें।
- d. केबल, पैनल और मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट।
- e. अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट।

iv. इमरजेंसी में किए जाने वाले कार्य

- a. साइक्लोन आदि जैसी किसी भी आपदा के लिए पहले और बाद की तैयारी का इंतज़ाम।
- b. किसी भी इमरजेंसी, ऑफिशियल ज़रूरत के लिए, यहाँ तक कि काम के समय के बाहर भी सर्विस दी जानी चाहिए।

(B) नीचे दिए गए काम की लागत कोटेड दरों में शामिल होनी चाहिए:

दिए गए रेट में साइट पर ज़रूरत के हिसाब से सभी तरह के कंज्यूमेबल्स ऑयल, ग्रीस, कॉटन वेस्ट आदि भी शामिल होंगे। (**Annexure VIII देखें**)

नोट: पंप चलाने के काम की मरम्मत/बदलने/रखरखाव के लिए ज़रूरी कोई भी सामान सिवाय ऊपर (B) में बताई गई वस्तु के बैंक देगा।

अगर सफल बिडर ऐसा नहीं कर पाता है, तो यह काम बैंक अपनी अन्य एजेंसियों से संविदाकर्ता के रिस्क और खर्च पर करवाएगा और बैंक का खर्च संविदाकर्ता के महीने के बिल से वसूला जाएगा।

4. पंप ऑपरेटरों के कर्तव्य

- ज़रूरी टूल्स और इस्तेमाल होने वाली वस्तु के साथ **अनुभवी पंप ऑपरेटरों की सर्विस देना, जिसमें शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन शामिल हैं, जिसमें कोई वीकली छुट्टी नहीं होगी।** इसमें पंप ऑपरेशन और मेंटेनेंस के काम शामिल हैं, जिसमें रेगुलर काम शामिल हैं, जिसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन रिपेयर आदि शामिल हैं।
- बैंक के इंजीनियर से सलाह करके रोज़ाना की शिकायतों को देखने, पंप चलाने और बिजली के इंस्टॉलेशन के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए लॉगबुक/रजिस्टर बनाए रखें और जब भी बुलाया जाए, उसे बैंक को दें।
- रोज़ाना रीडिंग रिकॉर्ड करके वॉटर मीटर रजिस्टर मेंटेन करें और जब भी बुलाया जाए, उसे बैंक के इंजीनियर्स को जमा करें।
- काम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और स्पेसिफिकेशन के अनुसार, जो अप-टू-डेट हैं, और बैंक की पूरी संतुष्टि के अनुसार किया जाना चाहिए।

5. मैनपावर आवश्यकता सारणी

ऊपर बताए गए काम को करने के लिए जिन लोगों को लगाने की ज़रूरत है, उनकी अनुमानित संख्या नीचे दी गई है। हालांकि, बैंक के पास काम देने से पहले या संविदा के दौरान कभी भी लगाए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

स्थान	न्यूनतम मैनपावर आवश्यकता
	अर्द्ध कुशल
मुख्य कार्यालय भवन	01
नयापल्ली में अधिकारियों के क्वार्टर्स	01
विद्युत मार्ग पर स्टाफ क्वार्टर्स	01
बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स	01
उप-कुल	04

सेमी-स्किल्ड वर्कर को 650 वोल्ट तक के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और बैंक, इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बिल्डिंग, प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन, रेजिडेंशियल कॉलोनी आदि में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क / पंप ऑपरेशन का कम से कम तीन वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। (बिड की स्कूटनी के समय एम्प्लॉयर से वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा)

2.4 बढ़ईगीरी और निर्माण

1. कार्य क्षेत्र:

नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग और बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स के लिए है, जिसमें सभी तरह के रूटीन, प्रिवेंटिव, समय-समय पर होने वाले मेंटेनेंस के काम शामिल हैं, जैसे आम तौर पर कारपेंटरी, फैब्रिकेशन और इंटीरियर के काम। भविष्य में परिसर में जो भी एडिशन/ऑल्टरेशन किया

जाएगा, वह भी कवर किया जाएगा। संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे काम की मात्रा का अंदाज़ा लगाने के लिए अपने रेट बताने से पहले साइट पर जाएं।

2. मैनपावर का विवरण:

सफल बिडर को साइट पर एक्टिव मोबाइल फ़ोन वाला कारपेंटर रखना होगा (संविदाकर्ता का दिया हुआ मोबाइल फ़ोन किसी भी खराबी या इमरजेंसी सर्विस के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए) ताकि वह बैंक के अधिकारियों/कॉलोनी के केयरटेकर/सुपरवाइज़र से इंस्ट्रक्शन कर सके और इस संविदा के तहत सभी प्रॉपर्टी/कार्यों के लिए ज़िम्मेदार हो।

3. बढ़ईगीरी और निर्माण

(A) दी जाने वाली सेवाओं के दायरे में सामान्यतः निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:-

संविदा के तहत दी जाने वाली सर्विस में बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के ये काम शामिल होंगे:

ऊपर बताई गई चार जगहों पर बढ़ईगीरी से जुड़े रूटीन/समय-समय पर होने वाले/रोकथाम वाले मेंटेनेंस के कार्यों के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करना और उन्हें करना, जो बढ़ई और हेल्पर करेंगे। रूटीन/रोकथाम वाले/टूट-फूट वाली बढ़ईगीरी/सिविल शिकायतों को देखना और बैंक की प्रॉपर्टीज़ में ठीक से रहने के लिए इंस्टॉलेशन को काम की, साफ़ और हाइजीनिक हालत में रखना, जैसे दरवाज़ों/खिड़कियों/लकड़ी/धातु की वस्तु, गेट की तेल लगाना/मरम्मत करना/बदलना, कपड़े टांगने वाले सिस्टम की मरम्मत, नई नेम प्लेट बनाना, नंबर/लेटरिंग का काम, POP फॉल्स सीलिंग की मरम्मत, अन्य फॉल्स सीलिंग की मरम्मत और कॉर्निस आदि की मरम्मत, स्टील की खिड़की से जुड़े काम, मॉड्यूलर किचन से जुड़े काम, लेटर बॉक्स की मरम्मत, एयर-कंडीशनर के लिए खिड़की खोलने/ग़्रिल में बदलाव, लोहे, स्टील और एल्यूमीनियम से बने सामान की वेल्डिंग का काम, आदि और दूसरे जुड़े काम। रेट में कील और स्कू, एडहेसिव, पुट्टी, टूल्स और प्लांट आदि की कीमत शामिल होगी **(देखें एनेक्सर VIII)**। ये सभी काम बैंक के बताए अनुसार साइट पर पूरे किए जाएंगे। साथ ही, जब भी ज़रूरत होगी, संविदाकर्ता और मैनपावर भी लगाएगा।

i) प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य

- ढीले हार्डवेयर आइटम को हटाना और साइट आदि पर ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी स्कू लगाकर फिर से लगाना पूरा हो गया।
- घिसी हुई लकड़ी की बीडिंग, लकड़ी के कोई भी हिस्से, दरवाज़े और खिड़की के शटर के टूटे हुए कांच के शीशे और कोई भी खराब हार्डवेयर फिटिंग आदि बदलना।
- बाथरूम/WC दरवाज़ों की रिपेयरिंग, जिसमें पैनल, स्टाइल/रेल, कांच के शीशे, नाइट-लैच, सभी हार्डवेयर जैसे टावर-बेल्ट, हुक और आई, हैंडल, कब्जे आदि को थोड़ा बदलना शामिल है, जिसमें लकड़ी/एल्युमिनियम/स्टील के दरवाज़े भी शामिल हैं।
- लोहा, स्टील और एल्युमीनियम से जुड़े रिपेयर और वेल्डिंग के काम से फर्नीचर, दरवाज़े, खिड़की आदि बनते हैं।
- अलमारी, दरवाज़े आदि की चाबियों की मरम्मत/बदलना।

- f. बैंक/केयरटेकर/मोबाइल/डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ रखी गई कंप्लेंट बुक में रहने वाले की रजिस्टर की गई कंप्लेंट को रोज़ाना चेक किया जाएगा और सभी कंप्लेंट पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। ठीक से काम पूरा होने के बाद, रहने वाले या उनके रिप्रेजेंटेटिव से साइन लिए जाएंगे। कंप्लेंट रजिस्टर में रजिस्टर की गई कोई भी कंप्लेंट पांच दिन से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रखी जाएगी।
- g. बैंक की मंजूरी से खरीदी गई फिटिंग/फिक्स्चर और दूसरे सामान का पेमेंट बैंक के SAR के हिसाब से या बैंक द्वारा मंज़ूर सही रेट/मार्केट रेट पर किया जाएगा। या बढ़ईगीरी के काम के लिए लागू CPWD रेट के अनुसार।
- h. बढ़ईगीरी के काम से निकला मलबा हटाकर कॉर्पोरेशन के कूड़ेदान में डालना होगा या बैंक की स्थान के बाहर कानूनी नियमों के हिसाब से सही स्थान पर फेंकना होगा।
- i. बैंक के परिसर/कॉलोनीयों के अंदर फर्नीचर की शिफ्टिंग।
- j. सभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्यों पर ध्यान देना।
- k. पर्दे की रॉड, मच्छरदानी आदि लगाना।
- l. बैंक के अधिकारियों के बताए अनुसार कोई भी दूसरा काम।
- m. दरवाज़े/खिड़कियों, मॉड्यूलर किचन, लैच/हैंडल, टेबल/दराज, कुर्सियाँ आदि/सोफे, बेड और अलमारी की छोटी-मोटी मरम्मत। सामान की कीमत बैंक के स्टैंडर्ड अप्रूव्ड रेट के हिसाब से अलग से दी जाएगी या नॉन-SAR आइटम के मामले में मार्केट रेट पर मुनाफ़े के साथ या लागू CPWD रेट के हिसाब से दी जाएगी।

ii) महीने में दो बार किए जाने वाले कार्य

- a. ऑफिस की स्थान, अन्य जगहों का इन्स्पेक्शन और बड़ी कमियों की रिपोर्ट जमा करना।

iii) अनुरोध के आधार पर किए जाने वाले कार्य

- a. टेबल की दराजों की सर्विसिंग/रिपेयरिंग, कुर्सियों की चेकिंग आदि।

iv) छमाही आधार पर किए जाने वाले कार्य

- a. कब्ज़ों आदि पर ग्रीसिंग और तेल लगाना।
- b. दरवाज़े बंद करने की सर्विसिंग।
- c. फ़्लोर स्प्रिंग्स की सर्विसिंग।

v) इमरजेंसी में किए जाने वाले कार्य

- a. साइक्लोन आदि जैसी किसी भी आपदा के लिए पहले और बाद की तैयारी का इंतज़ाम।
- b. किसी भी इमरजेंसी, ऑफिशियल ज़रूरत के लिए, यहाँ तक कि काम के समय के बाहर भी सर्विस दी जानी चाहिए।

(बी) द नीचे दिए गए काम की लागत कोटेड दरों में शामिल होनी चाहिए:

- a) काम पूरी ऊँचाई पर किया जाएगा; स्कैफोल्डिंग आदि के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया जाएगा।
- b) उपभोग्य वस्तुएं जैसे टेप, नट, कील, बोल्ट, ग्लैंड/थिम्बल, लेड वायर आदि **(देखें अनुलग्नक VIII)**

टिप्पणी: बढ़ईगीरी/फैब्रिकेशन के काम में रिपेयर/रिप्लेसमेंट/मेंटेनेंस के लिए सिवाय ऊपर (B) में उल्लिखित को छोड़कर अन्य ज़रूरी कोई भी सामान बैंक देगा।

अगर सफल बिडर ऐसा नहीं कर पाता है, तो यह काम बैंक अपनी अन्य एजेंसियों से संविदाकर्ता के रिस्क और खर्च पर करवाएगा और बैंक का खर्च संविदाकर्ता के महीने के बिल से वसूला जाएगा।

4. बढ़ई/सेमी-स्किल्ड हेल्पर के काम

- रविवार और छुट्टियों सहित हफ़्ते के छह दिनों में (बैंक द्वारा तय हर वर्कर के लिए एक हफ़्ते की छुट्टी को छोड़कर) **अनुभवी बढ़ई और हेल्पर को ज़रूरी औज़ारों और इस्तेमाल होने वाली वस्तु के साथ सर्विस देना।** ये काम कॉलोनी के लोगों द्वारा केयरटेकर के ऑफ़िस या कॉलोनी के मेन गेट पर रखे शिकायत रजिस्टर में दर्ज शिकायतों को देखने से जुड़े हो सकते हैं। इस AMC के दायरे में बढ़ईगीरी/फैब्रिकेशन के कार्यों से निकलने वाले मलबे को हटाना।
- सर्विस संविदा में स्कैफ़ोल्डिंग, T&P, कंज्यूमेबल्स जैसे कील, स्कू, वॉशर, PVC या लकड़ी की गट्टी, एडहेसिव, सैंडपेपर, लुब्रिकेंट/ऑयल आदि का खर्च शामिल होगा (**एनेक्सर VIII देखें**) सभी निर्देशानुसार पूरे हुए।
- खाली प्लैट में कारपेंटरी फिटिंग/फिक्स्चर का हर छह महीने में इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट जमा करनी होगी।
- बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार शिकायत रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, रूटीन/रोकथाम/समय-समय पर होने वाले मेंटेनेंस काम का रजिस्टर, और कोई भी अन्य लॉगबुक का मेंटेनेंस।

5. मैनपावर आवश्यकता सारणी

ऊपर बताए गए काम को करने के लिए जिन लोगों को लगाने की ज़रूरत है, उनकी अनुमानित संख्या नीचे दी गई है। हालांकि, बैंक के पास काम देने से पहले या संविदा के दौरान कभी भी लगाए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

स्थान	न्यूनतम मैनपावर आवश्यकता [बढ़ई]		न्यूनतम मैनपावर आवश्यकता [फैब्रिकेटर्स]	
	कुशल	अर्द्ध कुशल	कुशल	अर्द्ध कुशल
मुख्य कार्यालय भवन	01	01	02	02
नयापल्ली में अधिकारियों के क्वार्टर्स	01	01		
विद्युत मार्ग पर स्टाफ क्वार्टर्स	01	01		
बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स	01	01		
उप-कुल	04	04	02	02

2.5 इलेक्ट्रिकल काम

1. कार्य क्षेत्र:

नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग में स्टाफ क्वार्टर्स और बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के सभी तरह के रूटीन, प्रिवेंटिव, पीरियोडिकल, ब्रेकडाउन

मेंटेनेंस के काम शामिल हैं। भविष्य में परिसर में किया जाने वाला कोई भी एडिशन/ऑल्टरेशन भी कवर किया जाएगा।

2. संविदा के तहत दी जाने वाली सर्विसेज़ के दायरे में सामान्यतः इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के काम के ये आइटम शामिल होंगे:

- a. डीज़ल जनरेटर सेट (अगर उपलब्ध हों), ट्रांसफॉर्मर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर और सभी पावर पैनल की रोज़ाना चेकिंग और सफ़ाई करना ताकि वे ठीक से काम कर रहे हों और लॉगबुक बनाए रखें।
- b. भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार कार्यालय / कॉलोनी परिसर में 220/440 वोल्ट विद्युत और विद्युत-यांत्रिक प्रणालियों के सभी दैनिक विद्युत रखरखाव और मरम्मत / सुधार / पुनर्स्थापना में भाग लेना, जिसमें सभी विभाग, वाल्ट, आवासीय फ्लैट, सामुदायिक हॉल, कार्यवाहक कार्यालय, स्ट्रीट लाइट, ट्रांसफार्मर यार्ड और फ्यूज बॉक्स, मीटर पैनल, जिम, इनवर्टर और बैटरी स्थापना, सामान्य क्षेत्र, डिस्पेंसरी आदि शामिल हैं और परिसर के अंदर कार्यवाहक या तकनीकी कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य आवश्यक कार्य।
- c. बिजली जाने पर, बिजली जल्दी ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि फ़ॉलो-अप किया जाए, शिकायत दर्ज की जाए और बिजली सर्विस प्रोवाइडर से बात की जाए। स्थान के अंदर बिजली सप्लाई ठीक करने के दौरान बिजली सर्विस प्रोवाइडर की मदद की जानी चाहिए।
- d. अर्थिंग की हालत का विजुअल इंस्पेक्शन और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालना।
- e. बिजली जाने पर DG सेट का ऑपरेशन और मॉनिटरिंग (जहां DG सेट उपलब्ध हो)। साथ ही, घर की जगहों पर बैकअप के तौर पर काफी डीज़ल का स्टॉक पक्का करना।
- f. सभी बड़े स्विच गियर इक्विपमेंट जैसे मेन स्विच, फ्यूज बॉक्स, केबल टर्मिनेशन बॉक्स, आदि का समय-समय पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और विजुअल चेक (हर तिमाही में एक बार) और हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के एंट्रेंस पर लगे मीटर बॉक्स, फीडर पैनल आदि की कंडीशन का असेसमेंट (हर तिमाही में एक बार)। सिस्टम को ठीक रखने के लिए ज़रूरी सामान बैंक देगा।
- g. सोलर पावर प्लांट आदि की रोज़ाना चेकिंग और सफ़ाई, ताकि वह ठीक से काम कर सके।
- h. केयरटेकर, प्रोटोकॉल और सिव्क्योरिटी ऑफिसर, ऑफिस स्टाफ और स्टाफ क्वार्टर्स में रहने वालों से मिली बिजली की शिकायतों के रोज़ाना के मेंटेनेंस पर ध्यान देना।
- i. इमरजेंसी में बिजली जाने की रिपोर्ट करने के लिए लोकल बिजली सप्लाई अधिकारियों से संपर्क करें।
- j. ऊपर बताई गई चारों जगहों पर सभी पानी के पंप, स्टार्टर पैनल और मोटर की ठीक से काम करने के लिए चेकिंग और ज़रूरत पड़ने पर रिपेयरिंग।
- k. वर्ष में एक बार एगजॉस्ट, दीवार पर लगे, पेडस्टल और सीलिंग पंखों की चेकिंग और ज़रूरत पड़ने पर रिपेयरिंग।
- l. सभी फ्लैट, सीढ़ियों, स्ट्रीटलाइट, पंप रूम आदि में सभी स्विच, MCB, फ्यूज, केबल टर्मिनल, मीटर पैनल, सब पावर पैनल आदि का हर तीन महीने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके बाद इंसुलेशन समेत पूरे सिस्टम की अच्छी तरह से चेकिंग की जाएगी। इसमें ऑफिस परिसर, ऑफिसर/स्टाफ़ क्वार्टर्स में खराब/ढीले टर्मिनल को ठीक करने के उपाय शामिल हैं और इसे रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा।

- m. ऊपर बताई गई चार जगहों पर लाइट, पंखे, जूता पॉलिश मशीन, गीजर, कोई भी दूसरे इलेक्ट्रिकल गैजेट आदि का मेटेनेंस, जिसमें पाथवे लाइट, कॉमन एरिया लाइट आदि शामिल हैं।
- n. केबल, सीलिंग फैन, गीजर, UPS और बैटरी, एनर्जी मीटर पैनल आदि की रेगुलर चेकिंग और सफाई और ज़रूरत पड़ने पर रिपेयरिंग।
- o. रेगुलर बेसिस पर स्टार्टर कनेक्शन को टाइट होने के लिए चेक करना और रिपेयर करना।
- p. स्ट्रीट लाइट और आस-पास की लाइटिंग की चेकिंग और रिपेयरिंग करके उसे तुरंत ठीक करना।
- q. 1 ऑफिस बिल्डिंग और कॉलोनिजों में ज़रूरत पड़ने पर रोज़ाना लाइट चालू/ बंद करने का काम।
- r. सफल बिडर ऊपर बताई गई चारों जगहों पर सभी इंस्टॉलेशन के प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन मेटेनेंस के लिए उन्हीं इलेक्ट्रीशियन के ज़रिए ज़िम्मेदार होगा। इलेक्ट्रीशियन उन शिकायतों को देखेंगे जिनकी सलाह नहीं दी गई है, लेकिन बैंक के अधिकारियों से पहले से मंजूरी मिलने के बाद सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं।
- s. जब भी कोई खास इक्विपमेंट खराब हो जाए, तो इसकी जानकारी तुरंत बैंक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को दी जानी चाहिए। अगर सामान बदलने की ज़रूरत हो, तो बैंक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर/केयरटेकर स्टॉक में मौजूद सामान दे सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो, घर पर शिकायतों को शिफ्ट वायरमैन के ज़रिए देखा जाएगा।
- t. बिजली के काम की वजह से निकला मलबा हटाकर कॉर्पोरेशन के कूड़ेदान में डालना होगा या बैंक की स्थान के बाहर कानूनी नियमों के हिसाब से सही स्थान पर फेंकना होगा।
- u. स्थान का इन्स्पेक्शन और बड़ी कमियों की रिपोर्ट जमा करना।
- b. बैंक के अंदर सभी जगहों पर बैंक के इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्टॉलेशन में खराबी को ठीक करना और ठीक करना, जैसे सीढ़ियों की लाइटें, डिस्पेंसरी, पंप रूम, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉमन एरिया आदि।
- c. VIP एरिया जैसे RD केबिन, RD सेक्रेटेरिएट, गवर्नर रूम, DG केबिन, बोर्ड रूम आदि के लिए सभी बिजली के कनेक्शन, टेलीफोन, केबल टीवी, AC आदि की रोज़ाना जांच करना ताकि वे ठीक से काम कर रहे हों।
- d. बिजली के मीटर की रीडिंग की रोज़ाना रिकॉर्डिंग।
- e. इनवर्टर और DG सेट की बैटरी में डिस्टिल्ड वॉटर का लेवल चेक करना और ऑफिस में बैंक के इनवर्टर/DG सेट के सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक करना। बैटरी में डिस्टिल्ड वॉटर फिर से भरना और इनवर्टर के कैबिनेट और बैटरी को साफ करना। ये काम महीने में एक बार करने हैं।
- f. हर दो हफ्ते में स्थान के अंदर मिट्टी के गड्ढों में पानी डालना। सभी अर्थ स्टेशन और केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करना और छह महीने में एक बार उसकी टेस्ट रिपोर्ट जमा करना।
- g. महीने में एक बार सभी कॉमन एरिया लाइटिंग फिक्स्चर/ वॉल फैन/ सीलिंग फैन/ एग्जॉस्ट फैन/ AC डिफ्यूज़र यूनिट/ AC ग्रिल को साफ करना।
- h. मेन ऑफिस परिसर में पैसेंजर लिफ्ट/बुलियन लिफ्ट का ऑपरेशन।
- i. अलग-अलग फ़्लोर पर मौजूद SFU, फ़्लोर पैनल, MCB DBs, RCCBs, मीटर रूम, राइज़र मेन्स, पैनल रूम, पंप रूम आदि के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का रेगुलर/समय-समय पर मेटेनेंस और कसाव करना।

- j. सभी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को अप-टू-डेट कंडीशन में रखना और किसी भी व्यक्ति/कर्मचारी की शिकायत पेंडिंग नहीं रखनी चाहिए। महीने में एक बार झाड़ू से सभी इलेक्ट्रिक मीटर रूम की सफाई करना और मीटर रूम को हाइजीनिक कंडीशन में रखना।
- k. रेगुलर समय के बाद इमरजेंसी शिकायतों को देखना और ठीक करना।
- l. सभी सीलिंग फैन/वॉल फैन/पेडस्टल फैन की सेफ्टी (इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल) हर तीन महीने में एक बार चेक करना। खराब पार्ट्स जैसे स्प्लिट पिन, क्वार्टर्स पिन, रबर बुश, आदि (फैन मोटर और फैन ब्लेड को छोड़कर) बदलना।
- m. इंचार्ज इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि से सलाह करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रोज़ाना विज़िट/शिकायतों के लिए एक रजिस्टर बनाए रखना।
- n. एक महीने में DBs, पैनल आदि का इलेक्ट्रिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना और इंजीनियर-इन-चार्ज से साइन और स्टैम्प लगाकर रिपोर्ट जमा करना।
- o. पास के पावर सोर्स से RCBO/ELCB प्रोटेक्शन आदि के साथ सही वायरिंग के ज़रिए संविदाकर्ता/दूसरे सर्विस वेंडर को टेम्पररी बिजली कनेक्शन देना।
- p. वर्ष में एक बार गीजर, एग्जॉस्ट और सीलिंग फैन की पूरी सर्विसिंग करना।
- q. ट्यूब लाइट फिटिंग्स/स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स/गीजर/सीलिंग फैन/एग्जॉस्ट फैन/केबिन फैन/वॉल फैन/पेडस्टल फैन/LED/PL या फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट/PL और CFL लैंप/इलेक्ट्रिकल स्विचिंग मटीरियल (एक्सेसरीज़) को बदलने/इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी हार्डवेयर जैसे स्कू, प्लग, एंकर फास्टर, कॉर्ड वायर आदि का इस्तेमाल करना। बैंक में बदलने के लिए ज़रूरी सभी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ के लिए बैंक से पहले मंजूरी लेनी होगी।
- r. और डेड स्टॉक रिकंसिलिएशन एक्टिविटी के दौरान बैंक के इंजीनियर की मदद करना।
- s. शिकायत में सुधार के बाद शिकायत बुक में शिकायतकर्ता और केयरटेकर के साइन लेना। शिकायत बुक में शिकायत के रिमार्क कॉलम में शिकायत में सुधार न होने का कारण लिखना।
- t. बैंक के अंदर खराबी को ठीक करने या लगाने के लिए BSNL अधिकारी या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर जैसे केबल टीवी, इंटरकॉम लाइन आदि की मदद करना। लंबे समय से पेंडिंग दिक्कतों को ठीक करने के लिए BSNL अधिकारी के साथ कोऑर्डिनेट करना।
- u. लिफ्ट में कोई खराबी आने पर उसे खाली कराना और संबंधित वेंडर के पास शिकायत दर्ज कराना। बुलियन/गुड्स लिफ्ट की रोज़ाना कड़ी निगरानी/ऑपरेटिंग।
- v. अंडरग्राउंड टैंक में सबमर्सिबल पंप-मोटर सेट का बिजली कनेक्शन काटना और उसे हटाना, उसमें काम ठीक करने के बाद उसे फिर से लगाना और अंडरग्राउंड टैंक में सबमर्सिबल पंप-मोटर सेट लगाने के बाद जोड़ पर वॉटर-प्रूफ इंसुलेशन टेप लगाकर बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ना।
- w. बिल्डिंग की छत पर लगे सभी सोलर पैनल को हर 15 दिन में सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद साफ करना। मेन ऑफिस बिल्डिंग और रहने की स्थान में लगे सोलर इन्वर्टर से बिजली बनने की रोज़ाना रिकॉर्डिंग करना। अगर सोलर इन्वर्टर काम नहीं कर रहा हो, तो इसकी जानकारी बैंक के इंजीनियर को देनी होगी।
- x. बोर्ड रूम/कॉन्फ्रेंस रूम के ऑडियो/वीडियो सिस्टम की रोज़ाना चेकिंग और ऑपरेशन और PA सिस्टम की रेगुलर चेकिंग।

- y. सभी पैनल, ढीले कनेक्शन, UPS, DG सेट, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, इनवर्टर, वेट/ड्राई राइजर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, सोलर पैनल और गीजर, पैसेंजर लिफ्ट, पानी उठाने वाले पंप, PA सिस्टम, इंटरकॉम सिस्टम, VDP सिस्टम और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट आदि की रेगुलर चेकिंग और सफाई करें ताकि वे ठीक से काम करें और ठीक से काम करें और मेंटेनेंस हो।
- z. रोज़ के काम जैसे कि ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रीट लाइट और कॉमन एरिया की लाइट को ON/ OFF करना।
- aa. वेंडर को बैंक में काम करने वाले अपने स्टाफ को सही वर्दी/यूनिफॉर्म देनी होगी, जिसके आगे की जेब पर वेंडर/एजेंसी का नाम और पीछे की जेब पर प्रोफेशन (इलेक्ट्रीशियन या हेल्पर) लिखा होगा। **बोलीकर्ता को** अपने सभी कर्मचारियों को सेफ्टी शूज़, सेफ्टी गॉगल्स, 1100V रेटेड इंसुलेटेड ग्लव्स, फ्यूज पुलर और सेफ्टी हेलमेट भी देने होंगे और यह पक्का करना होगा कि वे ऊँटनी पर रहते हुए इनका इस्तेमाल करें। **प्राइस-बिड में इस्तेमाल होने वाली वस्तु के लिए बताई गई दरों में ऊपर बताई गई सेफ्टी वस्तु की कीमत भी शामिल है।**
- bb. महीने की किसी खास दिनांक को या बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार SQVM कॉलोनी में लगभग 50 एनर्जी मीटर की रीडिंग लेना और रीडिंग को बिना चूके प्रायोरिटी के आधार पर बैंक को जमा करना।
- cc. किसी भी इमरजेंसी में DG सेट, पंप, लिफ्ट, फायर एक्सटिंग्विशर आदि का ऑपरेशन।
- dd. MOP इलेक्ट्रिकल वर्कर्स के लिए आम काम के घंटे शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ़्ते के दिनों में सुबह 9:00 AM से शाम 6:00 PM तक होंगे (रोज़ के ब्रेक टाइम को छोड़कर) , जिसमें बैंक द्वारा तय किया गया एक हफ़्ते का ऑफ़ होगा। कॉलोनी में इलेक्ट्रिकल वर्कर्स के लिए आम काम के घंटे शिफ्ट में होंगे, जहाँ 24 घंटे को 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में बांटा जाएगा, अर्थात् सुबह 6AM-दोपहर 2PM, दोपहर 2PM-रात 10PM और रात 10PM-सुबह 6AM और रोटेशन के हिसाब से तैनाती 'इलेक्ट्रिकल वर्क्स' के इस स्कोप के आखिरी पेज पर दी गई मैनपावर की ज़रूरत की टेबल के अनुसार होगी। कॉलोनी में मैनपावर की तैनाती के मामले में, बैंक द्वारा तय किए गए रिप्लेसमेंट आधार पर एक दिन का हफ़्ते का ऑफ़, हर वर्कर को कानूनी कानूनों/कम्प्लायंस का पालन करने के लिए दिया जाएगा , बशर्ते कि किसी खास दिनांक और समय पर दिए गए वर्कर्स की संख्या वही रहे ।
- ee. अगर ज़रूरी हो, तो टेक्नीशियन ऑफिस में काम/शिकायतें देखने के लिए रविवार/छुट्टी के दिन ऑफिस आ सकते हैं।
- ff. यह लिस्ट सिर्फ़ बताने के लिए है। कोई भी मेंटेनेंस का काम, जिसका ऊपर खास तौर पर ज़िक्र नहीं है, लेकिन जो सिस्टम के ठीक से काम करने और शिकायत करने वाले/बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए ज़रूरी है, उसे काम के दायरे में माना जाएगा।

रेजिडेंशियल कॉलोनी में इलेक्ट्रिकल पैनल/AMF पैनल/केबल्स के मेंटेनेंस और सर्विसिंग की प्रीक्वेंसी।

एस. नं.	विवरण	आवृत्ति
---------	-------	---------

1.	यह चेक करना कि किसी इलेक्ट्रिकल पैनल में कोई असामान्य तापमान वृद्धि तो नहीं हुई है।	महीने के
2.	बस बार चैंबर को धूल और अन्य बाहरी वस्तु से साफ़ करना, अगर कोई कार्बन जमा हो, ढीले कनेक्शन, जलना, इंसुलेशन में टूट-फूट/फेलियर की जांच करना, सभी जम्पर कनेक्शन को टाइट करना आदि।	अर्धवार्षिक
3.	पैनल की मेगर टेस्टिंग (फेज टू फेज, फेज टू न्यूट्रल और फेज टू अर्थ)	अर्धवार्षिक
4.	फेज से अर्थ तक केबल की मेगर टेस्टिंग	सालाना
5.	एमीटर/टोंग टेस्टर से केबल पर लोड चेक करना	सालाना
6.	कॉन्टैक्टर्स की जांच और कॉन्टैक्ट्स की सफाई	त्रैमासिक
7.	कंट्रोल वायरिंग मीटर और प्रोटेक्ट सिस्टम और बैटरी चार्जर की चेकिंग	महीने के

दूसरे इलेक्ट्रिकल काम नीचे दिए गए हैं –

1.	पैनल, बस बार चैंबर, स्विच और केबल का फिजिकल इंस्पेक्शन (हर महीने फ्रीक्वेंसी)। (ए) संपर्क रहित तापमान मापने की तकनीकों का उपयोग करके उच्च तापमान की जाँच करना। (ख) नट और बोल्ट को कसना। (c) ब्रेकडाउन और पार्ट्स बदलने का लॉग बनाए रखना। (घ) पैनलों की भौतिक सफाई। (ई) पैनलों के मामूली जले हुए हिस्सों जैसे संकेतक, एमीटर, नियंत्रण फ्यूज, चयनकर्ता स्विच, टर्मिनल कनेक्टर और थिम्बल की आपूर्ति और मरम्मत।
2.	स्ट्रीट लाइटिंग का ब्रेकडाउन मॉनिटरिंग। (a) स्ट्रीट लाइटिंग और ओवरहेड लाइट की रोज़ाना चेकिंग करना और रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना। (b) दिन के समय स्ट्रीट लाइट/ट्यूब लाइट फिटिंग/फ्लड लाइट फिटिंग की मरम्मत। लैंप और ड्राइवर जैसा सामान बैंक देगा या SAR रेट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। (c) हालांकि, स्ट्रीटलाइट रिपेयर के लिए ज़रूरी सीढ़ी बैंक देगा और उसकी सेफ़ कस्टडी की ज़िम्मेदारी फर्म की होगी। (d) सभी लाइटों के कंट्रोल बॉक्स की जांच करना और उनकी मरम्मत करना। (ई) खंभों की अर्थिंग की जांच करना।
3.	बैंक के कहने पर ऑफिस के समय में ऑफिस बिल्डिंग की बिजली की शिकायतों पर ध्यान देना। सभी शिकायतें बैंक के दिए गए रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी और उन पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। शिकायत रजिस्टर रोज़ या ज़रूरत के हिसाब से या बैंक के इंजीनियर या बैंक के किसी ऑथराइज़्ड अधिकारी के कहने पर दिखाना होगा।

4.	अगर कोई आग लगने की इमरजेंसी हो तो बैंक के स्टाफ की मदद करना।
5.	जब भी सलाह दी जाए, पानी के पंप चलाएं।
6.	अगर कोई आदमी फंस जाए तो लिफ्ट से बाहर निकालना (अगर हो तो) और लिफ्ट खराब होने पर OEM के पास शिकायत दर्ज कराना।
7.	DG सेट और वॉटर पंप, EPABX सिस्टम, AC यूनिट, फायर अलार्म सिस्टम और पावर सोर्स से जुड़े दूसरे इक्विपमेंट समेत पूरे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर ध्यान से नज़र रखना। कोई भी ऑब्ज़र्वेशन/फॉल्ट मिलने पर, उन्हें तुरंत संबंधित स्थान के इंजीनियर-इन-चार्ज/केयरटेकर/AMC अधिकारियों को बताना होगा ताकि AMC वेंडर के ज़रिए उसे ठीक किया जा सके। बैंकों के इंजीनियरों आदि से सलाह करके रजिस्टर/लॉगबुक/कॉल शीट आदि बनाकर सभी रिकॉर्ड रखना।

3. विशेष शर्तें:

- अगर कोई स्टाफ़ छुट्टी पर है या तय कम से कम संख्या से बाहर है, तो सफल बिडर को तुरंत उतने ही सक्षम और अनुभवी व्यक्ति से उसकी स्थान लेनी चाहिए।
- हर मामले में सर्विस/मेंटेनेंस रिपोर्ट/कॉल शीट रखी जाएगी, जिस पर यूज़र/शिकायतकर्ता के बाद संबंधित प्रॉपर्टी के केयरटेकर के काउंटर साइन होंगे।
- सफल बिडर के वर्कफोर्स को ब्रेकडाउन कॉल पर तुरंत अटेंड करना चाहिए। बड़ी/छोटी शिकायतों पर तुरंत अटेंड किया जाएगा। फर्म को रविवार/बैंक हॉलिडे सहित सभी वीकडेज़ में या इमरजेंसी/बहुत ज़रूरी काम/ब्रेकडाउन आदि के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज/पेमेंट के स्टाफ/टेक्नीशियन को तैनात करना होगा।
- सफल बिडर को ज़रूरी कम से कम **LT लाइसेंस के साथ अनुभवी इलेक्ट्रीशियन को काम पर रखना होगा।** काम करने वालों की लापरवाही से ऑफिस/रेसिडेंशियल कॉलोनी में होने वाली किसी भी गड़बड़ी/नुकसान के लिए सफल बिडर ज़िम्मेदार होगा।
- सफल बिडर की LT लाइसेंस कॉपी, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी की गई हो, बैंक को जमा करनी होगी।**
- सफल बिडर को बैंक के ऑफिस जाना चाहिए और बैंक/सफल बिडर/स्टाफ की समस्याओं को सुलझाने के लिए संबंधित प्राधिकारी के साथ हर तिमाही में कम से कम एक बार या जब भी ज़रूरत हो, मीटिंग की जा सकती है।
नोट: **इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की रिपेयर/रिप्लेसमेंट/मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी कोई भी मटीरियल बैंक सप्लाई करेगा या ज़रूरी मटीरियल की कीमत बैंक के स्टैंडर्ड अप्रूव्ड रेट्स (SARs) पर या मार्केट रेट्स पर या नॉन-SAR आइटम्स के लिए मंज़ूर प्रॉफ़िट और ओवरहेड्स के साथ लागू CPWD रेट्स के हिसाब से अलग से पेमेंट की जाएगी।**
- सफल बिडर रोज़ाना के इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी टूल्स बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
- बोलीकर्ता को शिफ्ट में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन को SIM कार्ड वाला मोबाइल हैंडसेट देना होगा, जिस पर वह चौबीसों घंटे उपलब्ध रहे और उससे 24 x 7 घंटे संपर्क किया जा सके। मोबाइल हैंडसेट और SIM कार्ड के रिचार्ज के लिए बैंक कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देगा।

- i. इलेक्ट्रीशियन की ड्यूटी का समय शेड्यूल के अनुसार या बैंक के इंजीनियर द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश के अनुसार होगा।
- j. बिडर को काम के लिए रखे गए व्यक्ति का बायोडेटा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना होगा। रेगुलर इलेक्ट्रीशियन के न होने पर, बिडर किसी दूसरे इलेक्ट्रीशियन को मेंटेनेंस का काम करने के लिए ऑथराइज़ करेगा, जिस पर बिडर के हस्ताक्षर सही से ऑथेंटिकेट होंगे।
- k. बिडर को काम शुरू करने से पहले, साइट पर जॉइंट नामों से (बैंक का नाम पहले लिखा जाना चाहिए) लगाए जाने वाले इलेक्ट्रीशियन की असल संख्या के लिए वर्कमैन कम्पनसेशन पॉलिसी लेनी चाहिए।
- l. बैंक किसी भी एक्स्ट्रा क्लेम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जैसे: टैक्स/इंश्योरेंस चार्ज/एक्सीडेंट/दुर्घटना की वजह से लगे कोई भी चार्ज।
- m. सर्विस संविदा के लिए बोलीकर्ता द्वारा क्लेम की गई रकम में, संविदा के दौरान बिजली के काम की मंजूरी लेने के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड/कंपनी के साथ लायजन चार्ज भी शामिल होगा, अगर कोई हो।
- n. एजेंसी को तुरंत सर्विस देनी होगी। बिडर को कंप्लेंट बुक/मोबाइल/डेस्कटॉप एप्लीकेशन में दर्ज कंप्लेंट पर, बेहतर होगा कि कंप्लेंट दर्ज होने के समय से **उसी दिन** ध्यान देना होगा। हालांकि, बड़े इलेक्ट्रिकल काम के लिए, एजेंसी बैंक के बताए अनुसार काम पूरा करेगी। तय समय से ज़्यादा देरी होने पर, बैंक को हर उस कंप्लेंट के लिए पेनल्टी लगाने का अधिकार है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया।
- o. रेगुलर टेक्नीशियन/सेमीस्किल्ड टेक्नीशियन के न होने पर, सफल बिडर दूसरे व्यक्ति को मेंटेनेंस का काम करने के लिए ऑथराइज़ करेगा, जिस पर सफल बिडर के हस्ताक्षर सही से ऑथेंटिकेट होंगे। सफल बिडर को बैंक द्वारा अपॉइंट की गई सक्षम प्राधिकारी से ज़रूरी एंट्री पास लेने के बाद काम करना होगा। ऐसे सभी स्टाफ के पास पते के साथ फोटो आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए, जिन पर सफल बिडर के ऑथराइज़्ड सिग्नेचरी के साइन होने चाहिए।
- p. निवासियों/अलॉटी के पर्सनल बिजली के घरेलू कार्यों/मरम्मत में शामिल होना संविदा का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
- q. हर समय साफ़-सफ़ाई रखना संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारी है। इस टेंडर के तहत काम करते समय निकलने वाले मलबे/धूल या किसी भी कचरे को ज़रूरत के हिसाब से बार-बार साफ़ किया जाएगा और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार, बैंक के अंदर बताई गई स्थान पर जमा किया जाएगा। टेंडर देने वाला बैंक के अंदर बताई गई स्थान पर जमा सारा मलबा हटा देगा और जब जमा हुआ कचरा लगभग एक ट्रक लोड हो जाए या बैंक के इंजीनियर के निर्देश पर उससे पहले हो जाए, तो उसे नगर निगम के नियमों के अनुसार मंजूर कचरा डंपिंग स्थान पर ले जाएगा। इस बारे में नगर निगम अधिकारियों द्वारा उनके नियमों/रेगुलेशन के उल्लंघन के लिए लगाई गई किसी भी सज़ा/जुर्माना के लिए संविदाकर्ता पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा।
- r. बोलीकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि काम का टेंडर स्कोप और मेंटेनेंस काम के पैरामीटर बताने वाले दूसरे दस्तावेज सिर्फ़ सांकेतिक हैं और उन्हें डिटेल और फिनिश के मामले में पूरा नहीं माना जा सकता। यह उम्मीद की जाती है कि बोलीकर्ता को ऐसे टेंडर दस्तावेज का उद्देश्य समझना चाहिए और हाई स्टैंडर्ड की सर्विस देने के लिए मटीरियल, कारीगरी, फिनिश और एक्सेसरीज़ का सही इंतज़ाम करना चाहिए। बैंक के पास मटीरियल, कारीगरी, डिटेलिंग और फिनिश के चुनाव

पर ज़ोर देने का अधिकार है, जिसे वे सही और इस्तेमाल के लिए सही मानते हैं। संविदाकर्ता इस वजह से एक्स्ट्रा क्लेम करने का हकदार नहीं है। इस शर्त को न समझ पाने की वजह से बाद में संविदाकर्ता के किसी भी क्लेम पर विचार नहीं किया जाएगा। मटीरियल की क्वालिटी, काम का टाइप, कारीगरी, फिनिश आदि के बारे में बैंक का फ़ैसला आखिरी होगा और संविदाकर्ता को मानना होगा।

- s. यूनिफॉर्म और सेफ्टी आइटम पहनना: सफल बोलीकर्ता को मेंटेनेंस के काम में लगे अपने कर्मचारियों को खास यूनिफॉर्म और सभी सेफ्टी आइटम देने होंगे।
- t. बैंक के पास यह अधिकार है कि वह बिडर से रेगुलर इलेक्ट्रीशियन के रेट पर, काम के दायरे में बताए गए काम को पूरा करने के लिए साइट की ज़रूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा मैनपावर सप्लाई करने के लिए कह सकता है।
- u. अगर सफल बिडर ऐसा नहीं कर पाता है, तो यह काम बैंक अपनी अन्य एजेंसियों से संविदाकर्ता के रिस्क और खर्च पर करवाएगा और बैंक का खर्च संविदाकर्ता के महीने के बिल से वसूला जाएगा।

v. इमरजेंसी में किए जाने वाले काम:

- क) साइक्लोन आदि जैसी किसी भी आपदा के लिए पहले और बाद की तैयारी का इंतज़ाम।
- b) किसी भी इमरजेंसी, ऑफिशियल ज़रूरत के लिए, यहाँ तक कि काम के समय के बाहर भी सर्विस दी जानी चाहिए।

इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य

मोबाइल/डेस्कटॉप एप्लीकेशन या केयरटेकर के ऑफिस या कॉलोनी गेट पर रखे रजिस्टर में दर्ज रोज़ाना की बिजली की शिकायतों को देखने के लिए रोज़ाना अर्थात 24x7x365 दिन **अनुभवी लाइसेंस वाले इलेक्ट्रीशियन (स्किल्ड/सेमी-स्किल्ड कैटेगरी में) की सर्विस देना, बिजली के इंस्टॉलेशन को ठीक, साफ़ और हाइजीनिक हालत में रखना।** रेट में सभी ज़रूरी टूल्स और प्लांट्स, सभी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक टेप, कीलें, स्कू, PVC गट्टी, लकड़ी की गट्टी, 2.0 m तक लंबे तार आदि की कीमत शामिल होगी। ये सभी साइट पर ज़रूरत के हिसाब से या बैंक के इंजीनियर या बैंक द्वारा रखे गए किसी दूसरे व्यक्ति के बताए अनुसार पूरे किए जाएंगे।

4. मैनपावर की जानकारी - बिडर को साइट पर एक्टिव मोबाइल फोन वाले **लाइसेंसड इलेक्ट्रीशियन को तैनात करना होगा**, ताकि वे बैंक के अधिकारियों/कॉलोनी के केयरटेकर से इंस्ट्रक्शन ले सकें और इस संविदा के तहत सभी प्रॉपर्टी/कार्यों के लिए ज़िम्मेदार हों।

मैनपावर आवश्यकता सारणी

ऊपर बताए गए काम को करने के लिए जिन लोगों को लगाने की ज़रूरत है, उनकी अनुमानित संख्या नीचे दी गई है। हालांकि, बैंक के पास काम देने से पहले या संविदा के दौरान कभी भी लगाए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

स्थान	न्यूनतम मैनपावर आवश्यकता	
	कुशल	अर्द्ध कुशल
मेन ऑफिस बिल्डिंग – इलेक्ट्रिकल मेटेनेंस का काम और लिफ्ट ऑपरेशन	जनरल शिफ्ट में तीन वायरमैन – हफ्ते में 6 दिन – कुल वर्कफ़ोर्स – 3	जनरल शिफ्ट में दो हेल्पर – हफ्ते में 6 दिन – कुल वर्कफ़ोर्स – 2
नयापल्ली में अधिकारियों के क्वार्टर्स विद्युत मार्ग पर स्टाफ क्वार्टर्स बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स – विद्युत रखरखाव कार्य <i>शिफ्ट का समय:</i> सुबह 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक दोपहर 2.00 बजे से रात 10.00 बजे तक रात 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक	OQNP: 3 शिफ्ट में एक वायरमैन – हफ्ते में 7 दिन – कुल वर्कफ़ोर्स – 3 SQVM: 2 शिफ्ट में एक वायरमैन – हफ्ते में 7 दिन – कुल वर्कफ़ोर्स – 2 SQVM: 2 शिफ्ट में एक वायरमैन – हफ्ते में 7 दिन – कुल वर्कफ़ोर्स – 2	OQNP: 3 शिफ्ट में एक हेल्पर – हफ्ते में 7 दिन – कुल वर्कफ़ोर्स – 3 SQVM: 2 शिफ्ट में एक हेल्पर – हफ्ते में 7 दिन – कुल वर्कफ़ोर्स – 2 SQVM: 2 शिफ्ट में एक हेल्पर – हफ्ते में 7 दिन – कुल वर्कफ़ोर्स – 2
उप-कुल	10 [07 @ 365 दिन और 03 @ 312 दिन]	09 [07 @ 365 दिन और 02 @ 312 दिन]

टिप्पणी:

1. स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन: आपके पास वैलिड इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए और बैंक, इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बिल्डिंग, प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन, रेजिडेंशियल कॉलोनी आदि में कम से कम 3 वर्ष का काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। (एम्प्लॉयर से वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, स्टैच्युटरी प्राधिकारी से लाइसेंस बिड की स्कूटनी के समय जमा करना होगा)

ऑर्गनाइजेशन, रेजिडेंशियल कॉलोनी आदि में कम से कम 3 वर्ष का काम का अनुभव होना चाहिए। (बिड की स्कूटनी के समय एम्प्लॉयर से वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा)

3. 365 दिन के काम में, हर वर्कर को उन वीकली छुट्टियों के बदले सही रिप्लेसमेंट दिया जाएगा।

2.6 बागवानी

1. काम का एरिया: नीचे दी गई सर्विस बैंक के मेन ऑफिस परिसर (MOP), नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स (OQNP), विद्युत मार्ग और बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स (SQVM और SQBM) में देनी होंगी। भविष्य में परिसर में जो भी बदलाव/अलार्म किया जाएगा, वह भी कवर किया जाएगा।

2. दायरे में सामान्यतः इलेक्ट्रिकल मेटेनेंस के काम के ये आइटम शामिल होंगे:

i. हरित क्षेत्रों का रखरखाव

- a. ऊपर बताई गई चार जगहों पर ग्रीन एरिया बनाने के लिए पहले से किए गए गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर के काम का मेंटेनेंस।
- b. इस काम में रोज़ाना पानी देना, कटाई-छंटाई, खरपतवार निकालना और मेंटेनेंस से जुड़े दूसरे काम शामिल हैं। इसके लिए ज़रूरी औज़ारों और इक्विपमेंट के साथ अनस्किल्ड/स्किल्ड लेबर को लगाया जाता है। साथ ही, साइट पर ज़रूरत के हिसाब से और बैंक के ऑथराइज़्ड अधिकारियों के कहने पर अलग-अलग पौधों जैसे, झाड़ियाँ, बाड़, ग्राउंड कवर, पेड़, घास की लाइनें, लॉन एरिया, घर के अंदर गमले वाले पौधे, वर्टिकल गार्डन, फव्वारे, लैंड स्केपिंग आदि की देखभाल की जाती है।
- c. इस काम में ऊपर बताई गई चारों जगहों के अंदर कहीं भी उगी जंगली घास और दूसरे फालतू पौधों, खरपतवार आदि को उखाड़ना/काटना और हटाना भी शामिल है। साथ ही, समय-समय पर साइट पर ज़रूरत के हिसाब से और बैंक के कहने पर, बैंक की प्रॉपर्टी में खड़े या बैंक की प्रॉपर्टी की तरफ झुके हुए पेड़ों की छंटाई भी की जाएगी।
- d. इस काम में बैंक की प्रॉपर्टी से गार्डन के मेंटेनेंस के काम की वजह से निकलने वाले सभी वेस्ट मटीरियल को हटाना और उस स्थान के बाहर ऑथराइज़्ड म्युनिसिपल डंप पर उसे ठीक से डिस्पोज़ल करना भी शामिल है। संविदाकर्ता को BMC से बात करनी होगी और कचरा डंप करने के लिए सभी लागू कानूनी नियमों का पालन करते हुए ज़रूरी परमिशन लेनी होगी।
- e. नए पौधे/पौधे/वर्टिकल गार्डन- इस काम में मनचाही स्थान/जगहों पर नए पौधे/पौधे/वर्टिकल गार्डन लगाना और उनकी देखभाल करना शामिल है। नए पौधे/पौधे/वर्टिकल गार्डन की कीमत बैंक द्वारा वापस कर दी जाएगी, बशर्ते बैंक के अधिकारी पौधों, पौधों आदि के रेट को पहले से मंजूरी दे दें। हालांकि, बैंक किसी अन्य एजेंसी से खरीदने के लिए आज़ाद होगा और सफल बोलीकर्ता का इस मामले में कोई दखल नहीं होगा।
- f. वर्टिकल गार्डन का रखरखाव और वर्टिकल गार्डन के पैटर्न में समय-समय पर बदलाव।
- g. सफल बोली लगाने वाला बैंक की स्थान पर गार्डन और हरे-भरे हिस्सों की प्रत्येक सप्ताह मॉनिटरिंग के लिए ज़िम्मेदार होगा। सफल बोलीकर्ता को समय-समय पर या जब बैंक कहे, बैंक के अधिकारी से मिलना चाहिए।
- h. बैंक की ज़रूरत के हिसाब से, गमलों में लगे पौधों को वर्ष में दो बार किसी भी मंज़ूर शेड से पेंट करना होगा। (पेंट का खर्च सफल बिडर को अलग से दिया जाएगा, जिसके लिए बैंक से पहले मंजूरी लेनी होगी।) हालांकि, बैंक किसी अन्य एजेंसी से खरीदने के लिए आज़ाद होगा और सफल बिडर का इस मामले में कोई दखल नहीं होगा।
- i. बैंक के ऑथराइज़्ड अधिकारियों की सलाह पर कोई भी संबंधित काम।

- ii. **खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल-** पौधों, फूलों की क्यारियों, गमलों वाले पौधों, वर्टिकल गार्डन और ग्रीन एरिया में अप्रूव्ड पेस्टिसाइड दिए जाएंगे और अप्रूव्ड गार्डन की मिट्टी में बायो ऑर्गेनिक/प्रोसेस्ड खाद मिलाकर स्टैंडर्ड अनुपात में/मैनुफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार **हर तिमाही में कम से कम एक बार भरना** होगा, ताकि पूरे ग्रीन एरिया, पौधों, झाड़ियों, फूलों की क्यारियों, गमलों वाले पौधों, बाड़ आदि की अच्छी ग्रोथ और मेंटेनेंस हो सके। खाद, पेस्टिसाइड और मिट्टी का खर्च सफल बिडर को अलग से दिया जाएगा, जिसके लिए बैंक से पहले से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि, बैंक इसे किसी अन्य एजेंसी से खरीदने के लिए आज़ाद होगा और सफल बिडर का इस मामले में कोई दखल नहीं होगा।
- iii. **पेड़ों की समय-समय पर छंटाई और दीमक रोधी उपचार-**
- सफल बोलीकर्ता को समय-समय पर पेड़ों की छंटाई करनी होगी।
 - सफल बिडर को **वर्ष में एक बार** पेड़ों पर **इको-फ्रेंडली दीमक ट्रीटमेंट करना** होगा या बैंक के कहने पर, इको-फ्रेंडली दीमक ट्रीटमेंट मिट्टी का खर्च सफल बिडर को अलग से दिया जाएगा, जिसके लिए बैंक से पहले मंजूरी लेनी होगी। हालांकि, बैंक किसी अन्य एजेंसी से खरीदने के लिए आज़ाद होगा और सफल बिडर का इस मामले में कोई दखल नहीं होगा।
 - सफल बोलीकर्ता को आस-पास के प्रॉपर्टी मालिकों/संबंधित नगर निगम अधिकारियों से भी संपर्क करना होगा ताकि स्थान से पूरी तरह से खराब हो चुके पेड़ों की छंटाई/काट-छांट और उन्हें हटाया जा सके।
 - पौधों और लॉन की हेल्थ और ग्रोथ बैंक की सबसे बड़ी चिंता है और अगर यह ठीक नहीं पाया गया तो बैंक अपनी मर्जी से पेनल्टी लगा सकता है। खराब हुए पौधे/लॉन आदि, सफल बिडर के रिस्क और खर्च पर बैंक की मर्जी से बदले जा सकते हैं। इस बारे में बैंक का फ़ैसला आखिरी होगा और सफल बिडर को मानना होगा।
 - सफल बिडर को **मौजूदा कार्यों की फोटो** बैंक के ऑथराइज़्ड अधिकारियों के साथ मिलकर लेनी होगी, जब वे उन्हें मेंटेनेंस के लिए अपने हाथ में लेंगे। मौजूदा गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर और इनडोर पॉटेड पौधों का मेंटेनेंस लेने से ठीक पहले सफल बिडर को ऐसी सभी फोटो की सॉफ्ट कॉपी बैंक को जमा करनी होगी। ऐसे सभी कार्यों को पूरे AMC पीरियड के दौरान मेंटेन किया जाएगा।
 - सफल बोलीकर्ता को प्रस्तावित AMC काम के लिए अपनी हर प्रॉपर्टी के लिए अलग-अलग टूल, टैकल, होज़ पाइप, हाथ से चलने वाला या पावर से चलने वाला लॉन घास काटने की मशीन, हेज कटर, लकड़ी काटने वाला आदि रखना होगा। पानी के सोर्स स्थान में अलग-अलग आसान जगहों पर दिए गए हैं और सफल बोलीकर्ता को रोज़ाना पानी देने के लिए साइट पर ज़रूरी लंबाई के लीक प्रूफ होज़ पाइप रखने होंगे। सफल बोलीकर्ता को पानी की कमी होने पर तुरंत बैंक को बताना होगा।
- iv. गमले वाले पौधों के मामले में, सफल बिडर को स्थान/कॉलोनी में रखे गमलों की देखभाल करनी होगी और उन्हें खास जगहों पर लगाना होगा। घर के अंदर रखे गमलों को **प्रत्येक**

सप्ताह ग्रीन हाउस/कहीं और मौजूद दूसरे गमलों से बदला जा सकता है। सफल बिडर को मौजूदा गमलों को अच्छी हालत में रखना होगा और संविदा के समय अपने खर्च पर सड़े हुए या मरे हुए पौधों को उसी किस्म के पौधों से बदलना होगा। ऐसा न करने पर, ऐसे पौधों की कीमत IFMS संविदाकर्ता के महीने के बिल से वसूल की जाएगी।

- v. सफल बोलीकर्ता को, काम की मात्रा के हिसाब से ज़रूरी संख्या में मज़दूरों को लगाकर, उन्हें एक के ऊपर एक रखकर, खास तौर पर मौजूदा पेड़ों और झाड़ियों के आस-पास की स्थान को साफ़ करके, और बैंक के अधिकृत अधिकारियों के कहने पर, बैंक की स्थान से सभी बेकार पेड़-पौधों, जंगली घास और फालतू वस्तु आदि को हटाकर, जंगली घास और जंगली पौधों को ध्यान से उखाड़कर और हटाकर, रूटस्टॉक से छुटकारा पाने का इंतज़ाम करना होगा। डिस्पोज़ेबल वस्तु को किसी भी हालत में जलाया नहीं जाएगा।
- vi. लैंडस्केपिंग - सफल बिडर को बैंक के मेन ऑफिस परिसर, **नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स , विद्युत मार्ग और बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स के अंदर के एरिया को लैंडस्केप करने की भी ज़रूरत हो सकती है**, जैसा कि बैंक के ऑथराइज़्ड अधिकारियों ने कहा हो। इस तरह की लैंडस्केपिंग का खर्च सफल बिडर को अलग से दिया जाएगा, बशर्ते खर्च करने के लिए बैंक से पहले से मंजूरी ले ली गई हो। हालांकि, बैंक इसे किसी अन्य एजेंसी से भी करवा सकता है।
- vii. सफल बोलीकर्ता को भविष्य में बनाए गए लैंडस्केप को बनाए रखना होगा।
- viii. किसी भी सामान को बाहर निकालना बैंक के सिव्योरिटी प्रोसीजर के अनुसार होगा। सभी काम करने वालों के लिए वर्क पास सिव्योरिटी ऑफिसर से ठीक से लिए जाएंगे।
- ix. बगीचे की मिट्टी, खाद और पेस्टिसाइड जैसी वस्तु को इस्तेमाल करने से पहले बैंक के अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी। कोई भी रिजेक्ट किया गया सामान सफल बिडर के खर्च पर तुरंत साइट से हटा दिया जाएगा।
- x. सफल बिडर को बैंक से बिना किसी एक्स्ट्रा क्लेम के, पानी/बिजली की सप्लाई के लिए बैंक के सोर्स से ज़रूरी कनेक्शन का इंतज़ाम करना होगा।
- xi. सफल बोलीकर्ता के टूल्स / मशीन / इक्विपमेंट की खरीद / रिपेयरिंग की पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ सफल बोलीकर्ता की होगी।
- xii. अनस्किल्ड मज़दूर को अपने खर्च पर एक ड्रेस, एक कैप, गन बूट और अन्य सुरक्षा की चीज़ें देगा।
- xiii. सफल बोलीकर्ता को अपने खर्च पर फर्स्ट एड किट और पीने के पानी जैसी अन्य ज़रूरी वस्तु का इंतज़ाम करना होगा।
- xiv. सफल बोलीकर्ता को किसी भी प्रॉपर्टी में पेड़ों/पौधों से मधुमक्खी के छत्ते (छोटे साइज़ के) हटाने का इंतज़ाम भी करना पड़ सकता है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना होगा।

- xv. सूखे या गिरे हुए पेड़ को हटाना - बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, नयापल्ली में अधिकारियों के क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग और बारामुंडा में कर्मचारियों के क्वार्टर्स में सूखे और/या गिरे हुए पेड़ के लकड़ी के हिस्सों को सावधानी से काटना, हटाना और निपटाना।
- xvi. सफल बिडर को ज़रूरत पड़ने पर बैंक के मेन ऑफिस परिसर, नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग और बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स में हाइड्रोपोनिक्स और बोनसाई का रखरखाव करना होगा।
- xvii. फालतू टहनियों को हटाना - वर्ष में दो बार पेड़ों की छंटाई और/या बैंक के अधिकृत अधिकारियों के निर्देशानुसार बैंक के मेन ऑफिस परिसर, नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग और बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स में और परिसर से कचरा हटाना/निपटाना वेंडर के खर्च पर।

3. मैनेपावर आवश्यकता सारणी

रविवार और छुट्टियों (बैंक द्वारा तय किए गए हर वर्कर के लिए एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी को छोड़कर) सहित प्रत्येक सप्ताह छह हफ्ते के दिनों में ऊपर बताए गए काम को करने के लिए कितने लोगों को तैनात करने की ज़रूरत है, यह नीचे टेबल में दिया गया है। हालांकि, बैंक के पास काम देने से पहले या संविदा के दौरान कभी भी तैनात किए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

स्थान	न्यूनतम मैनेपावर आवश्यकता	
	अर्द्ध कुशल	अकुशल
मुख्य कार्यालय भवन	02	03
नयापल्ली में अधिकारियों के क्वार्टर्स	02	04
विद्युत मार्ग पर स्टाफ क्वार्टर्स	02	02
बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स	02	02
उप-कुल	08	11

2.7 बैंक की रेजिडेंशियल कॉलोनियों में मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग का काम

इसका उद्देश्य पूरे एरिया को एक हाई लेवल का साफ, हाइजीनिक और अच्छा लुक देना है। संविदाकर्ता और उसकी मैनेजमेंट टीम दिए गए काम को सुपरवाइज़ करेंगे। संविदाकर्ता को यह पक्का करना होगा कि तैनात स्टाफ बैंक से अप्रूव्ड साफ-सुथरी यूनिफॉर्म पहने हो। हाउसकीपिंग स्टाफ रेजिडेंशियल स्थान की सफाई के लिए ज़िम्मेदार होगा, जिसमें कॉरिडोर, लिफ्ट लॉबी, लिफ्ट कार (अगर भविष्य में लगाई जाती है), सीढ़ियां, पूरा कंपाउंड एरिया, गाड़ी पार्किंग एरिया, अंदर की सड़कें और दीवार के साथ अंदर का एरिया, आस-पास के एरिया और दीवार के साथ सभी सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट शामिल हैं, साथ ही हर स्थान में मौजूद वॉशरूम/टॉयलेट की सफाई/मेंटेनेंस भी करना होगा।

1. कार्य क्षेत्र:

बैंक के भुवनेश्वर में तीन रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है।

- i. नयापल्ली (OQNP) में ऑफिसर्स क्वार्टर्स - लगभग 5 एकड़
- ii. विद्युत मार्ग (SQVM) पर स्टाफ क्वार्टर्स - लगभग 4 एकड़
- iii. बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स (SQBM) - लगभग 6 एकड़

इस काम में सभी तरह के मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग से जुड़े काम शामिल हैं। भविष्य में परिसर में जो भी बदलाव/अलार्म किया जाएगा, वह भी कवर किया जाएगा।

2. ब्लॉक सफाई :

को नीचे दिए गए ब्लॉक की सफाई का काम करना होगा :

- a) सीढ़ियों, लिफ्ट कारों (अगर भविष्य में लगाई जाती हैं), एंट्रेंस, सभी ब्लॉक के पीछे के एरिया जिसमें कॉमन एरिया, सनशेड, कार और टू-व्हीलर पार्किंग एरिया शामिल हैं, और क्वार्टर्स के अंदर सड़क की **रोज़ाना सफाई करना**।
- b) इसमें खुले नाले से फेंके गए कचरे की सफाई, सड़क से टूटे हुए पेड़ की टहनियां, गिरे हुए पेड़ हटाना और उन्हें कम्पोस्ट पिट/कचरा इकट्ठा करने वाले डिब्बे में डालना, प्लास्टिक, कागज़ का कचरा आदि इकट्ठा करना और उसका निपटान करना शामिल होगा (कार्यों की यह लिस्ट सिर्फ़ बताने के लिए है, पूरी नहीं)।
- c) रेजिडेंशियल कॉलोनियों में रहने वालों से **रोज़ाना** कचरा इकट्ठा करना होगा और कचरा ले जाने के तुरंत बाद लिफ्ट कार/सीढ़ियों में एयर फ्रेशनर लगाना होगा।
- d) कचरा इकट्ठा करना और उसे ऑर्गेनिक और नॉन-ऑर्गेनिक कचरे के हिसाब से अलग करना और **रोज़ाना तय स्थान पर स्टोर करना**। ताकि ऑर्गेनिक कचरे को ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर (OWC) से डिस्पोज़ किया जा सके।
- e) केयरटेकर/असिस्टेंट केयरटेकर ऑफिस/सिक्योरिटी ऑफिस/जिम/डिस्पेंसरी/कम्युनिटी हॉल/वॉलीबॉल/बैडमिंटन कोर्ट/मनोरंजन कक्ष/रखरखाव कक्ष में **रोज़ाना सफाई/ झाड़ू लगाना**।
- f) कॉलोनियों के सभी ब्लॉक में **हफ्ते में एक बार** धूल झाड़ना, मकड़ी के जाले हटाना और सीढ़ियों को धोना।
- g) केयरटेकर/असिस्टेंट केयरटेकर ऑफिस/सिक्योरिटी गार्ड बूथ/जिम/डिस्पेंसरी/कम्युनिटी हॉल/रिक्रिएशनल रूम/कॉमन टॉयलेट में सभी कॉमन एरिया टॉयलेट की **रोज़ाना ग्रीन सर्टिफाइड/इको-फ्रेंडली हाउसकीपिंग केमिकल** (टॉयलेट क्लीनर/फ्लोर क्लीनर/ग्लास क्लीनर/कारपेट क्लीनर) से सफाई करें।
- h) लिक्विड हैंड वॉश सोप, टॉयलेट रोल, एयर फ्रेशनर, ओडोनिल, सैनिटरी/यूरिनल क्यूब्स, नेफ़थलीन बॉल्स आदि टॉयलेटरीज़ फ्री टू यूज़ (FTU) बेसिस पर फिर से रखें। कोई अलग चार्ज नहीं देना होगा।
- i) कॉलोनी में ब्लॉक/बिल्डिंग की छत की प्रत्येक सप्ताह **सफाई**।
- j) केयरटेकर/असिस्टेंट केयरटेकर ऑफिस/सिक्योरिटी ऑफिस/जिम/डिस्पेंसरी/कम्युनिटी हॉल/रिक्रिएशनल रूम/मेंटेनेंस रूम/कॉलोनियों में खाली फ्लैट्स की **हर तीन महीने में एक बार**

डीप क्लीनिंग। इस तरह के सभी कार्यों के लिए एक रजिस्टर में टेन करना होगा और रेगुलर इंटरवल पर केयरटेकर के साइन लेने होंगे। यह रजिस्टर एस्टेट डिपार्टमेंट/किसी भी ऑथराइज्ड ऑफिसर द्वारा इंस्पेक्शन के दौरान वेरिफिकेशन के लिए दिखाना होगा।

3.मैनपावर की ज़रूरत:

a. सफाई/मेंटेनेंस के लिए लगभग 19 लोग (अनस्किल्ड) लगाए जाएंगे।

- विद्युत मार्ग स्टाफ क्वार्टर्स में सात (07) व्यक्ति।
- ऑफिसर्स क्वार्टर्स नयापल्ली में छह (06) व्यक्ति ।
- बारामुंडा स्टाफ क्वार्टर्स में छह (06) व्यक्ति ।

काम के दिन: शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी हफ्ते के दिन। हालांकि, हर वर्कर को रिप्लेसमेंट आधार पर एक दिन की हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी, बशर्ते किसी खास दिन स्थान के हिसाब से वर्कर की कुल संख्या वही रहे।

b. बैंक के पास काम देने से पहले या संविदा के दौरान किसी भी समय काम पर रखे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

c. 365 दिनों के काम में, हर वर्कर को वीकली छुट्टी के बदले रिप्लेसमेंट दिया जाएगा।

4. महत्वपूर्ण:

a. कॉलोनी के मेंटेनेंस के काम के लिए ज़रूरी मशीनें, सामान, अगर कोई हो, खरीदने के लिए संविदाकर्ता ज़िम्मेदार होगा।

b. संविदाकर्ता को सभी तरह का ज़रूरी क्लीनिंग मटीरियल इको-फ्रेंडली/ग्रीन सर्टिफाइड (फ्लोर/टॉयलेट/ग्लास/कारपेट) देना होगा (**एनेक्सर VIII** देखें)। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के हिस्से के तौर पर, बैंक को इको-फ्रेंडली/ग्रीन सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की खरीद से जुड़े इनवॉइस की कॉपी चाहिए हो सकती है, इसलिए संविदाकर्ता को बैंक के मांगने पर ऐसे इनवॉइस की कॉपी देनी होगी।

c. संविदाकर्ता बायो-डिग्रेडेबल कचरा बैग देगा, एक पैकेट में 30 लाइनर होंगे, हर फ्लैट के लिए हर महीने दो पैकेट (एक नीले रंग का सूखा कचरा और एक हरे रंग का गीला कचरा) (देखें **एनेक्सर VIII**) के तहत रहने वाले फ्लैट्स में रहने वालों को यह सुविधा दी जाएगी।

d. तीन रेजिडेंशियल कॉलोनियों में ऑक्यूपेंसी बढ़ने/घटने पर, वेंडर को नए रहने वालों को हर महीने गारबेज बैग (**एक पैकेट में 30 लाइनर, दो पैकेट (एक नीले रंग का सूखा कचरा और एक हरे रंग का गीला कचरा के लिए) देने होंगे**)। फ्लैटों की कुल संख्या और अभी की ऑक्यूपेंसी की जानकारी नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	आवासीय कॉलोनियों के नाम	फ्लैटों की कुल संख्या	वर्तमान अधिभोग (संख्या)
1	नयापल्ली में अधिकारियों के क्वार्टर्स	85 फ्लैट और एक (01) आर.डी. बंगला	75 फ्लैट और एक (01) आर.डी. बंगला

2	विद्युत मार्ग पर स्टाफ क्वार्टर्स	158 फ्लैट	112 फ्लैट
3	बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स	92 फ्लैट	43 फ्लैट

वेंडर्स को कचरे के बैग सप्लाई करने का रेट बताना चाहिए { एक पैकेट में 30 लाइनर होते हैं, दो पैकेट (एक नीले रंग का सूखा कचरा और एक हरे रंग का गीला कचरा) हर फ्लैट के लिए हर महीने } कॉस्ट ऑफ़ कंज्यूमेबल्स और ओवरहेड्स (प्राइस बिड का आइटम A) के तहत, मौजूदा ऑक्यूपेंसी में किसी भी बढ़ोतरी/कमी को ध्यान में रखते हुए। मौजूदा ऑक्यूपेंसी में बदलाव होने पर बैंक कोई एक्स्ट्रा पेमेंट वापस नहीं करेगा।

- e. कॉमन एरिया, केयरटेकर/असिस्टेंट केयरटेकर ऑफिस/सिक्योरिटी ऑफिस/जिम/डिस्पेंसरी/कम्युनिटी हॉल/वॉलीबॉल/बैडमिंटन कोर्ट/रिक्रिएशनल रूम/ बैंक्स की तीन रेजिडेंशियल कॉलोनियों में मेंटेनेंस रूम में रखे डस्टबिन के लिए ज़रूरी अलग-अलग साइज़ के कूड़ेदान भी संविदाकर्ता को देने होंगे।
- f. केयरटेकर/असिस्टेंट केयरटेकर ऑफिस/सिक्योरिटी ऑफिस/जिम/डिस्पेंसरी/कम्युनिटी हॉल/वॉलीबॉल/बैडमिंटन कोर्ट/मनोरंजन कक्ष/मेंटेनेंस कक्ष जैसे कॉमन एरिया में रखे गए अलग-अलग साइज़ के कूड़ेदानों को ज़रूरत पड़ने पर नए कूड़ेदानों से बदल दिया जाएगा।
- g. जहां भी ज़रूरी होगा, संविदाकर्ता अपने खर्च पर वर्क्स को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स देगा।
- h. ऊपर बताई गई सभी वस्तु का चार्ज टेंडर के कंज्यूमेबल्स/ओवरहेड चार्ज में शामिल होगा। ऊपर बताई गई वस्तु की सप्लाई के लिए संविदाकर्ता को कोई अलग पेमेंट नहीं किया जाएगा।

ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई किए जाने वाले सभी आइटम की लिस्ट के लिए कृपया Annexure VIII देखें , क्योंकि इसे टेंडर के कंज्यूमेबल्स/ओवरहेड चार्ज में शामिल किया जाना है।

2.8 फ्लैटों की सफाई

1. कार्य क्षेत्र:

यह काम नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग और बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स के सभी रेजिडेंशियल फ्लैट्स के लिए है , जिसमें नीचे बताए गए स्कोप के अनुसार सभी तरह की सफाई शामिल है। भविष्य में परिसर में किया जाने वाला कोई भी एडिशन/ऑल्टरेशन भी कवर किया जाएगा।

2. संविदा के तहत दी जाने वाली सर्विसेज़ के दायरे में सामान्यतः फ्लैट्स की सफाई के ये आइटम शामिल होंगे:

काम करता है मंज़ूर केमिकल (इको-फ्रेंडली/ग्रीन सर्टिफाइड) का इस्तेमाल करके हर तीन महीने में / ज़रूरत के हिसाब से रेगुलर इंटरवल पर अटेंड करना होगा:

- a. PVC नेटलॉन / खिड़की की जाली को रगड़कर/धोकर या SS हैंड रेल और टफ ग्लास (धोकर) दोनों की ठीक से सफाई करें।
- b. बिजली के पंखे (रसोई के पंखे भी शामिल हैं), लाइट की सफ़ाई, बिजली के स्विच बोर्ड की सफ़ाई।

- c. बालकनी, बड़े अप्लायंसेज/फिक्स्चर/सेटअप सहित फ्लैट की पूरी डस्टिंग करें।
- d. पूरे फ्लैट में मकड़ी के जाले हटाना और आसानी से मिलने वाली जगहों जैसे दीवार, लॉफ्ट/अलमारी के ऊपर और बाहर आदि, छत की छत, खिड़की/वेंटिलेटर ग्रिल और कांच के शीशे वाले शटर आदि को झाड़ू/वैक्यूम क्लीनर/पोछा आदि से साफ करना।
- e. सभी कमरों की सफाई, फर्श और दीवार के डैडो आदि पर पोछा लगाना। फ्लैट के अंदर, फर्नीचर को ध्यान से हटाना भी शामिल है।
- f. अगर कोई मलबा है, तो उसे दिन का काम पूरा होने के बाद उसी दिन फ्लैट से हटा दिया जाएगा।
- g. सफाई के लिए फ्लैट की उपलब्धता रहने वाले/रहने वाले की सुविधा के अनुसार है। काम रहने वालों को बिना किसी परेशानी के किया जाना चाहिए।
- h. सफाई हो जाने के बाद रहने वाले से सही एक्नॉलेजमेंट लेना होगा।
- i. खाली फ्लैट्स की डिटेल्स उस स्थान के केयरटेकर/असिस्टेंट केयरटेकर के पास मौजूद हैं और खाली फ्लैट्स की डीप क्लीनिंग बताई गई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से की जानी चाहिए और इसे केयरटेकर से सर्टिफाइड करवाना चाहिए।

3. सफाई कर्मचारियों के कर्तव्य

हफ्ते में छह दिन सफाई की सर्विस देना, जिसमें शनिवार, रविवार और छुट्टियां शामिल हैं (बैंक के तय किए गए हर वर्कर के लिए एक हफ्ते की छुट्टी को छोड़कर)। सफाई के काम के लिए सही इंतज़ाम संविदाकर्ता को सही लोगों को लगाकर करना होगा। अगर सभी जगहों की सफाई के काम के लिए कोई मशीन चाहिए, तो उसे खरीदने की ज़िम्मेदारी संविदाकर्ता की होगी। सामान इस्तेमाल करने से पहले बैंक से मंजूरी लेनी होगी। संविदाकर्ता को सभी तरह का ज़रूरी सफाई का सामान देना होगा **(देखें Annexure VIII)** जब भी ज़रूरत हो, क्योंकि यह टेंडर के कंज्यूमेबल्स/ओवरहेड चार्ज में शामिल है। संविदाकर्ता को यह पक्का करना होगा कि काम और सर्विस के दायरे में बताई गई सर्विस आसानी से चले। काम कॉलोनी के संबंधित केयरटेकर से सलाह करके किया जाएगा।

4. मैनपावर आवश्यकता सारणी:

ऊपर बताए गए काम को करने के लिए जिन लोगों को लगाने की ज़रूरत है, उनकी अनुमानित संख्या नीचे दी गई है। हालांकि, बैंक के पास काम देने से पहले या संविदा के दौरान कभी भी लगाए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

आवासीय फ्लैटों का स्थान	न्यूनतम मैनपावर आवश्यकता (अकुशल)
नयापल्ली में अधिकारियों के क्वार्टर्स	01
विद्युत मार्ग पर स्टाफ क्वार्टर्स	02
बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स	01
उप-कुल	04

टिप्पणी:

a) प्रत्येक सप्ताह टॉयलेट साफ़ करने के लिए रखे गए स्टाफ़ को फ़्लैट की सफ़ाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

b) बैंक के पास काम देने से पहले या संविदा के दौरान किसी भी समय लगाए जाने वाले मैनपावर की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

2. 9 टॉयलेट/बाथरूम आदि की सफ़ाई

1. काम का एरिया: यह काम नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग और बारामुंडा में स्टाफ़ क्वार्टर्स के सभी रेजिडेंशियल फ़्लैट्स के लिए है। इसमें नीचे बताए गए स्कोप के हिसाब से सभी तरह की सफ़ाई शामिल है। भविष्य में परिसर में जो भी एडिशन/ऑल्टरेशन किया जाएगा, वह भी कवर किया जाएगा।

2. संविदा के तहत दी जाने वाली सर्विसेज़ के दायरे में सामान्यतः टॉयलेट/बाथरूम आदि की सफ़ाई जैसी चीज़ें शामिल होंगी।

काम करता है टॉयलेट की सफ़ाई के लिए प्रत्येक सप्ताह आना होगा – मंज़ूर सफ़ाई का सामान, इको-फ़्रेंडली और ग्रीन सर्टिफ़ाइड

- नयापल्ली और स्टाफ़ क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग और बारामुंडा में रहने वाले फ़्लैट्स के अंदर टॉयलेट्स, वॉशबेसिन और बाथरूम आदि की प्रत्येक सप्ताह ठीक से सफ़ाई।
- प्रेसर जेट से स्थान की सफ़ाई करना।
- दीवार को साफ़ करने के लिए ग्लेज़ टाइल एरिया और छत के ऊपर की दीवार पर डस्टिंग करनी होगी।
- सफ़ाई में सभी सैनिटरी फिटिंग और फिक्स्चर, वॉल डैडो, वॉल टाइल्स आदि शामिल होंगे।
- काम रहने वालों को बिना किसी परेशानी के किया जाना चाहिए।
- ऊपर बताए गए सफ़ाई के काम में टॉयलेट, बाथरूम, वॉटर क्लॉज़ेट, सेनेटरी वेयर, फिटिंग्स/फिक्स्चर (उनकी चमक खराब किए बिना) के फ़र्श और दीवार के डैडो को धोना, रगड़ना, साफ़ करना शामिल है, जिसमें फ्लश टैंक, कॉमन वॉश बेसिन एरिया, टॉयलेट मिरर, मेडिसिन चेस्ट आदि शामिल हैं। इसके लिए नायलॉन ब्रश का इस्तेमाल करके डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, ऑक्सालिक एसिड आदि जैसी मंज़ूर सफ़ाई की वस्तु से सफ़ाई की जाती है और बाहर के वॉश बेसिन और दीवार के डैडो एरिया को भी साफ़ किया जाता है।

3. सफ़ाई कर्मचारियों के कर्तव्य

हफ़्ते में छह दिन सफ़ाई सर्विस देना, जिसमें शनिवार, रविवार और छुट्टियां शामिल हैं (बैंक के तय किए गए हर वर्कर के लिए एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी को छोड़कर)। सफ़ाई के काम के लिए सही इंतज़ाम संविदाकर्ता को सही लोगों को लगाकर करना होगा।

- ऊपर बताई गई स्थान की सफ़ाई के काम के लिए अगर कोई मशीन ज़रूरी है, तो उसे खरीदने की ज़िम्मेदारी संविदाकर्ता की होगी।

- ग्रीन सर्टिफाइड/इको-फ्रेंडली सफाई का सामान इस्तेमाल किया जाएगा और इस्तेमाल से पहले बैंक से मंजूरी लेनी होगी।
- संविदाकर्ता को सभी तरह की ज़रूरी सफाई का सामान, चीज़ें देनी होंगी **(देखें Annexure VIII)** जब भी आवश्यकता होगी, उसे निविदा के उपभोज्य/ओवरहेड शुल्क में शामिल किया जाएगा।
- संविदाकर्ता को यह पक्का करना होगा कि काम और सर्विस के दायरे में बताई गई सर्विस आसानी से चले। काम कॉलोनी के संबंधित केयरटेकर से सलाह करके किया जाएगा।
- एक रजिस्टर रखा जाएगा और एक्नॉलेजमेंट के तौर पर हर रहने वाले के हस्ताक्षर से एक्नॉलेजमेंट लिया जाएगा।

4. मैनपावर आवश्यकता सारणी:

ऊपर बताए गए काम को करने के लिए जिन लोगों को लगाने की ज़रूरत है, उनकी अनुमानित संख्या नीचे दी गई टेबल में दी गई है। हालांकि, बैंक के पास काम देने से पहले या संविदा के दौरान कभी भी लगाए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

आवासीय फ्लैटों का स्थान	न्यूनतम मैनपावर आवश्यकता (अकुशल)
नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स - 85 फ्लैट (VOF को छोड़कर) और 1 RD बंगला। वर्तमान अधिभोग- 76	02
विद्युत मार्ग पर स्टाफ क्वार्टर्स- 158 फ्लैट्स (THH और मेडिकल फ्लैट्स को छोड़कर) वर्तमान अधिभोग- 112	02
बारामुंडा-92 फ्लैट्स में स्टाफ क्वार्टर्स वर्तमान अधिभोग - 43	01
उप-कुल	05

टिप्पणी :

- प्रत्येक सप्ताह टॉयलेट साफ़ करने के लिए रखे गए स्टाफ़ को फ्लैट की सफ़ाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- बैंक के पास काम देने से पहले या संविदा के दौरान किसी भी समय काम पर रखे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

2.10 कचरा उठाना तथा Green Waste & Manure का परिवहन

1. कार्य क्षेत्र:

यह काम बैंक के मेन ऑफिस परिसर, नयापल्ली में ऑफिसर्स क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग और बारामुंडा में स्टाफ क्वार्टर्स के लिए है। इसमें बैंक परिसर से सभी तरह का कचरा उठाना और उसे सही स्थान

पर निपटाना शामिल है। इसके अलावा, भविष्य में परिसर में किया जाने वाला कोई भी बदलाव या बदलाव भी कवर किया जाएगा।

2. संविदा के तहत दी जाने वाली सेवाओं के दायरे में सामान्यतः कचरा उठाने के काम के ये आइटम शामिल होंगे:

a. संविदाकर्ता को अपनी गाड़ी और मैनपावर का इंतज़ाम करके बैंक परिसर के तय एरिया से सभी तरह का कचरा (बागवानी का कचरा, सिविल/इलेक्ट्रिकल का बचा हुआ कचरा, आदि) हटाना होगा और उन्हें भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के सही यार्ड में डंप करना होगा।

ख. बैंक अधिकारी के निर्देशानुसार, हरे/गीले कचरे को **रोज़ाना** अपनी व्यवस्था/अपनी गाड़ी से बाकी तीन जगहों से SQBM के ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर (OWC) यार्ड में शिफ्ट करें।

c. OWC यार्ड, SQBM से निकलने वाली खाद को बैंक के ऑफिसर के कहने पर **प्रत्येक सप्ताह** अपनी व्यवस्था/अपनी गाड़ी से बाकी तीन जगहों पर इकट्ठा करना। **अगर SQBM में OWC काम नहीं कर रहा है, तो वेंडर को अपने खर्च पर तीन रेजिडेंशियल कॉलोनियों और बैंक के मेन ऑफिस की स्थान से हरा/गीला कचरा उठाकर तय BMC एरिया में ले जाने का इंतज़ाम करना होगा।**

d. संविदाकर्ता को BMC से खुद संपर्क करना होगा और कचरा डंप करने के लिए ज़रूरी परमिशन लेनी होगी।

e. स्थान में साफ़-सफ़ाई का अच्छा स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए कचरा जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए।

3. जनशक्ति

इस काम के लिए अलग से कोई मैनपावर नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसे IFMS **संविदा** का हिस्सा माना जाएगा, जहाँ एक ही वेंडर के तहत कई काम करने से कचरा निकलेगा, जिसका ध्यान संबंधित वेंडर को ठीक से रखना होगा।

4. यात्राओं का अनुमान

- ट्रिप की संख्या **प्रत्येक सप्ताह** अलग-अलग होगी, लेकिन अनुमान है कि हर **स्थान प्रत्येक सप्ताह** लगभग **दो या तीन ट्रिप होंगे** और कुछ मामलों में जहाँ पेड़ों की प्रूनिंग/ट्रिमिंग करनी होती है, वहाँ ट्रिप की संख्या **तीन/चार ट्रिप तक बढ़ सकती है।**
- ग्रीन वेस्ट और खाद के ट्रांसपोर्टेशन के मामले में ट्रिप की संख्या ऊपर बताई गई है (**रोज़ाना और हफ़्ते में**)।
- सभी तरह का कचरा उठाना सफल बिडर की पूरी ज़िम्मेदारी है। **यह ध्यान दें कि किसी भी हालत में बैंक कचरा उठाने/निपटाने के इन चक्करों के लिए कोई भी रकम नहीं देगा, क्योंकि बिडर को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्राइस बिड फाइल करते समय इन चक्करों की लागत को एडजस्ट करने के बाद अपने कंज्यूमेबल्स/ओवरहेड कंपोनेंट का कोटेशन दें।** अगर, **संविदाकर्ता** ऊपर बताया गया काम करने में फेल हो जाता है, तो बैंक किसी **अन्य एजेंसी** से अपना इंतज़ाम करेगा और उस खर्च के लिए हुए चार्ज और तय पेनल्टी को महीने के बिल से वसूला जाएगा।

खंड III

बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश

3.1	टेंडर दस्तावेज:
3.1.1	नौ (09) खंडों वाला यह दस्तावेज होगा, साथ ही इस प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा जारी एनआईटी और अनुलग्नक, अनुसूचियां, कोई परिशिष्ट, शुद्धिपत्र, बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त आदि भी होंगे।
3.1.2	बिड लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे टेंडर दस्तावेज के सभी खंड को अच्छी तरह से पढ़ लें। बिड जमा करना, टेंडर दस्तावेज की पूरी समझ के साथ ध्यान से पढ़ने और जांच करने के बाद किया गया माना जाएगा।
3.1.3	बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ़ MSTC पोर्टल/RBI वेबसाइट पर अपलोड किए गए फ़ॉर्म (टेंडर दस्तावेज) का इस्तेमाल करें। अगर टेंडर किसी अन्य वेबसाइट से डाउनलोड किए गए टेंडर फ़ॉर्म से सबमिट किए जाते हैं, और बाद में उनमें कोई बदलाव/मॉडिफ़िकेशन पाया जाता है, तो ऐसे टेंडर डिसकालिफ़िकेशन के लिए ज़िम्मेदार होंगे। हालाँकि, अगर वे और जानकारी सबमिट करना चाहते हैं, तो वे अपने लेटर हेड/पेपर पर ऐसा कर सकते हैं। टेंडर फ़ॉर्म के हर पेज पर साइन करके MSTC पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
3.1.4	टेंडर दस्तावेज के खंड 1 के क्लॉज 1.1 के अनुसार होगा।
3.2	निविदा दस्तावेज़ में संशोधन
3.2.1	बिड्स जमा करने की डेडलाइन से पहले, बैंक किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या किसी होने वाले बिडर के क्लैरिफ़िकेशन या सवाल के जवाब में, टेंडर में बदलाव कर सकता है।
3.2.2	सिर्फ़ बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/ MSTC पर ही होस्ट किया जाएगा। जारी किया गया एडेंडम/करिगेंडम टेंडर दस्तावेज का हिस्सा होगा।
3.2.3	ध्यान में रखते हुए, होने वाले बोलीकर्ताओं को अपनी बिड्स तैयार करने के लिए सही समय देने के लिए, बैंक अपनी मर्जी से बिड्स जमा करने की डेडलाइन बढ़ा सकता है।
3.3	बोली की तैयारी: निर्धारित प्रपत्र में निविदा दो भागों में अपलोड की जाएगी – भाग I (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) और भाग II (वित्तीय बोली) एमएसटीसी पोर्टल पर।
3.3.1	टेक्नो - कमर्शियल बिड :
	टेंडर के पार्ट-I में प्रस्तावित काम के लिए बैंक की स्टैंडर्ड शर्तें (प्राइस बिड नहीं), टेंडर का कवरींग लेटर और अनुमानित रकम का 2% EMD (₹8,12,000/-) होगा।
(i)	टेक्नो कमर्शियल बिड का हिस्सा हैं।
(ii)	बिडर को अलग-अलग खंड/एनेक्सर में दी गई सभी डिटेल्स भरनी होंगी।
(iii)	EMD टेक्नो कमर्शियल बिड का हिस्सा होगा। EMD पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। बिना EMD के मिली बिड रिजेक्ट कर दी जाएंगी।

(iv)	<p>टेंडर दस्तावेज इंग्लिश में भरे जाने चाहिए। अगर कोई दस्तावेज गायब है या उस पर साइन नहीं है, तो बैंक अपनी मर्जी से टेंडर को इनवैलिड मान सकता है।</p> <p>टेंडर दस्तावेज में कोई कम्प्यूजन नहीं होना चाहिए और अगर कोई दस्तावेज गायब है या उस पर साइन नहीं है, तो बैंक अपनी मर्जी से टेंडर को इनवैलिड मान सकता है। सिर्फ MSTC पोर्टल पर टेंडर करने वाले के अपलोड किए गए दस्तावेज को ही फ़ाइनल माना जाएगा और किसी और दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा। कंडीशनल बिड्स को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा।</p> <p>नोट: जो बिड्स अधूरी हैं, अर्थात अगर इस टेंडर के अनुसार कोई भी ज़रूरी दस्तावेज इस दिनांक और समय तक जमा नहीं किया जाता है, तो उन्हें बैंक अपनी मर्जी से रिजेक्ट कर सकता है।</p>
3.3.2	फाइनेंशियल बिड: टेंडर के पार्ट-II में सिर्फ बिडर की प्राइस बिड होगी।
(i)	बिड की करेंसी: बिड की कीमतें सिर्फ भारतीय रुपये में बताई जाएंगी। बताई गई दरों में सभी टैक्स (GST को छोड़कर), चार्ज, लेवी, सेस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे सरकारी टैक्स भी शामिल होने चाहिए।
(ii)	जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिए गए रेट में GST शामिल नहीं होना चाहिए। हर लागू आइटम पर 18% GST या लागू GST रेट कैलकुलेट किया जाएगा।
(iii)	अगर प्राइस शेड्यूल का कोई भी आइटम MSTC पोर्टल पर भरा/अपलोड नहीं किया जाता है, तो संबंधित बोलीकर्ताओं का टेंडर अनरिस्पॉन्सिव माना जाएगा और बैंक अपनी मर्जी से उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा।
(iv)	<p>टेंडर के पार्ट-II में कोई शर्त नहीं होगी, बल्कि सिर्फ टेंडर देने वाले की कीमत बिड होगी।</p> <p>पार्ट-II के लिए स्पेशल नोट: - बिडर को MSTC पोर्टल पर उपलब्ध पार्ट II में बताए गए फॉर्मेट के अनुसार कीमतें बतानी होंगी।</p> <p>लेबर कंपोनेंट के लिए रेट बताने का कोई प्रोविज़न प्राइस बिड में नहीं होगा। हालाँकि, वेंडर अपने द्वारा लगाए गए मैनपावर को समय-समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तय प्रोविज़न/कानून/एक्ट/टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार सैलरी देगा, जैसे मिनिमम वेज, EPF, ESI, बोनस आदि (जैसा कि एनेक्सर X में डिटेल में बताया गया है)। लेबर/वर्कफोर्स (लेबर कंपोनेंट) की फिक्स्ड कॉस्ट, पेमेंट का प्रूफ दिखाने पर असल बेसिस पर रीइंबर्स की जाएगी, जो कि स्टैच्युटरी रेट्स के अनुसार है। अगर कोई स्टैच्युटरी पेमेंट किसी वेंडर या लेबर कैटेगरी के लिए लागू नहीं है, तो उसे रीइंबर्स नहीं किया जाएगा, भले ही उसका ज़िक्र फाइनेंशियल बिड में किया गया हो।</p>
(v)	टेंडर दस्तावेज के पार्ट-II के नॉन-लेबर कंपोनेंट में ये कंपोनेंट शामिल होंगे:

	<p>a) कंज्यूमेबल्स और ओवरहेड्स की लागत: टेंडर के अलग-अलग हिस्सों में बताए गए कार्यों को पूरा करने के लिए FTU पर ग्रीन सर्टिफाइड/इको-फ्रेंडली सफाई प्रोडक्ट और मटीरियल और अलग-अलग साइज़ के बायो-डिग्रेडेबल/इको-फ्रेंडली कचरा बैग/मशीनरी/टूल/ऐसी अन्य इस्तेमाल होने वाली वस्तु की सप्लाई का खर्च, लगे हुए लोगों की यूनिफॉर्म का खर्च, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च (जिसमें OWC, SQBM से ग्रीन कचरा/खाद लाना-ले जाना शामिल है), BMC की बताई जगहों पर हफ़्ते में कम से कम दो/तीन बार कचरा उठाना, सुपरवाइज़र का मोबाइल चार्ज और दूसरे सभी ओवरहेड खर्च आदि।</p> <p>इसके अलावा, विक्रेता को एमएसटीसी पोर्टल में मूल्य बोली (भाग II) के गैर-श्रम घटक के आइटम ए के लिए दर उद्धृत करते समय उपभोग्य सामग्रियों और ओवरहेड्स की लागत (जैसा कि ऊपर पैरा 3.3.2 (v) (ए) में उल्लिखित है) पर लाभ शामिल करना चाहिए।</p> <p>टिप्पणी: बोलीकर्ताओं अपने असेसमेंट के हिसाब से कोई भी नॉन-ज़ीरो अमाउंट कोट करने के लिए आज़ाद हैं। कंज्यूमेबल्स और ओवरहेड्स की कॉस्ट के लिए ज़ीरो कोट करने वाले बोलीकर्ताओं को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सफल संविदाकर्ता द्वारा दिए जाने वाले कंज्यूमेबल्स की लिस्ट के लिए कृपया एनेक्सर VIII देखें।</p> <p>b) लाभ/सेवा शुल्क प्रॉफ़िट/सर्विस चार्ज, एनेक्सर X के क्रम संख्या – 23 (GST को छोड़कर कुल वेतन) में बताए गए कुल मज़दूरी हिस्से के 3.00 प्रतिशत से ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए, जो रु.8,77,500/- (राउंड ऑफ़) होता है। संविदाकर्ता के प्रॉफ़िट/सर्विस चार्ज को रु.8,77,500/- से कम बताने वाली बोलियां बिना कोई कारण बताए रिजेक्ट कर दी जाएंगी।</p> <p>बोलीकर्ता को प्रत्येक वर्ष (12 महीने) का प्रॉफ़िट/सर्विस चार्ज रु. में बताना होगा (परसेंटेज में नहीं)।</p>
3.3.3	<p>हर बिडर के लिए यह ज़रूरी होगा कि वह उन सभी लोकल हालात और वजहों को अच्छी तरह जान ले, जिनका संविदा के परफॉर्मेंस और वस्तु की कीमत पर कोई असर पड़ सकता है। एक बार जब बिडर बैंक का ऑफ़र मान लेता है, तो किसी भी लोकल हालात या वजह से कीमत में बदलाव की कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। हालांकि, इसमें मिनिमम वेज/सरकारी लेवी में कोई भी बदलाव शामिल नहीं है, जो कानूनी तौर पर देने लायक हैं और बैंक के सैटिस्फैक्शन पर मंजूरी दी जा सकती है।</p>
3.4	<p><u>खंड 1.2</u> के क्लॉज़ 1.2 में बताई गई अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए बोलियां वैलिड रहेंगी। अगर ज़रूरत हो, तो आपसी सहमति से इस अवधि को दो वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।</p>

3.5	बयाना राशि जमा (EMD) / बोली सुरक्षा:
3.5.1	बोलीकर्ता को अपनी बोली के साथ ₹8,12,000/- की EMD NEFT/RTGS से जमा करनी होगी। ईएमडी खाता संख्या-186003001, भारतीय रिज़र्व बैंक, IFSC कोड - RBIS0BBPA01 (5 वां और 10 वां अक्षर 'शून्य' है), ब्रांच का नाम – भुवनेश्वर
3.5.2	ईएमडी NEFT/RTGS/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में निर्धारित फॉर्मेट (Annexure I A) में होगी, जो शेड्यूल्ड बैंक से ली जाएगी और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर को प्रस्तुत करना होगा। EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3.5.3	जिन बिड्स के साथ EMD नहीं होगी, उन्हें नॉन-रिस्पॉन्सिव माना जाएगा और बैंक अपनी मर्जी से उन्हें रिजेक्ट कर देगा।
3.5.4	सफल टेंडरर के अलावा बाकी सभी टेंडर्स की EMD, बिड की वैलिडिटी (बढ़ी हुई वैलिडिटी सहित) खत्म होने पर या सफल टेंडरर को काम मिलने पर, जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी, लेकिन बिना किसी ब्याज के।
3.5.5	सफल बिडर की EMD, क्लॉज़ 4.11 के अनुसार नई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी।
3.5.6	संविदाकर्ता से मुआवज़ा/रिकवरी: इस संविदा के नियमों और शर्तों के तहत संविदाकर्ता द्वारा बैंक को दिया जाने वाला सारा मुआवज़ा या अन्य रकम, महीने के बिल की रकम/सिक्योरिटी डिपॉज़िट से काटी जा सकती है या अगर रकम इजाज़त देती है तो बैंक गारंटी का इस्तेमाल करके काटी जा सकती है, जब तक कि सफल बोली लगाने वाला बैंक द्वारा डिमांड नोटिस जारी होने के दस दिनों के अंदर ऐसी रकम कैश में जमा न कर दे।
3.6	ईएमडी जप्त कर लिया जाएगा यदि बोलीदाता:
(i)	जमा किए गए फॉर्म, विवरण और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत बयानी करना, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही का विवरण छिपाना जो अन्यथा पात्रता मानदंडों पर कोई प्रभाव डाल सकता था;
(ii)	अगर वेंडर/संविदाकर्ता कमर्शियल बिड खुलने के बाद बिड वापस ले लेता है।
(iii)	अगर वेंडर/संविदाकर्ता तय समय में उसे दिया गया काम शुरू नहीं कर पाता है।
3.7	बोलियाँ जमा करने की प्रक्रिया
	इंटरैस्टेड बोलीकर्ताओं / एजेंसियां बताए गए फॉर्म में टेंडर दो हिस्सों में अपलोड करेंगी। पार्ट-1 टेंडर में बोलीकर्ताओं का कवरेजिंग लेटर, बोलीकर्ताओं की एक्स्ट्रा शर्तें, अगर कोई हों, और एनेक्सर में बताए गए दस्तावेज होंगे।
3.7.1	टेक्नो - कमर्शियल बिड
(a)	टेक्नो - कमर्शियल बिड में कीमतें नहीं बताई जानी चाहिए/शामिल नहीं की जानी चाहिए।
(b)	टेक्नो - कमर्शियल बिड का हिस्सा होगा
3.7.2	वित्तीय बोली (मूल्य बोली)
	फाइनेंशियल बिड में कोई भी शर्त नहीं बताई जानी चाहिए।

3.8	कोई भी कंडीशनल/ऑप्शनल कोट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3.9	बिड मिलने के बाद बिड लगाने वालों को अपनी बिड में बदलाव या बदलाव करने की इजाजत नहीं होगी।
3.10	बोलियों की प्राप्ति - बोलियाँ "निविदा अनुसूची" में दिए गए निर्धारित समय और दिनांक तक स्वीकार की जाएंगी।
3.11	टेक्नो - कमर्शियल बिड का उद्घाटन
	टेक्नो - कमर्शियल बिड, टेंडर शेड्यूल (SoT) में बताई गई दिनांक और समय पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर में खोली जाएगी।
3.12	टेक्नो - कमर्शियल बोली की जांच
3.12.1	टेक्नो - कमर्शियल बोली का मूल्यांकन करार की विशेष शर्त (धारा IV) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।
3.12.2	टेक्नो - कमर्शियल बिड के मूल्यांकन के बाद , सिर्फ़ शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीकर्ताओं की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। ऑफ़र की टेक्निकल सूटेबिलिटी पर बैंक का फ़ैसला आखिरी होगा और उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
3.12.3	बैंक बिडर के क्लाइंट्स और बैंकर्स से उसके पिछले परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट लेगा। बैंक टेंडर्स का पार्ट-II खोलने से पहले इन रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट करेगा। अगर किसी भी समय किसी बिडर में टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी एलिजिबिलिटी नहीं पाई जाती है और/या उसके क्लाइंट्स से मिली उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स और/या उसके बैंकर्स की रिपोर्ट ठीक नहीं पाई जाती है, तो बैंक टेंडर का पार्ट-I खोलने के बाद भी उसके ऑफ़र को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए मजबूर नहीं है।
3.13	वित्तीय बोली खोलना
	बाद में खोली जाएंगी और ऐसे शॉर्ट-लिस्टेड बोलीकर्ताओं को दिनांक और समय के बारे में उसी हिसाब से बताया जाएगा। शॉर्ट-लिस्टेड बोलीकर्ताओं या उनके ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव अगर चाहें तो फाइनेंशियल बिड्स खोलने के लिए मौजूद रह सकते हैं।
3.14	वित्तीय बोली की जांच
	फाइनेंशियल बिड का मूल्यांकन खंड VIII में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।
3.15	बैंक किसी भी बिड को स्वीकार करने और किसी या सभी बिड को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
	बैंक के पास वर्क ऑर्डर देते समय या संविदा साइन करते समय या संविदा के दौरान किसी भी समय क्वांटिटी के शेड्यूल में बदलाव करने का अधिकार है।
	ऊपर बताई गई किसी भी बात के बावजूद, बैंक के पास संविदा देने से पहले किसी भी समय किसी भी बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, जिससे प्रभावित बिडर या बिडरों पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं आएगी। बैंक किसी भी या सभी बिड को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बता सकता है। बैंक के पास संविदा देने से पहले किसी भी स्टेज पर, नीचे दी गई वजहों से सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसल/रद्द करने का अधिकार है:

(a)	यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है
(b)	किसी भी घटना के कारण चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं है
(c)	बोलीकर्ताओं की तरफ से संभावित सहयोग/मिलीभगत/शरारत का सबूत, जिससे कॉम्पिटिशन और सिलेक्शन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर असर पड़ रहा हो,
(d)	कोई अन्य कारण, जिसके कारण बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करना ज़रूरी हो
(i)	ऐसी कोई भी घटना होने पर, बैंक सभी बोलीकर्ताओं को 7 दिनों के अंदर या किसी भी सही समय पर ऐसे फैसले के बारे में बताएगा। बैंक बोलीकर्ताओं द्वारा जमा की गई EMD को भी ऐसे नोटिस जारी होने के सही समय के अंदर तुरंत वापस कर देगा। बैंक इस बारे में किसी भी बिडर को कोई कारण या सफाई देने के लिए मजबूर नहीं है। इस क्लॉज के तहत बैंक की ज़िम्मेदारी सिर्फ EMD वापस करने तक ही सीमित है और इस बारे में बैंक किसी भी तरह के खर्च/लागत का कोई और रीइंबर्समेंट नहीं करेगा।
(ii)	बैंक के पास यह भी अधिकार है कि अगर बैंक को लगता है कि मिली बिड्स ऊपर दिए गए सब-क्लॉज (a) से (d) में दिए गए कारणों से आर्थिक रूप से या किसी और तरह से मुमकिन नहीं हैं या मंजूर नहीं हैं, तो वह प्रोसेस को फिर से टेंडर कर सकता है या किसी सरकारी एजेंसी या क्वासी गवर्नमेंट एजेंसी से काम करवा सकता है।
3.16	विवादों का निपटारा और मध्यस्थता:
	<p>इस करार से संबंधित या उसके कारण उत्पन्न होने वाले कोई भी दावे, विवाद और/या मतभेद जैसे विनिर्देश, अनुमान, निर्देश, आदेश, कार्य में प्रयुक्त कारीगरी या सामग्री की गुणवत्ता, निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों की व्याख्या, इस करार की वैधता या समाप्ति इत्यादि को संबंधित पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा। हालांकि, यदि विवाद पूर्वोक्त चर्चाओं से हल नहीं होते हैं, तो मामले को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के मध्यस्थता के लिए निर्णय के लिए भेजा जाएगा। यदि एजेंसी ऐसी नियुक्ति से सहमत नहीं होती है, तो दोनों पक्ष एक-एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और फिर मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करेंगे। मध्यस्थ आवश्यकतानुसार अंतरिम पुरस्कार और/या निर्देश दे सकता है। मध्यस्थ/मध्यस्थों के पैनल का पुरस्कार अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 लागू होगा। एजेंसी और RBI के बीच किसी भी अनसुलझे विवाद की स्थिति में, यह भुवनेश्वर, ओड़िशा की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आएगा और भारत में लागू संबंधित कानूनी नियमों के तहत आएगा।</p> <p>यह तय हुआ है कि संविदाकर्ता किसी भी ऐसे मामले, सवाल या झगड़े के आर्बिट्रेशन में जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक आर्बिट्रेटर का फैसला नहीं आ जाता, एम्प्लॉयर के फैसले को मानेगा। आर्बिट्रेटर का कोई भी फैसला संविदाकर्ता को काम को असल में करने के बारे में एम्प्लॉयर के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। आर्बिट्रेशन की स्थान भुवनेश्वर, ओड़िशा होगी।</p>

<p>3.17</p> <p>(a)</p>	<p><u>न्यूनतम मज़दूरी</u></p> <p>लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970/ मिनिमम वेज एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार होने चाहिए। सफल बिडर यह पक्का करेगा कि उसके द्वारा काम पर रखे गए वर्कर्स को मिनिमम वेज का पेमेंट हो। पेमेंट वर्कर्स के बैंक अकाउंट/अकाउंट्स में NEFT के ज़रिए किया जाना चाहिए और सफल बिडर वेज का एक रजिस्टर बनाए रखेगा और अपने द्वारा काम पर रखे गए हर वर्कर को एक वेज स्लिप देगा और वेज स्लिप पर उनके साइन या अंगूठे का निशान लेगा। इसके अलावा, उन्हें संविदा लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अनुसार अपने एम्प्लॉयज को पीने का पानी, फर्स्ट एंड फैसिलिटी आदि जैसी ज़रूरी सुविधाएँ देनी होंगी।</p> <p>कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रसीद और बैंक डिटेल्स की एक कॉपी वेंडर को पेमेंट के लिए बैंक में जमा किए जाने वाले बिल के साथ देनी होगी। कंपनी/सफल बोलीकर्ता अपने कर्मचारियों को कोई कैश पेमेंट नहीं करेंगे।</p> <p><u>बहुत कुशल/कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल मज़दूरों को मिलने वाली कुल मज़दूरी में मिनिमम मज़दूरी और कानूनी बकाया (बेसिक + बदलने वाला महंगाई भत्ता), बोनस, लागू कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) शामिल होंगे।</u></p> <p>बोलीकर्ताओं को मिनिमम वेज एक्ट और दूसरे सभी लागू कानूनों, नियमों और कानूनी ज़रूरतों को मानना होगा। मिनिमम वेज और/या वेरिफ़ेबल डियरनेस अलाउंस को समय-समय पर चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल), मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बदला जाएगा, अर्थात प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से और 'इंडस्ट्रियल वर्कर्स' के लिए कोई भी दूसरा रैंडम बदलाव (अगर कोई हो) – 'कंस्ट्रक्शन या मेटेनेंस ऑफ़ रोड्स या रनवे या इन बिल्डिंग ऑपरेशन्स इनक्लूडिंग' 'एरिया B' के लिए। बोलीकर्ताओं को रेट्स ऑफ़र करते समय लेटेस्ट वेज स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा। ('B' एरिया में अनस्किल्ड, सेमी-स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए अभी मिनिमम वेज 01 अक्टूबर, 2025 से क्रम से ₹674/-, ₹ 760/-, ₹893/- और ₹981/- है।)</p>
<p>(b)</p>	<p>सफल बिडर को काम मिलने से पहले, लागू कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह उस खास काम को पूरा करने के लिए रखे गए सभी मज़दूरों को असल में मज़दूरी देगा, जो CLRA एक्ट के तहत मिनिमम मज़दूरी से कम नहीं होगी। साथ ही, सफल बिडर द्वारा ऐसी मज़दूरी न देने और ज़रूरी सुविधाएँ न देने पर कानूनी अधिकारियों द्वारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के खिलाफ़ शुरू की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयों से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को हर्जाना भी देगा।</p>

(c)	सफल बिडर बैंक को हर्जाना देगा और पेमेंट ऑफ़ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, संविदा लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट 1970 या इस संबंध में लागू किसी भी अन्य लेबर कानून/कानून के किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए सभी नुकसानों और दावों, नुकसान या मुआवजे से उसे सुरक्षित रखेगा। इस संबंध में अगर कोई देनदारी है, तो उसके लिए सिर्फ सफल बिडर ही ज़िम्मेदार होगा।
(d)	<p>मजदूरी अधिनियम, 1936 की उपधारा 5(1) 'मजदूरी के भुगतान का समय' का भी पालन करना होगा, जिसके अनुसार –</p> <p>पर या में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी —</p> <p>(क) औद्योगिक प्रतिष्ठान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिसमें या जिसमें एक हजार से कम व्यक्ति कार्यरत हैं, को सातवें दिन की समाप्ति से पूर्व भुगतान किया जाएगा।</p> <p>(b) किसी दूसरे इंडस्ट्रियल या कर्मशियल प्रतिष्ठान को, उस वेज-पीरियड के आखिरी दिन के बाद, जिसके लिए वेज देना है, दसवें दिन खत्म होने से पहले पेमेंट किया जाएगा। अगर संविदाकर्ता तय टाइमलाइन का पालन नहीं करता है, तो क्लॉज 4.5 के अनुसार पेनल्टी लगाई जाएगी।</p>
(e)	बैंक सफल बिडर से मज़दूरों के बैंक अकाउंट पेमेंट डिटेल्स भी मांगेगा और पूछताछ करने पर पेमेंट के सबूत के तौर पर काम पर रखे गए मज़दूरों के बैंक अकाउंट डिटेल्स देगा।
(f)	<p>बैंक सफल बिडर से यह भी कहेगा कि वे बैंक के इंजीनियर/केयरटेकर/दूसरे बैंक अधिकारियों से सही वेरिफिकेशन के बाद, ज़रूरी समर्थित दस्तावेज के साथ मंथली बिल अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करें।</p> <p>यह भी बताया जाता है कि महीने के बिल (सभी ज़रूरी समर्थित दस्तावेज के साथ) काम पूरा होने की दिनांक से 90 दिनों के अंदर (ज़्यादा से ज़्यादा) जमा करने होंगे।</p> <p>महीने के बिल/एकमुश्त चार्ज का पेमेंट NEFT से 45 दिनों के अंदर किया जाएगा, अगर टेंडर में बताए गए ज़रूरी दस्तावेज के साथ सही इनवॉइस जमा किया जाए। संविदाकर्ता को बैंक से पेमेंट का इंतज़ार किए बिना कर्मचारियों को सैलरी देनी होगी। बिना बताए गए दस्तावेज के जमा किए गए बिल पेमेंट के लिए प्रोसेस नहीं किए जाएंगे।</p>
3.18	लोगों और प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के लिए इंश्योरेंस:
	<p>संविदाकर्ता, लोगों, जानवरों या वस्तु को लगी किसी भी चोट या नुकसान और प्रॉपर्टी के किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो संविदाकर्ता की तरफ़ से किसी भी गलती से हो सकता है। इसलिए, संविदाकर्ता को काम शुरू करने से पहले, एम्प्लॉयर अर्थात रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और संविदाकर्ता के जॉइंट नाम से नीचे दी गई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी, जिसमें पहले वाले (RBI) का नाम पॉलिसी में सबसे पहले लिखा होगा।</p>

	<p>a. साइट पर तैनात सकल वेतन पर काम करने वाले सभी कामगारों के लिए कामगार मुआवजा नीति (डब्ल्यूसीपी)।</p> <p>b. थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी नीचे दी गई जानकारी के अनुसार:</p> <p>(i) घायल व्यक्तियों के लिए – प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये</p> <p>(ii) संपत्ति के नुकसान के लिए – 5 लाख रुपये प्रति दुर्घटना</p> <p>मौजूदा इंश्योरेंस गाइडलाइंस के अनुसार ओवरऑल लिमिट के अधीन।</p> <p>टिप्पणी:</p> <ul style="list-style-type: none"> ये पॉलिसी काम पूरा होने तक वैलिड रहेंगी। अगर सफल बिडर काम शुरू होने से पहले ये पॉलिसी नहीं देता है, तो बैंक के पास ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने और सफल बिडर के बिल से उसका खर्च वसूलने का अधिकार है। संविदाकर्ता किसी भी ऐसी लायबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसियों में कवर नहीं होती है, और किसी भी व्यक्ति, जानवर या इस संविदा को ठीक से पूरा न करने पर हुए सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे किसी भी वजह से नुकसान हुआ हो। संविदाकर्ता, काम से जुड़े किसी भी दावे या कार्रवाई से होने वाले सभी खर्चों, चार्ज या शुल्कों और उससे होने वाले किसी भी नुकसान या मुआवज़े के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा।
<p>3.19</p>	<p>करार पर हस्ताक्षर</p> <p>बोलीकर्ताओं के लिए स्पेशल कंडीशंस और स्पेशल कंडीशंस, यहां पहले बताई गई कंडीशंस, संविदा की कंडीशंस और टेंडर दस्तावेज के साथ अटैच्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स, बैंक और बोलीकर्ताओं के बीच बाद में हुई बातचीत और दिया गया वर्क ऑर्डर, सफल बोलीकर्ताओं के साथ किए जाने वाले फाइनल संविदा का आधार होंगे।</p> <p>बैंक से अपने टेंडर के एक्सेप्ट होने की जानकारी मिलने पर, सफल बिडर संविदा को लागू करने के लिए मजबूर होगा और उसके 14 दिनों के अंदर, सफल बिडर सही कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ड्राफ्ट एग्रीमेंट के अनुसार एक एग्रीमेंट पर साइन करेगा। स्टाम्प पेपर का खर्च संविदाकर्ता उठाएगा (एग्रीमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी एम्प्लॉयर द्वारा संविदाकर्ता को दी जाएगी)। आर्टिकल्स ऑफ़ एग्रीमेंट का ड्राफ्ट फॉर्मेट <u>खंड 1 X में दिया गया है।</u></p> <p>एग्रीमेंट पर साइन करने के बावजूद, बैंक द्वारा टेंडर की लिखित मंजूरी अपने आप में बैंक और टेंडर देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा, चाहे ऐसा संविदा बाद में किया जाए या नहीं। एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए स्टैम्प एक्ट के अनुसार ज़रूरी स्टैम्प पेपर का खर्च सफल बिडर को उठाना होगा। जब तक संविदाकर्ता द्वारा संविदा पर साइन नहीं किया जाता, तब तक किए गए काम के लिए कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा।</p>

	<p>सफल बिडर, बैंक की इजाजत के बिना संविदा का कोई भी हिस्सा सबलेट नहीं करेगा। इन शर्तों को तोड़ने पर, बैंक सफल बिडर को संविदा रद्द करने के लिए लिखकर नोटिस दे सकता है, जिसके बाद सिम्योरिटी डिपॉजिट बैंक की ज़ब्त हो जाएगा, और सफल बिडर के खिलाफ़ उसके दूसरे उपायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।</p> <p>अगर सफल बिडर तय समय में फॉर्मल एग्रीमेंट पर साइन नहीं करता है या तय दिनांक पर काम शुरू नहीं करता है, तो काम देने वाला लेटर कैंसिल माना जाएगा और जमा की गई EMD ज़ब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, बैंक ऐसे लोगों/एजेंसियों/कंपनियों को तीन वर्ष के लिए किसी भी टेंडर में हिस्सा लेने या बैंक में कोई भी काम करने से रोकने का अधिकार रखता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले, बैंक ऐसे बिडर को कारण बताओ (SCN) के लिए सात दिन का नोटिस दे सकता है और SCN को दिए गए किसी भी जवाब पर विचार करने के बाद ही उस व्यक्ति/एजेंसी/कंपनी को हटाने का आखिरी फैसला ले सकता है। इस बारे में रीजनल डायरेक्टर, भुवनेश्वर का फैसला आखिरी होगा।</p>
3.20	पार्ट टेंडर स्वीकार करने का अधिकार: बैंक टेंडर को पूरा या पार्ट स्वीकार करने का अधिकार रखता है।
3.21	यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि सामान्य शर्तें और शर्तें सांकेतिक प्रकृति की हैं और ये बैंक को नियम लगाने से नहीं रोकेंगी या निविदाकर्ता को ऐसे आगे या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने की आवश्यकता होती है, या उन नियमों और शर्तों को बदलें, संशोधित करें या छोड़ दें, जैसा कि नियत समय के लिए आवश्यक समझा जाए और उचित कार्यान्वयन का कार्य प्रदान किया जा रहा है अंतर्गत यह टेंडर.
3.22	असफलता का सफल बोलीकर्ता को अनुपालन करना साथ आवश्यकताएं का ऊपर खंड अवार्ड को रद्द करने और बैंक गारंटी लागू करने के लिए पर्याप्त आधार होंगे प्रस्तुत किया गया।
3.23	कर/ कर्तव्य/ लेवी: बताई गई कीमतों में GST शामिल नहीं होगा, लेकिन माना जाएगा कि इसमें सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट/लोकल बॉडीज़ द्वारा लगाए गए सभी दूसरे टैक्स, लोकल लेवी आदि शामिल हैं। अगर टेंडर देने वाला टेंडर में ऐसे टैक्स और ड्यूटी शामिल नहीं करता है, तो बैंक बाद में इस पर कोई क्लेम नहीं लेगा। अभी इस संविदा पर 18% GST लागू है और यह लागू कॉम्पोनेंट पर देना होगा और इसलिए ई-टेंडर भरते समय इसे कोट नहीं करना चाहिए।
3.24	संविदा को सब-लेट करने की इजाजत नहीं है - संविदा किसी भी हालत में ट्रांसफरबल संविदा नहीं है। अगर दिया जाता है, तो वेंडर संविदा को पूरी तरह या थोड़ा या संविदा का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी/ऑर्गनाइज़ेशन को असाइन/सब-लेट/ट्रांसफर नहीं करेगा।
3.25	ठेकेदार को होना मानना को पास होना संतुष्ट वह स्वयं पहले अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में निविदा देना काम करता है और का दरें और कीमतों उद्धरित में अनुसूची का मात्राएँ, कौन दरें और कीमतों करेगा, के अलावा जैसा अन्यथा प्रदान किया गया, ढकना

	सभी उसका करार के तहत दायित्व और सभी आवश्यक मामले और चीजें उचित पूरा होने और का रखरखाव काम।
3.26	बाल मज़दूरी करवाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर संविदा तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। साप्ताहिक छुट्टी अवश्य होना दिया गया को सभी जैसा कि कार्य के दायरे में उल्लेख किया गया है (जो चाहिए होना कठोरता से पालन को) जैसा प्रति वैधानिकसर्विस पर असर डाले बिना ज़रूरत। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं माना जाएगा। अन्य बजाय दरें उद्धरित द्वारा अटल। इसी तरह छोड़ो अवश्य होना दिया गया को लेबर कानूनों के अनुसार, वर्कर्स को एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ।
3.27	ऑफिस के समय के बाद भी सर्विस देना: नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अलावा, बैंक कभी-कभी ऑड वर्किंग आवर्स में भी काम करता है। अगर ज़रूरत पड़ी, तो संविदाकर्ता ऑफिस आवर्स के बाद भी मेंटेनेंस सर्विस देगा। उस समय काम पर रखे गए वर्कर्स के वर्किंग आवर्स के बारे में बैंक को बताया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि यह इंतज़ाम संविदाकर्ता को इस संविदा के लिए मंज़ूर मैनपावर के अंदर ही करना होगा। वर्कर्स को बैंक कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगा। बैंक संविदाकर्ता द्वारा रखे गए एम्प्लॉई को कोई अकोमोडेशन नहीं देगा। संविदाकर्ता को अपने एम्प्लॉई की सभी लायबिलिटीज़ उठानी होंगी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी शामिल है, भले ही वर्कर्स को ऑड आवर्स में ड्यूटी पर बुलाया गया हो। बैंक वर्कर्स के कन्वेयंस चार्ज और अकोमोडेशन के लिए कोई लायबिलिटी नहीं उठाएगा।
3.28	फाइनेंशियल ईयर के दौरान संविदा अमाउंट में बदलाव: लेबर कंपोनेंट के लिए, बैंक संविदाकर्ता को मिनिमम वेज में किसी भी बढ़ोतरी के लिए मुआवज़ा देगा, जैसा कि चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल), मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा समय-समय पर तय किया गया है और बोनस, PF और ESI कंपोनेंट जैसी संबंधित देनदारियों का भी उसी हिसाब से मुआवज़ा दिया जाएगा।
3.29	संविदा का रिन्यूअल: इस वर्ष के लिए संविदा का समय 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक है या जैसा बैंक ने फ़ाइनल वर्क ऑर्डर में बताया है। यह संविदा अक्षय के लिए 2027-28 (अप्रैल से मार्च) और 2028-29 (अप्रैल से मार्च) विषय को संतोषजनक कार्यनिष्पादन का ठेकेदार FY 2026-27 वर्ष के दौरान और टेंडर दस्तावेज में बताई गई अन्य शर्तें। रिन्यूअल के दौरान संविदा की रकम में बढ़ोतरी को इस तरह माना जाएगा: " श्रम घटक " के लिए, बैंक ठेकेदार को मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (नवीनीकरण के समय प्रचलित) और बोनस, पीएफ और ईएसआई घटकों जैसी संबंधित देनदारियों को देगा। <u>गैर- श्रम घटक (भाग-II)</u>

	<p>(i) आइटम A : " कंज्यूमेबल्स और ओवरहेड्स की लागत", संविदा के रिन्यूअल पर, लागत बढ़ने के आधार पर रेट्स में बदलाव किया जा सकता है। टैक्स को छोड़कर कंज्यूमेबल्स और ओवरहेड्स की लागत में प्रतिशत बढ़ोतरी नीचे दिए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैलकुलेट की जा सकती है –</p> $AC = AP (15 + 85 \times (CPIc/CPIp)) \times 1/100$ <p>जहां, एसी और एपी क्रमशः संशोधित मूल्य [चालू वर्ष] और वर्तमान मूल्य [पिछले वर्ष] हैं और सीपीआईसी और सीपीआईपी क्रमशः चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए करार की प्रारंभ तिथि से पहले 6 महीने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं।</p> <p>(ii) आइटम बी : " लाभ/सेवा शुल्क"</p> <p>इस मद के लिए संबंधित बोलीदाता द्वारा उद्धृत राशि को <u>अनुलग्नक X के क्रम संख्या – 23 (जीएसटी को छोड़कर कुल मजदूरी)</u> में विस्तृत कुल न्यूनतम मजदूरी के प्रतिशत (दो दशमलव तक) में परिवर्तित किया जाएगा। मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में किसी भी परिवर्तन और बोनस, पीएफ और ईएसआई घटकों जैसी संबंधित देनदारियों के अनुसार करार अवधि (नवीनीकृत अवधि सहित) के दौरान कुल मजदूरी पर जीएसटी को छोड़कर लाभ / सेवा शुल्क की गणना के लिए समान प्रतिशत (दो दशमलव तक) लागू किया जाएगा।</p> <p>हालाँकि, यदि कोई पक्ष करार के नवीनीकरण से पीछे हटना चाहता है, तो किसी भी पक्ष को आपसी विचार-विमर्श के आधार पर करार को समाप्त करने से पहले दूसरे पक्ष को तीन (03) महीने का नोटिस अवधि देनी होगी।</p>
<p>3.30</p>	<p>प्री-बिड मीटिंग:</p> <p>a) अगर बोलीकर्ताओं को इस दस्तावेज के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वे प्री-बिड मीटिंग की दिनांक से एक दिन पहले तक इस दस्तावेज में दिए गए ईमेल एड्रेस पर बैंक से लिखकर कॉन्टैक्ट करें या प्री-बिड मीटिंग के दौरान पूछताछ करें।</p> <p>30 दिसंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे ऑफलाइन प्री-बिड मीटिंग में आने के लिए बुलाया गया है (स्थान: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, एस्टेट डिपार्टमेंट, अन्य मंज़िल, भुवनेश्वर-751001)। मीटिंग का उद्देश्य मुद्दों को साफ़ करना और उस समय उठाए जा सकने वाले सवालों के जवाब देना होगा।</p> <p>नोट: सभी बोलीकर्ताओं कृपया ध्यान दें कि अगर भविष्य में टेंडर में कोई भी बदलाव / सुधार जारी किया जाता है, तो उसे ऊपर दिए गए तरीके से RBI वेबसाइट और MSTC वेबसाइट पर बताया जाएगा और अखबार में नहीं छापा जाएगा।</p>

स्थान:

दिनांक :

(अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम
फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित)

खंड IV:
करार की विशेष शर्तें

4.1.	टेक्नो - कमर्शियल बिड और फाइनेंशियल बिड का मूल्यांकन <u>खंड VIII में दी गई जानकारी के अनुसार किया जाएगा।</u>
4.1.1	टेक्नो - कमर्शियल बिड :
	बैंक, बोलीकर्ताओं के दिए गए प्रपोज़ल के हिसाब से, <u>खंड II में स्कोप ऑफ़ वर्क में बताई गई बैंक की ज़रूरत के हिसाब से मिली टेक्नो - कमर्शियल बिड की जांच और मूल्यांकन करेगा। सभी बोलीकर्ताओं जो टेक्निकल मूल्यांकन में बैंक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वे अपनी फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए एलिजिबल होंगे।</u>
4.1.2	वित्तीय बोली:
(ए)	टेंडर के मूल्यांकन की जानकारी <u>खंड VIII में दी गई है।</u> अर्थात बोलियों की जांच।
4.2	करार का नवीनीकरण
	2026 से 31 मार्च, 2027 तक वैलिड रहेगा और ठीक-ठाक परफॉर्मेंस होने पर इसे दो वर्ष (एक बार में एक वर्ष) के लिए रिन्यू किया जा सकता है। हालाँकि, यदि कोई पक्ष करार के नवीनीकरण से पीछे हटना चाहता है, तो किसी भी पक्ष को आपसी विचार-विमर्श के आधार पर करार को समाप्त करने से पहले दूसरे पक्ष को तीन (03) महीने का नोटिस अवधि देनी होगी।
4.3	गैर-प्रकटीकरण
	सफल बिडर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट आदि की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो इस एग्रीमेंट के संबंध में संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान सफल बिडर के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और इसे हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। सफल बिडर संविदा की डिटेल्स को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय उस हद तक जब संविदा के तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। सफल बिडर बैंक की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी जानकारी पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश होने नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। सफल बिडर किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के खुलासे की वजह से बैंक को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को सफल बिडर की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। सफल बिडर अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस एग्रीमेंट के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की जिम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो। किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी, जानकारी न बताने और गोपनीयता के संबंध में सफल बिडर की जिम्मेदारी बनी रहेगी।

4.4	कर्मियों/कर्मचारियों की पहचान और सत्यापन				
4.4.1	सफल बिडर को अपने कर्मचारियों या एजेंट को पहचान पत्र देना होगा जो बैंक की स्थान पर काम करेंगे। सभी कर्मचारियों और एजेंट को बैंक की स्थान पर काम करते समय हर समय पहचान पत्र रखना होगा।				
4.4.2	सफल बोलीकर्ता को अपने कर्मचारियों के कैरेक्टर और पिछली ज़िंदगी पर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और इस संविदा के तहत दी जाने वाली उम्र, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नाम और परमानेंट एड्रेस से जुड़ी अन्य डिटेल्स, साथ ही उनके पासपोर्ट साइज़ फोटो लेने होंगे, इससे पहले कि वे बैंक की स्थान पर ड्यूटी पर लगे। ऐसे लोगों के आधार कार्ड की एक कॉपी और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बैंक की स्थान पर उनकी तैनाती से पहले बैंक को दी जाएगी।				
4.5	जुर्माना				
	क्र. सं.	कमी/अनियमितता के प्रकार	1 उदाहरण एक वर्ष में	2-5 उदाहरण एक वर्ष में	5 से अधिक उदाहरण एक वर्ष में
	1.	कॉलोनिनों के निवासियों/बैंक के किसी अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के समाधान में शिकायत दर्ज होने के समय से तीन (03) घंटे से अधिक का विलंब	हर मामले में रु.500/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.1000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.2000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।
	2.	अगर पौधों और लॉन की हेल्थ और ग्रोथ के बारे में काम और/या बैंक के दिए गए निर्देश सही समय पर पूरे नहीं होते हैं या पौधों, वर्टिकल गार्डन, लैंडस्केपिंग, गमले वाले पौधों आदि का ठीक से रखरखाव नहीं होता है, तो बैंक को यह छूट दी जाएगी।	हर मामले में रु.500/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.1000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.2000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।
	3.	अगर बैंक को नीचे दिए गए कार्यों की क्वालिटी ठीक नहीं लगी, तो: (ए) रखरखाव और हाउसकीपिंग (ख) शौचालयों और स्नानघरों की सफाई (ग) प्लैटों की सफाई	हर मामले में रु.500/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.1000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.2000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।

4.	Annexure VIII में बताए गए कंज्यूमेबल्स की सप्लाई में देरी से स्थान की पूरी सफाई और मेंटेनेंस पर असर पड़ेगा।	हर मामले में रु.2000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.3000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.5000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।
5.	बैंक और तीन रेजिडेंशियल कॉलोनियों से कचरा उठाने और ग्रीन वेस्ट और खाद के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तय शिफ्ट का पालन नहीं किया जा रहा है।	हर मामले में रु.2000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.3000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.5000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।
6.	बैंक और तीन रिहायशी कॉलोनियों में तैनात कर्मचारियों द्वारा यूनिफॉर्म न पहनना	हर मामले में रु.500/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.1000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.1500/- और बैंक जो भी सही समझे, अन्य कार्रवाई।
7.	बैंक को बिना बताए और मंजूरी दिए कर्मचारियों को बदलना/ बैंक के कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज या उनका अपमान करने वाला व्यवहार करना।	हर मामले में रु.2000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.3000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.5000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।
8.	इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेतन का पेमेंट न करना या ऐसे पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्री सबूत जमा न करना	हर मामले में रु.1000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.2000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.3000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।
9.	कानूनी और दूसरे रजिस्टर/दस्तावेज न रखना या बैंक द्वारा मांगे गए ज़रूरी दस्तावेज जमा न करना / सैलरी के पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्री सबूत जमा न करना।	हर मामले में रु.1000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.2000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.1000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।

10.	करार में तय की गई संख्या से कम मैनपावर तैनात किया गया	हर व्यक्ति के लिए हर मामले में 500 रुपये और बैंक जो भी सही समझे, अन्य कार्रवाई।	हर व्यक्ति के लिए हर मामले में 1000 रुपये और बैंक जो भी सही समझे, अन्य कार्रवाई।	हर व्यक्ति के लिए हर मामले में 1500 रुपये और बैंक जो भी कार्रवाई करे, वह सही होगी।
11।	केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है / निषेध का पालन नहीं किया जा रहा है / केंद्र/राज्य सरकार के कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है।	हर मामले में रु.2000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.3000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.5000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।
12.	द पेमेंट ऑफ़ वेजेज़ एक्ट, 1936 के खंड 5 और द पेमेंट ऑफ़ वेजेज़ (प्रोसीजर) रूल्स, 1937 में तय टाइमलाइन के हिसाब से उनके द्वारा काम पर रखे गए वर्कर्स को पेमेंट न करना।	हर मामले में रु.500/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.1000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.2000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।
13.	कोई और कमी/अनियमितता जो संविदा के नेचर/स्कोप को देखते हुए ज़रूरी हो	हर मामले में रु.500/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.1000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।	हर मामले में रु.2000/- और अन्य कार्रवाई जो बैंक ठीक समझे।

➤ बैंक सर्विस की क्वालिटी, सप्लाई किए गए कंज्यूमेबल्स की क्वालिटी, वेंडर द्वारा तैनात मैनपावर द्वारा बैंक के स्टाफ के साथ गाली-गलौज या उनके साथ बेइज्जती वाला बर्ताव, और इस संविदा के तहत आने वाली किसी भी अन्य कमी/अनियमितता की सरप्राइज चेकिंग के लिए ऑफिसर्स को भेजेगा।

➤ अगर किसी तिमाही में तीन से ज़्यादा बार ऐसी कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो बैंक के पास संविदा खत्म करने या ऐसे टेंडर देने वाले को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। इसके अलावा, अगर उन्हें टेंडर दस्तावेज के खंड IV के पैरा 4.5 (SI. No. 1 से 13) में किसी भी तरह की गड़बड़ी मिली, तो वे उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं।

➤ बैंक पेनल्टी माफ़ करने पर तभी विचार कर सकता है जब पेनल्टी लगने के 15 दिनों के अंदर संविदाकर्ता से रिक्वेस्ट मिले और उसे यकीन हो कि संविदाकर्ता के बताए

	<p>कारण सही हैं और बैंक की सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद ही उसके कंट्रोल से बाहर हैं। इस बारे में बैंक का फ़ैसला आखिरी होगा।</p> <p>➤ संविदाकर्ता पर लगाई गई पेनल्टी की रकम, अगर रकम इजाज़त देती है तो बैंक के पास मौजूद सिक्योरिटी डिपॉज़िट/बैंक गारंटी से या संविदाकर्ता को देने वाले बिलों से एडजस्ट की जाएगी, जैसा कि बैंक तय करेगा।</p>
4.6	<p>भुगतानी की शर्तें:</p> <p>महीने के बिल/एकमुश्त चार्ज का पेमेंट NEFT से 45 दिनों के अंदर किया जाएगा, अगर टेंडर में बताए गए ज़रूरी दस्तावेज के साथ सही इनवॉइस जमा किया जाए। संविदाकर्ता को बैंक से पेमेंट का इंतज़ार किए बिना कर्मचारियों को सैलरी देनी होगी। बिना बताए गए दस्तावेज के जमा किए गए बिल पेमेंट के लिए प्रोसेस नहीं किए जाएंगे।</p>
4.7	<p>अप्रत्याशित घटना:</p> <p>अगर संविदा के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में देरी या कोई और नाकामी किसी फ़ोर्स मेज्योर की वजह से होती है, तो बिडर/सफल बिडर अपनी EMD/सिक्योरिटी डिपॉज़िट (परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी - PBG) ज़ब्त करने या लिक्विडेटेड डैमेज के पेमेंट या डिफ़ॉल्ट के लिए टर्मिनेशन के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस क्लॉज़ के उद्देश्य के लिए, “फ़ोर्स मेज्योर” का अभिप्राय है ऐसी घटना जो बिडर/सफल बिडर के कंट्रोल से बाहर हो और जिसमें बिडर/सफल बिडर की गलती या लापरवाही शामिल न हो और जिसका पहले से अंदाज़ा न लगाया जा सके। ऐसी घटनाओं में युद्ध या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, क्वारंटाइन पर रोक, माल ढुलाई पर रोक आदि शामिल हो सकते हैं। बैंक यह तय करेगा कि बिडर/सफल बिडर की तरफ़ से देरी या नाकामी उसके कंट्रोल से बाहर की किसी घटना की वजह से हुई थी या नहीं। इस बारे में बैंक का फ़ैसला आखिरी होना चाहिए और बिडर/सफल बिडर पर लागू होना चाहिए और किसी भी कार्रवाई में किसी भी कोर्ट/फ़ोरम के सामने इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।</p>
4.8	<p>चूक होने पर समाप्ति</p>
4.8.1	<p>बैंक, संविदा तोड़ने पर किसी भी दूसरे उपाय पर बिना किसी असर के, सफल बिडर को तीन महीने का लिखित नोटिस देकर और अगर सफल बिडर गलती को ठीक करने के लिए कोई सुधार का प्रस्ताव नहीं देता है और/या उसे करने में लापरवाही करता है, तो इस AMC संविदा को पूरी तरह या कुछ हिस्से में खत्म कर सकता है, अगर ये हालात हों:</p>
(i)	<p>काम के दायरे की कोई भी या सभी चीज़ें संविदा में बताए गए समय के अंदर डिलीवर नहीं कर पाता है। या</p>
(ii)	<p>अगर सफल बिडर संविदा के तहत कोई अन्य ज़िम्मेदारी पूरी करने में फेल हो जाता है।</p>
4.8.2	<p>डिफ़ॉल्ट के कारण संविदा खत्म होने पर, सफल बिडर का सिक्योरिटी डिपॉज़िट (PBG-परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी) ज़ब्त कर लिया जाएगा।</p>
4.8.3	<p>डिफ़ॉल्ट के कारण संविदा खत्म होने पर, बैंक अपनी मर्ज़ी से सफल बिडर को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करेगा।</p>
4.8.4	<p>टेंडर दस्तावेज में बताए गए टर्म्स एंड कंडीशंस के उल्लंघन के मामले में बैंक को कोर्ट जाने का अधिकार है।</p>

4.9	<p>दिवालियापन होने पर समाप्ति:</p> <p>अगर सफल बिडर बैंक रूट हो जाता है या किसी और तरह से दिवालिया हो जाता है, तो बैंक किसी भी समय सफल बिडर को लिखित नोटिस देकर संविदा खत्म कर सकता है, और इसके लिए उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। शर्त यह है कि इस तरह के खत्म होने से बैंक के किसी भी एक्शन या उपाय के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसे लेने या मांगने का उसे हक है या होगा।</p>
4.10	<p>पेटेंट:</p> <p>सफल बिडर, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ बैंक को हर्जाना देगा और ऐसे दावों से होने वाले सभी एक्शन का बचाव करेगा और खुद सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, डैमेज कॉस्ट और सभी तरह के चार्ज का पेमेंट करेगा जो कानूनी तौर पर इसके संबंध में लग सकते हैं।</p>
4.11	<p>कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (PBG):</p> <p>काम पूरा होने की अवधि के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) : काम मिलने पर, सफल संविदाकर्ता को संविदा की कीमत का 5% (पांच प्रतिशत) किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से बैंक गारंटी (BG) के तौर पर देना होगा, जैसा कि बैंक ने Annexure में बताया है। संविदा की शर्तों को पूरा करने के लिए संविदाकर्ता को सिक्योरिटी डिपॉजिट या PBG के बराबर रकम ऑनलाइन मोड (NEFT / RTGS) से SOT में बताए गए बैंक अकाउंट में जमा करनी होगी। यह परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) शुरू में संविदा की अवधि और तीन (3) महीने के लिए वैलिड होगी और संविदा की अवधि बढ़ने पर इसे सही तरीके से बढ़ाया जाएगा। ऐसी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) वर्क ऑर्डर जारी होने के 14 दिनों के अंदर या काम शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, बैंक में जमा करनी होगी और संविदा की अवधि पूरी होने के 3 महीने बाद इसे वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>अगर संविदाकर्ता तय समय के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी नहीं दे पाता है, तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करने में देरी का चार्ज (ज़रूरी हालात में जमा करने में देरी होने पर) संविदाकर्ता के बिल से मौजूदा बैंक रेट पर वसूला जाएगा।</p> <p>टेंडर जमा करते समय जमा किया गया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG)/सिक्योरिटी डिपॉजिट NEFT/RTGS के ज़रिए जमा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>इस करार की शर्तों के तहत सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि सुरक्षा जमा से काटी जा सकती है, यदि राशि ऐसा करने की अनुमति देती है, जब तक कि सफल बोलीदाता बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी करने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर चेक / डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी द्वारा ऐसी राशि जमा नहीं करता है।</p>
4.12	<p>सुरक्षा कोड का पालन:</p>
	<p>संविदाकर्ता को अपने लेटर हेड में एनेक्सर XII में दी गई जानकारी के अनुसार सेफ्टी कोड का पालन करने के बारे में एक अंडरटेकिंग देनी चाहिए।</p>

4.13	<p>स्टाफ और कर्मचारियों का नियोजन :</p> <p>संविदाकर्ता काम पूरा होने के दौरान और उसके बाद भी संविदा खत्म होने तक, संविदा के तहत ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी ज़रूरी सुपरिन्टेंडेंस देगा।</p> <p>बैंक को इस बात पर एतराज़ करने और संविदाकर्ता को ऐसे किसी भी व्यक्ति को काम से हटाने के लिए कहने की आज्ञादी होगी जो उसकी राय में गलत काम करता है या अपने काम को करने में नासक्षम या लापरवाह है या जिसकी नौकरी बैंक को किसी और तरह से सही नहीं लगती। ऐसे व्यक्ति को बैंक की लिखी हुई इजाज़त के बिना काम की स्थान पर दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा और हटाए गए लोगों की स्थान जल्द से जल्द सक्षम लोगों को रखा जाएगा।</p> <p>काम पर रखे गए स्टाफ़ की ये हरकतें बैंक या संविदाकर्ता को उस कर्मचारी के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर करेंगी –</p> <p>(i) जानबूझकर अवज्ञा, (ii) चोरी/धोखाधड़ी/बेईमानी, (iii) आदतन देर से आना, (iv) आदतन अनुशासनहीनता, (v) परिसर में शराब पीना और धूम्रपान करना, (vi) ड्यूटी के दौरान सोना आदि।</p>
4.14	<p>संविदाकर्ता को सभी ज़रूरी कानूनी कानूनों का पालन करना होगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> • संविदाकर्ता को काम शुरू करने से पहले संविदा लेबर (R&A) एक्ट, 1970, और संविदा लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) सेंट्रल रूल्स, 1971 के तहत एक वैलिड लाइसेंस लेना होगा, और काम पूरा होने तक वैलिड लाइसेंस रखना होगा। संविदाकर्ता को चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1986, मिनिमम वेजेज (सेंट्रल गवर्नमेंट) रूल्स, 1950 के प्रोविज़न्स का भी पालन करना होगा। • ठेकेदार को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा की शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996, यदि लागू हो, के प्रावधानों का भी पालन करना होगा। • संविदाकर्ता को पेमेंट ऑफ़ वेजेज़ एक्ट, 1936, मिनिमम वेजेज़ एक्ट, 1948, एम्प्लॉइज़ लायबिलिटी एक्ट, 1938, वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट, 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, 1961, या उनके बदलावों या किसी दूसरे संबंधित कानून और समय-समय पर उनके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। <p>संविदाकर्ता को काम के संबंध में लागू होने वाले किसी भी दूसरे संबंधित कानून के नियमों का पालन करना होगा। इन ज़रूरतों को पूरा न करने पर संबंधित एक्ट के सज़ा के नियम लागू होंगे और संविदाकर्ता को इस संविदा के किसी भी दूसरे सज़ा के नियमों के अलावा इसके नतीजे भी भुगतने होंगे। संविदाकर्ता, लागू होने वाले कानूनों के किसी भी नियम का पालन न करने की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा।</p>

4.15	<p>सफल बोलीकर्ता की अन्य ज़िम्मेदारियां:</p> <ul style="list-style-type: none"> • सफल बिडर को बैंक द्वारा रखे गए दूसरे वेंडर और लेबर के साथ को-ऑपरेशन बनाए रखना होगा ताकि बैंक के सभी तरह के काम आसानी से चल सकें। • इस IFMS संविदा के अलावा, बैंक अपनी मर्जी से, पेंटिंग, फॉल्स सीलिंग रिपेयर आदि जैसे अलग-अलग इलेक्ट्रिकल/सिविल/जनरल कार्यों के लिए IFMS एजेंसी को चुन सकता है (लेकिन उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा), जिसके लिए वह मना नहीं करेगा और यह पक्का करेगा कि ये काम समय पर पूरे हों, क्योंकि ऐसे काम कुछ तय समय में करने होते हैं। यह ध्यान दें कि अगर कोई काम होता है, तो उसके लिए अलग से वर्क ऑर्डर और मुआवज़ा दिया जाएगा।
4.16	<p>कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करना:</p> <p>सफल बिडर 'वर्कप्लेस पर महिलाओं के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट (प्रीवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013' के प्रोविज़न का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के कैंपस में अपने एम्प्लॉई के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी कंप्लेंट के मामले में, कंप्लेंट सफल बिडर द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने फाइल की जाएगी। सफल बिडर कंप्लेंट के संबंध में उस एक्ट के तहत सही एक्शन पक्का करेगा।</p> <p>संविदाकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ से बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमेटी ध्यान देगी।</p> <p>अगर घटना में सफल बिडर का कर्मचारी शामिल होता है, तो पैसे के किसी भी मुआवज़े के लिए सफल बिडर ज़िम्मेदार होगा, जैसे कि अगर सफल बिडर के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।</p> <p>सफल बिडर अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।</p> <p>सफल बिडर को बैंक की स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।</p>
4.17	<p>करार की समाप्ति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ऊपर बताई गई बातों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवज़े का भुगतान किए, तीन (03) महीने का नोटिस देकर किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा इस करार को तुरंत समाप्त करने का हकदार होगा, यदि

	<ol style="list-style-type: none"> a. बैंक की राय में (जिस पर सफल बोली लगाने वाला सवाल नहीं उठाएगा और यह सफल बोलीकर्ता पर लागू होगा) सफल बोली लगाने वाला बैंक की संतुष्टि के लिए इस करार को लागू करने में विफल रहता है या मना कर देता है, और/या b. सफल बोली लगाने वाला इस एग्रीमेंट / टेंडर के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, और/या c. सफल बोलीकर्ता को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या उसके लेनदारों के साथ करार कर लिया जाता है या अगर सफल बोलीकर्ता पर संकट या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया लागू की जाती है या उसकी संपत्ति या संपत्ति के किसी हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है, और/या d. किसी भी कारण से, सफल बोली लगाने वाला इस एग्रीमेंट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कानूनी तौर पर अयोग्य हो जाता है, और/या e. सफल बिडर या उसके बिज़नेस की ओनरशिप/पार्टनरशिप या मैनेजमेंट में कोई भी बदलाव, बैंक की पहले से लिखित मंजूरी के बिना किया जा सकता है। <ol style="list-style-type: none"> 2. टेंडर की मौत होने पर बैंक का संविदा खत्म करने का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति: इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर संविदाकर्ता, जो एक व्यक्ति/सोल प्रोप्राइटर है, की मौत हो जाती है, तो बैंक के पास संविदा खत्म करने का ऑप्शन होगा, और ऐसी किसी भी देनदारी के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। 3. किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के खत्म होने पर, सफल बिडर/या उसके या उसके एजेंट द्वारा काम पर रखे गए लोग, बैंक से मुआवज़े, नुकसान या किसी और तरह से कोई भी रकम पाने के हकदार नहीं होंगे।
4.18	<p>बोलीकर्ता को इन वजहों से बोली लगाने से रोका जा सकता है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अगर यह पता चलता है कि बोलीकर्ता ने ईमानदारी के नियम का उल्लंघन करते हुए ये काम किए हैं या गलतियाँ की हैं: <ol style="list-style-type: none"> a. खरीद प्रक्रिया में गलत फ़ायदा पाने के लिए या खरीद प्रक्रिया को किसी और तरह से प्रभावित करने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या तोहफ़ा या कोई भी ज़रूरी फ़ायदा देने, मांगने या लेने की पेशकश करना।

	<p>b. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने की कोशिश कर सकती है ताकि फाइनेंशियल या दूसरा फायदा मिल सके या किसी ज़िम्मेदारी से बचा जा सके।</p> <p>c. खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को प्रभावित कर सकता है।</p> <p>d. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में गलत फ़ायदा उठाने या अपने फ़ायदे के लिए प्रोक्योर करने वाली कंपनी द्वारा बोलीकर्ता को दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना।</p> <p>e. बोलीकर्ता और खरीदने वाली कंपनी के किसी भी अधिकारी के बीच टेंडर या संविदा पूरा करने की प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी फाइनेंशियल या बिज़नेस लेन-देन: जो खरीदने वाली कंपनी के फैसले पर सीधे या इनडायरेक्टली असर डाल सकता है।</p> <p>f. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दबाव या धमकी।</p> <p>g. किसी खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या ऑडिटिंग में बाधा डालना।</p> <p>h. टेंडर प्रोसेस में हिस्सा लेने या संविदा पाने के लिए गलत घोषणा करना या गलत जानकारी देना।</p> <p>i. हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल रहे।</p> <p>j. i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्थान / इकाई द्वारा निषिद्ध किए जाने का खुलासा करने में विफल रहा।</p> <p>2. बिडर द्वारा कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी के उल्लंघन के अलावा किसी भी ऐसे काम या चूक के लिए, जिसके लिए बैंक की राय में डिबारमेंट ज़रूरी है, जैसे कि घटिया मटीरियल की सप्लाई, मटीरियल की सप्लाई न होना, काम छोड़ देना, काम की घटिया क्वालिटी, टेंडर की शर्तों का पालन न करना आदि।</p> <p>3. अगर बोलीकर्ता को किसी जुर्म का दोषी ठहराया गया है - (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत; या (b) इंडियन पीनल कोड या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत, पब्लिक प्रोक्योरमेंट संविदा को पूरा करने के दौरान जान-माल का नुकसान करने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पैदा करने के लिए।</p>
--	--

	बिडर को पब्लिक संस्थानों द्वारा डिबारमेंट की घोषणा के बारे में एक अंडरटेकिंग देनी होगी और (लेटरहेड पर एनेक्सर VII A के अनुसार) और बिडर को भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले देश के बारे में अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफिकेट देना होगा (लेटरहेड पर एनेक्सर VII B के अनुसार)
<p>मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और अगर ऊपर बताया गया संविदा मुझे/हमें सौंपा जाता है, तो ये मुझ पर लागू रहेंगे।</p> <p>मैं/हम यह भी नोट करते हैं कि यह लेटर संविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा और इस लेटर का कंटेंट टेंडर की शर्तों के सप्लीमेंट्री होगा, न कि उससे अलग होगा, सिवाय इसके कि इसमें खास तौर पर बताया गया हो।</p> <p>संबंधित कानूनी कानूनों के हिसाब से नहीं पाया जाता है, तो फाइनेंशियल बिड रिजेक्ट कर दी जाएगी।</p> <p>मैंने/हमने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिए हैं और मैं/हम इनसे सहमत हैं।</p> <p style="text-align: right;">स्थान: (अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित)</p>	
दिनांक :	

खंड V

करार की सामान्य शर्तें

सफल **बोलीकर्ता** को ये रजिस्टर रखने होंगे -

i. *उपस्थिति रजिस्टर*

- ii. रूटीन/प्रिवेंटिव/पीरियोडिक मेंटेनेंस वर्क रजिस्टर (सॉफ्ट और हार्ड फॉर्म)।
 - iii. बैंक के अधिकारियों के बताए अनुसार कोई और लॉगबुक।
1. ऊपर दिए गए रजिस्ट्रों को बैंक के अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए चेक करेंगे।
 2. अपने स्टाफ को रोज़ाना के मेंटेनेंस और इमरजेंसी के लिए सभी ज़रूरी टूल्स देना।
 3. अपने स्टाफ को सभी सेफ्टी इक्विपमेंट, सामान देना।
 4. अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षा जूते, इंसुलेटेड दस्ताने, रेनकोट, टोपी, छाता, टॉर्च, मोबाइल फोन आदि फेस मास्क प्रदान करना।
 5. अपने स्टाफ को क्वालिटी, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी पर ज़रूरी ट्रेनिंग देना।
 6. प्रिवेंटिव/पीरियोडिक मेंटेनेंस पर तय फॉर्मेट में क्वार्टर्सली रिपोर्ट जमा करना।
 7. अगर कोई स्टाफ छुट्टी पर है या गायब है, तो सफल बिडर को तुरंत उतने ही सक्षम और अनुभवी व्यक्ति से उसकी स्थान लेनी चाहिए।
 8. बैंक के पास यह अधिकार है कि वह सफल बिडर से, अगर ज़रूरत हो, तो काम पूरा करने के लिए साइट की ज़रूरत के हिसाब से, बैंक की ज़रूरत के हिसाब से और मैनपावर देने के लिए कह सकता है।
 9. तैनात मैनपावर लो मेडिकल कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए, अर्थात हर तरह से फिजिकली फिट होनी चाहिए।
 10. संविदा के दौरान बिडर द्वारा तैनात मैनपावर किसी दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन में काम नहीं करेगा या बिडर द्वारा किसी दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन में तैनात नहीं किया जाएगा। अगर एग्रीमेंट पीरियड के दौरान बैंक के ध्यान में ऐसा कोई मामला आता है, तो बैंक को बिडर पर सही पेनल्टी लगाने का अधिकार होगा, जो उसके महीने के बिल या सिव्योरिटी डिपॉज़िट या बिडर के किसी दूसरे ड्यूज़ से वसूला जाएगा। ऐसे मामले में बैंक को सही रिप्लेसमेंट मांगने का अधिकार होगा।
 11. संविदा के तहत काम पर रखे गए लोगों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज्यादा है, तो संविदाकर्ता को सरकारी हॉस्पिटल से फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा और उसे बैंक से अप्रूव करवाना होगा।
 12. तैनात मैनपावर सक्षम और ट्रेड लोग होने चाहिए, जिनकी सेहत अच्छी हो और रिकॉर्ड साफ़ हो।
 13. सफल बिडर की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह ड्यूटी पर तैनात मैनपावर को पूरी यूनिफॉर्म (गर्मी और सर्दी दोनों) के साथ नेम प्लेट/पहचान पत्र दे। पहचान पत्र बैंक या सरकार के किसी भी अधिकारी के मांगने पर दिखाए जाएंगे। हर कैटेगरी के लिए यूनिफॉर्म के रंग अलग-अलग हो सकते हैं, साथ ही आसानी से पहचानने के लिए यूनिफॉर्म पर उनके काम का नाम भी दिखाया जा सकता है।
 14. बिडर, बैंक द्वारा एग्रीमेंट के ऑपरेशन के लिए ऑथराइज़्ड व्यक्ति से, उनकी तैनाती से पहले वेरिफिकेशन और सैटिस्फैक्शन के लिए मिलवाएगा और बिडर को तैनाती से पहले पासपोर्ट साइज़

कलर फोटो के साथ कर्मचारियों की पूरी जानकारी/बायोडेटा देना होगा। अगर तैनात स्टाफ (सुपरवाइज़र/इलेक्ट्रीशियन, आदि) की क्वालिफिकेशन/एक्सपीरियंस के बारे में और जानकारी मांगी जाती है, तो गजट ऑफिसर से सर्टिफाइड समर्थित दस्तावेज जमा करने होंगे।

15. बैंक के पास यह अधिकार है कि वह बिडर को सलाह दे कि अगर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है या उसका कैरेक्टर शक वाला है, तो उसे हटा दे और वह ऐसे व्यक्ति/लोगों को तुरंत हटा देगा और उसकी स्थान नया कर्मचारी देगा।
16. बिडर द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए ड्यूटी पॉइंट बैंक या इस संबंध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति तय करेगा और बिडर को ऐसे निर्देशों का पालन करना होगा।
17. यह साफ़ तौर पर समझा जा सकता है कि कोई भी कर्मचारी एब्सेंट नहीं होगा। अगर कोई एब्सेंट होता है, तो सफल संविदाकर्ता को रिप्लेसमेंट कर्मचारी देना होगा। रिप्लेसमेंट कर्मचारी को दो घंटे के अंदर अपनी ड्यूटी पर आना होगा, ऐसा न करने पर बिडर को पैरा 4.5 में बताए गए हर्जाने का पेमेंट करना होगा और संविदाकर्ता के महीने के बिल से सही कटौती की जाएगी। ऐसे रिप्लेसमेंट कर्मचारियों को ज़रूरी स्टैंडर्ड भी पूरे करने होंगे।
18. बिडर यह पक्का करेगा कि बैंक की स्थान पर या अपनी ज़िम्मेदारी निभाते समय, तैनात मैनपावर बैंक या उसके ऑथराइज़्ड एजेंट द्वारा तय किए गए साफ़-सफ़ाई, डेकोरम, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और आम अनुशासन के स्टैंडर्ड का पालन करे और बैंक ही यह तय करेगा कि बिडर और/या तैनात मैनपावर ने इनका पालन किया है या नहीं।
19. बिडर को लागू नियमों के अनुसार काम पर रखे गए सभी वर्कर्स को एक दिन का आराम देना होगा। 365 दिनों के काम में, हर वर्कर को उन वीकली छुट्टियों के बदले में रिप्लेसमेंट दिया जाएगा।
20. बिडर को संविदा लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 या समय-समय पर लागू होने वाले किसी दूसरे कानून के तहत लाइसेंस लेना होगा और उसकी एक कॉपी बैंक को जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर, आगे होने वाली कार्रवाई/कार्रवाई के लिए सिर्फ़ बिडर ही ज़िम्मेदार होगा। बैंक बिडर के कार्यों, गलतियों या चूक के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और किसी भी तरह से बिडर द्वारा रखे गए लोगों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
21. किसी भी कानूनी झगड़े, दुर्घटना आदि से होने वाली सभी देनदारियां बिडर को उठानी होंगी/भुगतान करना होगा और बैंक किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगा।
22. बैंक, तैनात किसी भी मैनपावर की मौत, चोट या दुर्घटना के लिए किसी भी मुआवज़े के पेमेंट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जो उनकी ड्यूटी और नौकरी के दौरान हो सकता है। यह सहमति और समझ है कि बिडर ही तैनात लोगों को ऐसे नुकसान या मुआवज़े का पेमेंट करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। संविदाकर्ता बैंक की स्थान/कॉलोनियों में तैनात अपने कर्मचारियों के लिए सभी सुरक्षा स्टैंडर्ड का ध्यान रखने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

23. संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिस और स्टाफ कॉलोनी में जाकर और टेंडर में बताए गए काम के दायरे में दिए गए काम की मात्रा और मुश्किल को समझने के बाद ही अपने रेट बताएं।
24. मज़दूरों को भी, ज़रूरत पड़ने पर, रोज़ाना की शिकायतों/मेंटेनेंस और सफ़ाई के कार्यों में हेल्पर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
25. लेवल पर शिकायतों को देखने के लिए लागू होंगे और संविदाकर्ता को रोज़ाना की शिकायतों को सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ देखने के लिए **सीढ़ी/स्कैफोल्डिंग आदि का इंतज़ाम खुद करना होगा और पूरा खर्च सफल बिडर उठाएगा।**
26. बिलों का पेमेंट हर **महीने किया जाएगा**, जब केयरटेकर / जूनियर इंजीनियर / असिस्टेंट मैनेजर या बैंक द्वारा इस काम के लिए ऑथराइज़्ड किसी और व्यक्ति से सर्टिफ़िकेशन मिल जाएगा और टेंडर दस्तावेज के अलग-अलग हिस्सों में बताए गए सभी समर्थित दस्तावेज जमा हो जाएंगे।
27. सभी शिकायतों/कार्यों पर समय पर ध्यान दिया जाएगा। अगर संविदाकर्ता सही समय पर शिकायतों पर ध्यान नहीं देता है, तो बैंक पेनल्टी के साथ ज़रूरी रिकवरी कर सकता है। पेनल्टी क्लॉज़ की जानकारी पैरा 4.5 में दी गई है।
28. बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार संविदाकर्ता द्वारा बदले जाने वाले बाकी सभी बड़े मटीरियल का पेमेंट, चार्ज बैंक के स्टैंडर्ड अप्रूव्ड रेट (SAR)/ CPWD के DSR पर अलग से दिया जाएगा।
29. **सफल बिडर को यह पक्का कर लेना चाहिए कि जब भी बैंक को ज़रूरत हो, वे बैंक से मंजूरी मिलने के बाद बाहरी एजेंसी से गार्डनिंग कंसल्टेंट की सर्विस ले सकते हैं। बैंक कंसल्टेंसी सर्विस के लिए अलग से पेमेंट करेगा।**

खंड VI:

MSTC वेबसाइट पर टेक्नो - कमर्शियल बिड के साथ बिडर को दस्तावेज अपलोड करने होंगे ।

क्रमांक	MSTC पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज
1	NEFT/RTGS/DD के माध्यम से ₹8,12,000/- की EMD
2	टेंडर दस्तावेज की साइन की हुई कॉपी
3	इसके खिलाफ सबूत – “बोली लगाने वाला कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनी या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरी फर्म होना चाहिए”
4	MOA की कॉपी (कंपनी के मामले में)
5	AOA की कॉपी (कंपनी के मामले में)
6	निगमन प्रमाणपत्र
7	पार्टनरशिप डीड (पार्टनरशिप फर्म के मामले में)
8	फर्म या स्वामित्व पंजीकरण प्रमाणपत्र
9	MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (सिर्फ MSME के मामले में)
10	जीएसटीएन पंजीकरण प्रमाणपत्र
11	ईएसआईसी पंजीकरण प्रमाणपत्र
12	ईपीएफओ पंजीकरण प्रमाणपत्र
13	पैन कार्ड की कॉपी
14	लेबर लॉ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन । <i>संविदाकर्ता को काम शुरू करने से पहले संविदा लेबर (R&A) एक्ट, 1970, और संविदा लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) सेंट्रल रूल्स, 1971 के तहत एक वैलिड लाइसेंस लेना होगा, और काम पूरा होने तक उसके पास वैलिड लाइसेंस बना रहेगा।</i> श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 के तहत पंजीकरण संख्या / लाइसेंस संख्या जिसके लिए एजेंसी वर्तमान में आईएफएमएस सेवाएं प्रदान करने के लिए करार श्रमिकों के माध्यम से काम कर रही है।
15	अनुलग्नक - I (ए) : रु. 8,12,000/- की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) के बदले बैंक गारंटी, यदि लागू हो
16	अनुलग्नक II ए : मिलते-जुलते कार्यों की लिस्ट और 5 वर्ष के अनुभव के सपोर्ट में वर्क ऑर्डर/क्लाइंट सर्टिफिकेट की कॉपी।

17	अनुलग्नक II बी: सभी क्वालिफाइड कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर के मिलते-जुलते कार्यों की लिस्ट (अनुमानित कीमत का 40%/50%/80%)
18	अनुलग्नक II सी: मिलते-जुलते कार्यों की लिस्ट, वर्क ऑर्डर की कॉपी और उनके संविदा की डिटेल्स।
19	अनुलग्नक III : सभी क्वालिफाइड कार्यों के लिए क्लाइंट के सर्टिफिकेट (अनुमानित कीमत का 40%/50%/80%)
20	अनुलग्नक IV A: पिछले तीन सालों के टर्नओवर और प्रॉफिट की डिटेल्स, फॉर्मेट के अनुसार। अनुलग्नक IV B: बोलीकर्ता का विवरण
21	(2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड, बोलीकर्ता के बिज़नेस के ऑडिटेड सालाना फाइनैशियल स्टेटमेंट/अकाउंट्स की कॉपी के साथ बैलेंस शीट/प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट । इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट / इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, साथ ही संविदाकर्ता के बिज़नेस के लेटेस्ट फ़ाइनल अकाउंट्स, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड हों, क्रेडिट के सबूत के तौर पर ।
22	अनुलग्नक-5 : फॉर्मेट के अनुसार 100% अनुमानित वैल्यू वाले काम के लिए बैंकर का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट।
23	अनुलग्नक – VI : एस्केलेशन मैट्रिक्स
24	अनुलग्नक VII - A : सार्वजनिक संस्थानों द्वारा निषेध की घोषणा के संबंध में वचनबद्धता और अनुलग्नक VII - बी : भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बोलीकर्ता का अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफिकेट
25	एनेक्सर VIII : सफल बोलीकर्ता द्वारा इस्तेमाल और सप्लाई किए जाने वाले कंज्यूमेबल्स की लिस्ट। (लेटर हेड में इसकी साइन की हुई कॉपी दें)
26	अनुलग्नक IX टेंडर दस्तावेज पर साइन करने वाले व्यक्ति के पक्ष में तय फॉर्मेट में पावर ऑफ़ अटॉर्नी जमा करनी होगी (साथ ले जाने की स्थिति में)
27	अनुलग्नक X : 01 अक्टूबर 2025 से न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) और लागू वैधानिक घटकों के आधार पर मजदूरी की अनुमानित लागत। (लेटर हेड में इसकी साइन की हुई कॉपी दें)
28	अनुलग्नक XI : वेतन के अनुपालन संबंधी अंडरटेकिंग
29	अनुलग्नक XII : फॉर्मेट में सुरक्षा कोड का पालन

30	लोकल एड्रेस प्रूफ की एक कॉपी, जिसका रजिस्टर्ड लोकल ऑफिस भुवनेश्वर के अधिकार क्षेत्र में हो। (या) 1.1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताए गए सर्विस सेट की स्थापना के बारे में वर्क ऑर्डर जारी होने के 2 (दो) महीने के अंदर बिडर के लेटर हेड में घोषणा।
31	कुल मौजूदा वर्क फ़ोर्स का सबूत – PF स्टेटमेंट
32	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा अपने किसी भी ऑफिस में बिडर कंपनी/फर्म को पहले दिए गए संविदा की लिस्ट। ➤ कार्यालय का नाम ➤ करार का कुल वार्षिक मूल्य ➤ दस्तावेजी साक्ष्य का विवरण प्रस्तुत करें
33	निविदा का प्रारूप (धारा 1 का खंड 1.2)
34	बोलीकर्ता को मिले किसी भी सर्टिफिकेशन, जैसे ISO आदि की कॉपी।
35	खंड II में बताए गए एम्प्लॉयर से वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
36	संबंधित फ़ील्ड में अनुभव के सपोर्ट में दस्तावेज।
37	पिछले 3 सालों में 30 नवंबर, 2025 को खत्म होने वाले संविदा में कोई सिविल केस/लिटिगेशन/विवाद/सस्पेंशन/पेनल्टी हुई हो। अगर हाँ, तो कृपया प्रोजेक्ट का नाम, एम्प्लॉयर, काम का नेचर, कॉन्टैक्ट वैल्यू, वर्क ऑर्डर और दिनांक और लिटिगेशन की छोटी जानकारी दें, नहीं तो "Nil" लिखें।
38	वैधानिक अधिकारियों के साथ कोई अन्य विवाद लंबित है अन्यथा "शून्य" का उल्लेख करें
39	पिछले तीन वर्षों में बोलीदाता के किसी भी ऋण को एनपीए घोषित करने वाला कोई भी बैंक, यदि कोई हो, अन्यथा "शून्य" लिखें।
40	ऊपर बताए गए या बैंक की मांग के अनुसार कोई और दस्तावेज जमा करना ज़रूरी है।

नोट: बैंक ऊपर बताई गई किसी भी चीज़ का प्रूफ़/वेरिफ़िकेशन मांगने का अधिकार रखता है।

स्थान

दिनांक

**अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम
फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित**

खंड VII

तकनीकी-व्यावसायिक स्थितियाँ
काम की अनुमानित लागत ₹4,06,00,000/- है।

क्रमांक	मद	विवरण	बैंक की शर्तों की स्वीकृति (हां नहीं)
1	निविदा की वैधता	निविदा के भाग-I के खुलने से 90 दिन	
2	ईएमडी	₹8,12,000/- की EMD NEFT/RTGS के ज़रिए भेजी जानी है (UTR नंबर टेक्नो - कमर्शियल बिड के साथ जमा करना होगा) ।	
3	अदायगी की शर्तें	टेंडर में बताए गए ज़रूरी दस्तावेज के साथ सही इनवॉइस जमा करने पर, महीने के बिलों का पेमेंट NEFT से 45 दिनों के अंदर किया जाएगा । इसका पेमेंट तब किया जाएगा जब बैंक के ऑफिसर यह सर्टिफ़ाई कर देंगे कि सर्विस ठीक से दी गई हैं और सभी कानूनी बकाया/टैक्स आदि काट लिए गए हैं। बैंक से पेमेंट का इंतज़ार किए बिना संविदाकर्ता को कर्मचारियों को वेतन देना होगा।	
4	काम की गुंजाइश	टेंडर के <u>खंड II</u> में दिए गए स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार	
5	दंड	टेंडर के <u>खंड IV</u> के क्लॉज़ 4.5 में बताया गया है	
6	काम देते समय परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (सफल बोलीकर्ता को जमा करनी होगी)	संविदा की स्पेशल कंडीशंस के <u>खंड IV</u> के क्लॉज़ 4.11 के अनुसार	

स्थान

दिनांक

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम
फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित

खंड VIII: बोलियों की संवीक्षा

बोलियों की संवीक्षा निम्नानुसार होगी:

(a) तकनीकी मूल्यांकन:

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरे दस्तावेज (खंड VI) में बताए गए सभी ज़रूरी दस्तावेज जैसा बताया गया है और टेंडर के दूसरे हिस्सों के साथ टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत करने होंगे। बैंक पहले निविदा दस्तावेज के खंड I के "योग्यता/पात्रता मानदंड" (पैरा 1.1 देखें) के अनुसार बोलीदाताओं की पात्रता की जांच करेगा। इसके बाद सभी "योग्यता मानदंडों" को पूरा करने वाले प्रस्तावों का आगे के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।

बैंक क्वालिफाइड कार्यों के लिए जमा किए गए क्लाइंट सर्टिफिकेट का कन्फर्मेशन लेता है। साथ ही, बैंक के सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए जमा किए गए दस्तावेज के लिए शेड्यूल्ड बैंक से कन्फर्मेशन लिया जाएगा।

अर्हक बोलीदाताओं को प्रदान की गई ई-मेल आईडी के माध्यम से भाग- II (मूल्य-बोली) खोलने की तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। अस्वीकृत बोलीदाताओं को भी सूचित किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(b) वित्तीय मूल्यांकन:

बैंक सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोलीकर्ताओं की फाइनैशियल बिड्स खोलेगा और उनकी जांच करेगा। फाइनैशियल बिड्स MSTC पोर्टल पर पार्ट-II के फॉर्मेट में जमा करनी होंगी।

आइटम A: कंज्यूमेबल्स और ओवरहेड्स की लागत के लिए ज़ीरो अमाउंट कोट करने वाले बोलीकर्ताओं को बिना कोई कारण बताए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बैंक वेंडर से रेट एनालिसिस और जस्टिफिकेशन मांगेगा, अगर रेट बहुत कम/ज़्यादा हों (- / + कंज्यूमेबल्स और ओवरहेड्स के लिए एस्टीमेट वैल्यू का 25%) और कारण सही पाए जाने पर ही बैंक काम देगा। कोट किए गए रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा।

आइटम B : " प्रॉफिट/सर्विस चार्ज" को एनेक्सर X के क्रम संख्या – 23 (GST को छोड़कर कुल वेतन) में बताई गई कुल मिनिमम मज़दूरी के 3.00 प्रतिशत से ज़्यादा या उसके बराबर बताया जाना चाहिए, जो रु.8,77,500/- (राउंड ऑफ़) होता है। संविदाकर्ता के प्रॉफिट/सर्विस चार्ज को रु.8,77,500/- से कम बताने वाली बोलियां बिना कोई कारण बताए रिजेक्ट कर दी जाएंगी।

बोलीकर्ता को प्रत्येक वर्ष (12 महीने) का प्रॉफ़िट/सर्विस चार्ज, GST को छोड़कर, रुपये में बताना होगा (परसेंटेज में नहीं)।

आइटम A और आइटम B के लिए बोलीकर्ता ने जो रकम बताई है, उसे सफल बोलीकर्ता के तौर पर

कैलकुलेट किया जाएगा। आइटम A और आइटम B के जोड़ की सबसे कम रकम (**दो डेसिमल तक राउंड ऑफ**) को सफल बोली लगाने वाला (L1) घोषित किया जाएगा।

नोट:

(1) कृपया ध्यान दें कि MOP और तीन रेजिडेंशियल कॉलोनियों में लगे लेबर कंपोनेंट के रेट बताने के लिए प्राइस बिड में कोई प्रोविज़न नहीं होगा। हालांकि, वेंडर अपने द्वारा तैनात मैनुअल को समय-समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तय प्रोविज़न/कानून/एक्ट/नियम और शर्तों के अनुसार सैलरी देगा, जैसे मिनिमम वेज, EPF, ESI, बोनस आदि (जैसा कि एनेक्सर X में डिटेल में बताया गया है)। लेबर /वर्कफोर्स (लेबर कंपोनेंट) की फिक्स्ड कॉस्ट, पेमेंट का प्रूफ दिखाने पर असल बेसिस पर रीइंबर्स की जाएगी, जो कानूनी रेट के अनुसार होगा। अगर किसी वेंडर या लेबर कैटेगरी के लिए कोई कानूनी पेमेंट लागू नहीं है , तो उसे रीइंबर्स नहीं किया जाएगा, भले ही उसका ज़िक्र फाइनेंशियल बिड में किया गया हो।

(2) अगर दो या ज़्यादा टेंडर देने वाले सबसे कम कीमत पर आते हैं, **अर्थात** हिसाब-किताब की जांच के बाद एक ही रकम कोट करते हैं, तो ऐसे टेंडर देने वालों से सीलबंद लिफाफे में प्राइस बिड (पार्ट-II) के नॉन-लेबर कंपोनेंट के आइटम A और आइटम B पर पहले से कोट की गई रकम पर डिस्काउंट लेने जैसा सही फैसला लिया जाएगा । हालांकि, आइटम B पर बिडर द्वारा दी गई डिस्काउंट के बाद की रकम, **एनेक्सर X के क्रम संख्या – 23 (GST को छोड़कर कुल मजदूरी) में बताई गई कुल मिनिमम मजदूरी के 3.00% से कम नहीं होनी चाहिए ।**

(3) अगर डिस्काउंट के बाद भी टाई होता है, तो सफल बिडर का सिलेक्शन नीचे दिए गए डिटेल के अनुसार फर्म को एक्स्ट्रा वेटेज/प्रेफरेंस देकर किया जाएगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले बिडर को काम दिया जाएगा।

क्रमांक।	विवरण	अधिकतम अंक
A	<p><u>वित्तीय कारोबार</u></p> <p>FY 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए औसत कारोबार 5.0 करोड़ से ज़्यादा होने पर, अनुमानित लागत से 1.0 करोड़ ज़्यादा के हर एक्स्ट्रा औसत कारोबार के लिए 01 अंक दिया जाएगा (अधिकतम 20 अंक)।</p> <p>उदाहरण :</p> <p>(a) यदि औसत कारोबार – 5 करोड़, अंक – 0</p> <p>(b) यदि औसत कारोबार – 6 करोड़, अंक – 1</p> <p>(c) यदि औसत कारोबार – 8 करोड़, अंक – 3</p> <p>(d) यदि औसत कारोबार – 28 करोड़, अंक – 20</p> <p>(e)</p>	20
B	<p>31 मार्च, 2025 तक फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज़ के फील्ड में अनुभव 5 वर्ष से ज़्यादा के प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 1 Mark (ज़्यादा से ज़्यादा 20 marks)</p> <p>उदाहरण</p>	20

	(a) यदि अनुभव – 5 वर्ष, अंक – 0 (b) यदि अनुभव – 6 वर्ष, अंक – 1 (c) अगर अनुभव – 8 वर्ष, अंक – 3 (d) अगर अनुभव – 28 वर्ष, अंक – 20	
C	<u>अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/अत्यधिक कुशल कार्यबल के मौजूदा/वर्तमान कार्यबल की संख्या :</u> 1. 98 से 150 : 5 अंक 2. 151 से 200 : 10 अंक 3. 201 और उससे अधिक : 15 अंक	15
D	<u>इसी तरह के संविदा करने का अनुभव -</u> <ul style="list-style-type: none"> आरबीआई/केंद्र सरकार प्रतिष्ठान/राज्य सरकार प्रतिष्ठान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम – 10 अंक अन्य संगठन – 5 अंक 	10
E	<u>क्या कंपनी/फर्म के पास ISO या उसके बराबर का सर्टिफिकेट है?</u> 1. पिछले एक वर्ष से अर्थात मार्च 2025 से - 5 अंक 2. पिछले तीन सालों से अर्थात मार्च 2022 से - 10 मार्क्स 3. पिछले पांच सालों से अर्थात मार्च 2010 से - 15 अंक	15
F	<u>क्या कंपनी/फर्म ने पिछले तीन फाइनेंशियल सालों अर्थात 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान प्रॉफिट (टैक्स के बाद प्रॉफिट) कमाया है?</u> 1. पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में से 2 या 3 वर्ष में टैक्स के बाद प्रॉफिट – 10 मार्क्स 2. पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में से 1 वर्ष में टैक्स के बाद प्रॉफिट – 5 मार्क्स	10
G	<u>एजेंसी का प्रकार</u> क) कंपनी- 10 अंक ब) साझेदारी फर्म/स्वामित्व वाली कंपनी – 5 अंक	10
	कुल	100

इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

खंड IX करार का मसौदा

यह करार प्रथम पक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका कार्यालय भुवनेश्वर में है (जिसे आगे " बैंक " कहा जाएगा) है, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके सहयोगी, उत्तराधिकारी शामिल होंगे,

और

मेसर्स _____, जिसका ऑफिस _____ में है, जिसे आगे " सफल बिडर " कहा गया है) जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें उसके वारिस, प्रतिनिधि, एडमिनिस्ट्रेटर शामिल होंगे, के बीच दिनांकको किया गया।

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओड़िशा के तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएं (आईएफएमएस) प्रदान करने का व्यवसाय कर रहा है।

और जबकि बैंक ऊपर दिए गए उद्देश्य के लिए सफल बिडर की सर्विस लेना चाहता है, जैसा कि लेटर नंबर _____ दिनांक _____ में डिटेल् में बताया गया है।

और जबकि बैंक और सफल बोली लगाने वाला उन नियमों और शर्तों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं जिनके तहत या जिनके आधार पर सफल बोलीकर्ता को ये सेवाएं दी जानी हैं।

अब बैंक तथा सफल बोलीदाता के बीच इस प्रकार सहमति हुई है

4. यह एग्रीमेंट ----- से लागू होगा और ----- तक लागू रहेगा या जब तक इसे इसमें दी गई शर्तों के अनुसार खत्म नहीं कर दिया जाता।
5. सेवाओं के कुशल प्रतिपादन के लिए तैनात मैनुपावर और इस्तेमाल की गई मशीनरी/उपकरण इत्यादि की लागत को कवर करने वाले रु. _____ का उद्धृत शुल्क चालान प्रस्तुत करने के अधीन मासिक आधार पर देय होगा।
6. इसका पेमेंट तब किया जाएगा जब बैंक के अधिकारी यह सर्टिफ़ाई कर देंगे कि सर्विस ठीक से दी गई हैं और सभी कानूनी बकाया/टैक्स आदि काट लिए गए हैं।
7. ऊपर दिए गए चार्ज पक्के हैं और मिनिमम वेज जैसी कानूनी ज़रूरतों को छोड़कर, लेबर की शर्तों, एक्सचेंज में बदलाव या किसी अन्य शर्त के अधीन नहीं हैं।

8. ऊपर दिए गए चार्ज में मज़दूरों की मिनिमम मज़दूरी, VDA, EPF, ESIC, बोनस, इंश्योरेंस चार्ज और कोई भी दूसरा टैक्स (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स - GST को छोड़कर) और ड्यूटी या **अन्य** लेवी शामिल होगी, चाहे वह अभी हो या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी लोकल **प्राधिकारी** द्वारा भविष्य में लगाई जाए। GST असल के हिसाब से दिया जाएगा।
9. कोट किए गए सभी मेंटेनेंस आइटम/इक्विपमेंट और मटीरियल सफल बिडर देगा। किए गए किसी भी खास काम का खर्च बैंक अलग से देगा।
10. सफल बिडर टेंडर की शर्तों और नियमों के अनुसार और टेंडर के संविदा की स्पेशल शर्तों के तहत डिटेल में बताए गए काम के दायरे और दी जाने वाली सेवाओं के अनुसार रेगुलर बेसिस पर सर्विस देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
11. पहले बताई गई शर्तों में, AGM/मैनेजर, एस्टेट डिपार्टमेंट, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर बैंक की ओर से काम करेंगे।
12. एग्रीमेंट, फ़ाइनल वर्क ऑर्डर, टेंडर और इसमें बताए गए दूसरे दस्तावेज इस संविदा का आधार होंगे।
13. एम्प्लॉयर इस संविदा पर बिना किसी असर के, काम के किसी भी आइटम को जोड़कर या हटाकर या उसके कुछ हिस्सों को करवाकर काम के नेचर को बदलने का अधिकार अपने पास रखता है।
14. इस एग्रीमेंट से जुड़े या किसी भी तरह से होने वाले सभी झगड़े भुवनेश्वर में हुए माने जाएंगे और उन्हें तय करने का अधिकार सिर्फ़ भुवनेश्वर की अदालतों के पास होगा।
15. इस संविदा के सभी हिस्से संविदाकर्ता ने पढ़ लिए हैं और पूरी तरह समझ लिए हैं।
16. इस संविदा का आगे रिन्यूअल संविदाकर्ता की अच्छी सर्विस और दोनों पार्टियों की आपसी सहमति वाली शर्तों पर होगा।
17. इस संविदा के संबंध में, रिन्यूअल, पेनल्टी, पेमेंट की शर्तें आदि IFMS टेंडर में बताए गए तरीके से मानी जाएंगी।
18. सफल बिडर को यह पक्का करना होगा कि उसके यहां काम करने वाले मज़दूरों को कम से कम मज़दूरी मिले और मज़दूरी का एक रजिस्टर रखना होगा। साथ ही, वह अपने यहां काम करने वाले हर मज़दूर को एक मज़दूरी स्लिप देगा और मज़दूरी स्लिप पर उनके साइन या अंगूठे का निशान लेगा। इसके अलावा, उसे संविदा लेबर (रेगुलेशन और एबोलिशन) एक्ट, 1970 के मुताबिक अपने कर्मचारियों को पीने का पानी, फ़र्स्ट एड की सुविधा आदि जैसी ज़रूरी सुविधाएं देनी होंगी। सफल बिडर को काम देने से पहले, लागू कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह उस खास काम को पूरा करने के लिए काम पर रखे जाने वाले सभी तरह के मज़दूरों को असल में मज़दूरी और उससे जुड़े फायदे देगा, वह भी CLRA एक्ट के तहत कम से कम मज़दूरी से कम रेट पर। साथ ही, सफल बिडर द्वारा ऐसी मज़दूरी न देने और ज़रूरी सुविधाएं न देने पर कानूनी अधिकारियों द्वारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के खिलाफ़ शुरू की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयों से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को हर्जाना भी देगा। सफल बिडर को अपने महीने के बिल के साथ वर्कर को दी गई सैलरी की रसीद की कॉपी और PF, ESIC कंट्रीब्यूशन, बोनस आदि जैसे बकाया जमा करने का सबूत जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उनका बिल सेटल नहीं किया जाएगा। सफल बिडर यह पक्का करेगा कि वह मिनिमम वेज एक्ट (वीकली-ऑफ़ और ओवरटाइम सैलरी के पेमेंट से जुड़े दूसरे नियमों के साथ), PF एक्ट, ESIC एक्ट, पेमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट, 1965; मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, 1961, आदि के लागू नियमों का पालन करता है।

19. सफल बोलीकर्ता के पास सभी ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे संविदा लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के तहत लाइसेंस या PF और इंश्योरेंस प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कोई भी दूसरा कानून जो लागू हो, जिसे ज़रूरत पड़ने पर संबंधित प्राधिकारी को दिखाना होगा, ऐसा न करने पर, वह अकेले ही इसके लिए ज़िम्मेदार होगा। बैंक सफल बोलीकर्ता के कार्यों, गलतियों या चूक के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और सफल बोलीकर्ता द्वारा रखे गए मज़दूरों के लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगा।
20. **यह भी बताया जाता है कि बिल, सभी ज़रूरी समर्थित दस्तावेज के साथ, काम पूरा होने की दिनांक से 90 दिनों के अंदर [ज़्यादा से ज़्यादा - सबसे खराब हालत में भी] जमा करने होंगे, ऐसा न करने पर बैंक पर कोई लायबिलिटी नहीं होगी और अमाउंट ज़ब्त किया जा सकता है।**
21. **क्षतिपूर्ति खंड :** बोलीदाता आरबीआई और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, निदेशकों और प्रतिनिधियों को सभी दावों (तीसरे पक्ष के दावों सहित) कार्रवाई, हानि, क्षति, लागत, खर्च, शुल्कों सहित कानूनी खर्चों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति रखने के लिए सहमत है, जो आरबीआई को बोलीदाता की ओर से डिफॉल्ट के कारण भुगतान पड़ सकता है या वहन करना पड़ सकता है:

- a) संविदा के समय के दौरान सरकार या अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा जारी कानूनों, नियमों, गाइडलाइंस का उल्लंघन; या
- b) संविदा के नियमों और शर्तों का उल्लंघन या उन्हें पूरा न करना; या
- c) बोलीकर्ता द्वारा किए गए दावों और वारंटी का उल्लंघन; या
- d) बोलीकर्ता या बोलीकर्ता के कारण किसी तीसरे पक्ष द्वारा लापरवाही या धोखाधड़ी वाला काम या चूक।

बिडर को अपने स्टाफ़ के किसी भी दावे के खिलाफ़ बैंक को मुआवज़ा भी देना होगा और यह बिडर की ज़िम्मेदारी होगी कि वह अपने कर्मचारियों/स्टाफ़ को साफ़-साफ़ बताए कि उनका बैंक के खिलाफ़ कोई भी दावा नहीं होगा और वे अपनी किसी भी सर्विस की शर्तों या किसी और चीज़ के संबंध में बैंक के साथ या उसके खिलाफ़ सीधे और/या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी इंडस्ट्रियल झगड़ा नहीं करेंगे।

इसके अलावा, बिडर को हमेशा बैंक को उन सभी दावों से हर्जाना देना होगा जो वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट, या उसके तहत आने वाले नियमों या इस एग्रीमेंट के उद्देश्य से अपनी नौकरी में किसी व्यक्ति को लगी किसी दुर्घटना या चोट के नतीजे में दिए जाने वाले कम्पनसेशन के किसी भी कानून या नियमों के तहत किए जा सकते हैं। बिडर अपने कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और अन्य देनदारियों के साथ-साथ उनकी गलतियों/कमीशन के लिए भी पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा।

22. **अगर सर्विस में कोई कमी होती है या कोई शिकायत अनसुनी की जाती है, तो बैंक टेंडर दस्तावेज के खंड IV में दिए गए अनुसार सफल बिडर पर पेनल्टी लगा सकता है।**
23. **सफल बिडर** सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट आदि की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो इस एग्रीमेंट के संबंध में अपनी संविदा की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान सफल बिडर के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और इसे हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। सफल बिडर संविदा की डिटेल्स को प्राइवेट

और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। सफल बिडर बैंक की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी जानकारी पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश होने नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। सफल बिडर किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के खुलासे की वजह से बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को सफल बिडर की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक अपनी मर्जी से, संविदा खत्म करने के अलावा, नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

24. **सफल बिडर अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस एग्रीमेंट के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की जिम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो।** किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी, जानकारी न बताने और गोपनीयता के संबंध में सफल बिडर की जिम्मेदारी बनी रहेगी।
25. **काम की स्थान पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013 के नियमों का पालन करना:** सफल बोली लगाने वाला 'काम की स्थान पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013' के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, सफल बोलीकर्ता द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी। सफल बोली लगाने वाला शिकायत के संबंध में उक्त एक्ट के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ संविदाकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमेटी संज्ञान लेगी। सफल बोली लगाने वाला किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है यदि घटना में सफल बोलीकर्ता का कर्मचारी शामिल है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि सफल बोलीकर्ता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है। सफल बिडर अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होगा। सफल बिडर बैंक के स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देगा।

करार की समाप्ति

26. ऊपर बताई गई बातों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे का भुगतान किए, तीन (03) महीने का लिखित नोटिस देकर इस करार को तुरंत समाप्त करने का हकदार होगा, यदि
 - f. बैंक की राय में (जिस पर सफल बोली लगाने वाला सवाल नहीं उठाएगा और यह सफल बोलीकर्ता पर लागू होगा) सफल बोली लगाने वाला बैंक की संतुष्टि के लिए इस करार को लागू करने में विफल रहता है या मना कर देता है, और/या

- g. सफल बोली लगाने वाला इस एग्रीमेंट / टेंडर के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, और/या
- h. सफल बोलीकर्ता को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या उसके लेनदारों के साथ करार कर लिया जाता है या अगर सफल बोलीकर्ता पर संकट या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया लागू की जाती है या उसकी संपत्ति या संपत्ति के किसी हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है, और/या
- i. किसी भी कारण से, सफल बोली लगाने वाला इस करार के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कानूनी तौर पर अयोग्य हो जाता है, और/या
- j. सफल बिडर या उसके बिज़नेस की ओनरशिप/पार्टनरशिप या मैनेजमेंट में कोई भी बदलाव, बैंक की पहले से लिखित मंजूरी के बिना किया जा सकता है।

27. वेंडर की मौत होने पर बैंक का संविदा खत्म करने का अधिकार, वेंडर यदि कोई व्यक्ति हो:

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर संविदाकर्ता, जो एक व्यक्ति/सोल प्रोप्राइटर है, की मौत हो जाती है, तो बैंक के पास संविदा खत्म करने का ऑप्शन होगा, और ऐसी किसी भी देनदारी के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

28. किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के खत्म होने पर, सफल बिडर/या उसके या उसके एजेंट द्वारा काम पर रखे गए लोग, बैंक से मुआवज़े, नुकसान या किसी और तरह से कोई भी रकम पाने के हकदार नहीं होंगे।

मध्यस्थता

29. अगर किसी भी समय, इस एग्रीमेंट के अभिप्राय या इसमें शामिल किसी भी चीज़ या इस एग्रीमेंट से होने वाले अधिकारों, देनदारियों और कर्तव्यों के बारे में पार्टियों के बीच कोई झगड़ा, मतभेद या सवाल उठता है, तो उसे आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव के तहत आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाएगा और आर्बिट्रेटर/आर्बिट्रेटर के पैनल के फैसले आखिरी होंगे और दोनों पार्टियों को मानने होंगे। इसके अलावा, अगर कोई झगड़ा, मतभेद या सवाल है, तो उसे भुवनेश्वर में उठा हुआ माना जाएगा और सिर्फ़ भुवनेश्वर की अदालतों को ही इसे तय करने का अधिकार होगा। आर्बिट्रेशन की स्थान भुवनेश्वर, ओडिशा, INDIA होगी।

कि इस संविदा के हिस्सों को सफल बोलीकर्ता ने पढ़ लिया है और उसे पूरी तरह समझ लिया है।

अगर सफल बोली लगाने वाला कोई पार्टनरशिप या	इसके सबूत के तौर पर बैंक और सफल बोलीकर्ता ने इनकी दो कॉपी पर ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।
---	--

प्रोप्राइटरी कंपनी है	
अगर सफल बोली लगाने वाला कोई कंपनी है	इसके सबूत के तौर पर, एम्प्लॉयर ने अपने सही ऑथराइज़्ड अधिकारी के ज़रिए इन पर ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं और सफल बोलीकर्ता ने इस पर अपनी कॉमन सील लगवाई है और इसकी दो डुप्लीकेट कॉपी उसकी तरफ़ से बनवाई हैं।

मैं/हम इसके द्वारा सहमत हैं और कन्फर्म करते हैं कि कर्मचारियों की सैलरी सीधे NEFT के ज़रिए उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी और अगर हमारी फर्म/कंपनी को ऊपर दिए गए काम दिए जाते हैं, तो उनके लिए भी NEFT के ज़रिए पेमेंट स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षर खंड:

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर द्वारा हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में -

गवाह –

1. _____

पता _____

2. _____

पता _____

_____ द्वारा हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया

की उपस्थिति में -

गवाह -

1. _____

पता _____

2. _____

पता _____

_____ की सामान्य मुहर

17 सितंबर, 2011 को हुई मीटिंग में इसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा पास किए गए प्रस्तावों के अनुसार इसे यहाँ जोड़ा गया है।

गवाह की उपस्थिति में –

1. _____

2. _____

अगर सफल बोली लगाने वाला जिन डायरेक्टर्स ने इन पर साइन किए हैं
कॉमन सील के तहत साइनकी उपस्थिति में
करता है, तो हस्ताक्षर क्लॉज़
आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन 1. _____
में सीलिंग क्लॉज़ से मैच करना
चाहिए। 2. _____

अगर संविदा है
हाथ से हस्ताक्षर
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी,
चाहे कोई कंपनी हो या

साइन और डिलीवर किया गया -
सफल बोलीदाता के हाथ से
श्री _____

अनुलग्नक I
A. बयाना राशि जमा (ईएमडी) के बदले बैंक गारंटी का प्रोफार्मा
(स्टाम्प पेपर पर प्रिंट किया जाना है)

क्षेत्रीय निदेशक
संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

स्थान
दिनांक

महोदय,

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओड़िशा के तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ (आईएफएमएस)

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है और एक कार्यालय भुवनेश्वर (जिसे आगे 'बैंक' कहा जाएगा) में है, ने **बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओड़िशा के तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में "एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ (आईएफएमएस)"** कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की है।

" (जिसे आगे 'कार्य' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर।

1. टेंडर बुलाने की शर्तों में से एक यह है कि संविदाकर्ता को अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट के तौर पर _____ रुपये (सिर्फ _____ रुपये) की बैंक गारंटी देनी होगी।
2. मेसर्स _____, (इसके बाद संविदाकर्ता कहा जाएगा), जो हमारे लोग हैं, इस काम के लिए अपना टेंडर जमा करना चाहते हैं और उन्होंने हमसे रु. (सिर्फ Rs) की रकम के लिए बैंक को गारंटी देने की रिक्वेस्ट की है।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम _____ (बैंक) इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, उनके उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने टेंडर की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार के लिए भी बाध्यकारी होगा, तो हम भारतीय रिज़र्व

बैंक द्वारा मांगे जाने पर, बिना किसी आपत्ति के भारतीय रिज़र्व बैंक को _____ रुपये (_____ केवल रुपये) या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित कार्यनिष्पादन के लिए बयाना राशि जमा के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देनदारी रुपये _____/- (_____ केवल रुपये) से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह भी मानते हैं कि हम यह पक्का करेंगे कि ऊपर बताई गई रकम, जो _____ रुपये /- (_____ केवल रुपये) से ज्यादा नहीं होगी, हम बिना किसी शक या विरोध के, सिर्फ रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से लिखित में नोटिस मिलने पर मांग करने पर पेमेंट कर देंगे, जिसमें बताया गया हो कि रकम उन्हें देनी है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का नोटिस हमारे लिए पक्का और ज़रूरी होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। हम रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा क्लेम की गई रकम को, जैसा ऊपर बताया गया है, नोटिस मिलने की दिनांक से एक हफ़्ते के अंदर पेमेंट करने का वादा करते हैं।
3. हम कन्फ़र्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और संविदाकर्ता के बीच हुए एग्रीमेंट या एग्रीमेंट्स या अन्य समझ से अलग होगी।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की पहले से लिखित मंजूरी के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि –

- a) इस एग्रीमेंट की शर्तों को लागू करने में या इस टेंडर और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से कोई भी नरमी या कमीशन, या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा संविदाकर्ता को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ़ तभी खत्म होगी जब संविदाकर्ता अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हमारी तरफ से _____ रुपये/- (..... केवल रुपये) तक का भुगतान किया जाएगा।
- b) इसके तहत हमारी देयता _____ रु./- (_____ केवल रुपये) से अधिक नहीं होगी।
- c) इस एग्रीमेंट के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे बताए गए लोगों की तरफ से उस काम के लिए टेंडर देने में किसी भी कमी या गड़बड़ी या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे बताए गए लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।
- d) यह गारंटी _____ तक लागू रहेगी, बशर्ते कि अगर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं शर्तों और नियमों पर रिन्यू किया जा

सकेगा जो इसमें दी गई हैं।

- e) इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन शर्तों को ऊपर बताए गए तरीके से _____ दिनांक को या उस दिन रिन्यू नहीं किया जाता जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिसके लिए सिर्फ़ रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत है, जो भी दिनांक बाद में हो। जब तक उस दिनांक से छह महीने के अंदर या किसी बढ़ाए गए समय के अंदर हमारे खिलाफ़ कोई दावा या केस या कार्रवाई नहीं की जाती, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ़ रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से आज़ाद कर दिया जाएगा।

भवदीय,

के लिए और की ओर से

_____ बैंक

अधिकृत अधिकारी

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टॉप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार को सत्यापित किया जाएगा)।

B.सिक्क्योरिटी डिपॉजिट के बदले परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) के लिए प्रोफार्मा

(जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना है)

स्थान: _____

दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर- 751001

महोदय,

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओडिशा के तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ (आईएफएमएस)

परफॉर्मेंस सिक्क्योरिटी डिपॉजिट के लिए बैंक गारंटी

जबकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे आगे "RBI" कहा जाएगा) और इसका रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर में है (जिसे आगे RO भुवनेश्वर कहा जाएगा) ने ऊपर बताए गए प्रोजेक्ट (जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा) का संविदा मेसर्स _____ (संविदाकर्ता का नाम) (जिसे आगे "कहा गया संविदाकर्ता" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे) को दिया है।

और चूंकि हम, _____ (बैंक का नाम), (इसके बाद बैंक कहा जाएगा), जानते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक और ठेकेदार के बीच दिनांक _____ का एक करार निष्पादित किया गया है और उक्त करार के खंड _____ के अनुसार, ठेकेदार को करार में निहित नियमों और शर्तों के उक्त ठेकेदार द्वारा उचित पूर्ति के लिए आरबीआई को कुल ₹. _____ (केवल _____ रुपए) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) की एक कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी आवश्यक है।

और जबकि , हम, (बैंक का नाम), मेसर्स _____, ठेकेदार के अनुरोध पर, करार की शर्तों और नियमों की उचित पूर्ति के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी के रूप में आरबीआई को अधिकतम _____ रुपये की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी साक्ष्य है कि

1. हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा RBI, उनके उत्तराधिकारी, असाइनी के साथ सहमत हैं और यह वादा करते हैं कि अगर RBI इस नतीजे पर पहुँचता है कि संविदाकर्ता ने संविदा की बताई गई शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और बताए गए संविदाकर्ता पर भी लागू होगा; RBI के माँगने पर, हम RBI को बिना किसी आपत्ति के, RBI द्वारा माँगी गई रकम का पेमेंट करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा रु. _____ तक हो सकती है।

2. हम यह भी मानते हैं कि ऊपर बताई गई रकम, जो रु. (सिर्फ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी, हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, RBI से लिखित नोटिस मिलने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि रकम उन्हें मिलनी है, सिर्फ माँगने पर पेमेंट कर देंगे और हम कोई और सबूत या प्रमाण नहीं माँगे और RBI का नोटिस हमारे लिए पक्का और बाध्यकारी होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। हम RBI को माँगी गई कोई भी रकम देंगे, भले ही संविदाकर्ता का RBI के साथ या किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या आर्बिटर के सामने उठाए गए/पेंडिंग किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद और इस गारंटी के तहत ज़िम्मेदारी पूरी और साफ़ होगी। हम ऊपर बताए गए नोटिस मिलने की दिनांक से एक हफ़्ते के अंदर RBI द्वारा क्लेम की गई रकम का पेमेंट करने का वादा करते हैं।

3. हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत RBI के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी RBI और संविदाकर्ता के बीच हुए एग्रीमेंट या एग्रीमेंट्स या अन्य समझ से अलग होगी। हम आगे इस बात पर भी सहमत हैं कि इसमें दी गई गारंटी तब तक लागू रहेगी जब तक RBI को मिलने वाली यह रकम पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती और क्लेम पूरे नहीं हो जाते या जब तक RBI इस गारंटी को खत्म नहीं कर देता।

4. हम यह भी वादा करते हैं कि RBI की पहले से लिखित मंजूरी के बिना इस गारंटी को इसके चलने के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

5. हम एतद्वारा इस बात पर भी सहमत हैं कि –

a) RBI को इस गारंटी के तहत बैंक की ज़िम्मेदारी पर किसी भी तरह से असर डाले बिना, समय-समय पर संविदाकर्ता द्वारा काम करने का समय बढ़ाने की पूरी आज़ादी होगी। ऊपर बताए गए मामले के संदर्भ में RBI द्वारा अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करने से बैंक इन शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त नहीं होगा। RBI की ओर से इस एग्रीमेंट की शर्तों को लागू करने या इस संविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में कोई भी नरमी या कमीशन, या RBI द्वारा संविदाकर्ता को कोई समय देना या कोई रियायत दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से छुटकारा नहीं दिलाएंगे। यह गारंटी सिर्फ तभी पूरी होगी जब संविदाकर्ता RBI की संतुष्टि के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगा और अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो हमारी ओर से _____ (सिर्फ _____ रुपये) से ज़्यादा की रकम का पेमेंट किया जाएगा।

रु. _____ (_____ रुपये केवल) की राशि से अधिक नहीं होगी।

हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से किसी भी कमी या गड़बड़ी या उनके दायित्वों या हमारे बताए गए लोगों के कॉन्स्ट्रिक्शन में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

d) यह गारंटी ----- तक लागू रहेगी।

e) पेमेंट की मांग वाला नोटिस RBI, जारी करने वाले बैंक के नीचे दिए गए पते पर जारी कर सकता है।

i) डाक पता

ii) ईमेल पता

iii) प्रतिकृति

जिसके साक्ष्य स्वरूप मैंने/हमने बैंक की ओर से इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगाई है, दिनांक ----- (महीना) (वर्ष) को विधिवत अधिकृत होकर।

_____ (बैंक का नाम) के लिए और उसकी ओर से

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पद का नाम

बैंक की मुहर/सील

....की उपस्थिति में साइन, सील और डिलीवर किया गया,

गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम

पता

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का साइन होगा जिसके साइन और प्राधिकारी को वेरिफाई किया जाएगा)।

अनुलग्नक II

A. बोलीकर्ता के पिछले काम के अनुभव की लिस्ट, बोलीकर्ता के किए गए ज़रूरी कार्यों की लिस्ट
(30 नवंबर, 2020 को या उससे पहले पूरा होने वाला काम)

क्रमांक	ग्राहक का नाम	संविदा में शामिल काम की प्रकृति	वर्ष सौंपे गए कार्य का निष्पादन	निष्पादित कार्य(कार्यों) का वास्तविक मूल्य	जिन अधिकारियों/अधिकारियों/विभागों के तहत काम किया गया/किए गए, उनके नाम, मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी और पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स।

* समर्थित दस्तावेज देना होगा।

स्थान:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम
फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित

B. पिछले पांच सालों अर्थात 01 दिसंबर, 2020 से 30 नवंबर, 2025 तक पूरे किए गए ऐसे ही योग्य कार्यों (योग्य) का ब्यौरा
[पूर्व-योग्यता मानदंड में निर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य से अधिक लागत वाले कार्य]

क्रमांक।	ग्राहक का नाम	संविदा में शामिल काम की प्रकृति	वर्ष सौंपे गए कार्य (कार्यों) का निष्पादन	निष्पादित कार्य(कार्यों) का वास्तविक मूल्य	जिन अधिकारियों/अधिकारियों/विभागों के तहत काम किया गया/किए गए, उनके नाम, मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी और पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स।

* समर्थित दस्तावेज देना होगा।

स्थान:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम
 फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित

C. मौजूदा महत्वपूर्ण समान कार्यों की सूची

क्रमांक	ग्राहक का नाम	संविदा में शामिल काम की प्रकृति	वर्ष सौंपे गए कार्य (कार्यों) का निष्पादन	कार्य(कार्यों) का करार मूल्य	जिन अधिकारियों/अधिकारियों/विभागों के तहत काम किया गया/किए गए, उनके नाम, मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी और पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स।

* समर्थित दस्तावेज देना होगा।

स्थान:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम
फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित

अनुलग्नक III

सफल बोलीकर्ता के कार्यनिष्पादन के बारे में ग्राहक का प्रमाणपत्र

ग्राहक का नाम और पता:

मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

1.	काम का नाम और उसका संक्षिप्त विवरण ब्यौरा	
2.	करार संख्या और दिनांक	
3.	करार की राशि	
4.	कार्य शुरू करने की दिनांक	
5.	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
6.	पूरा होने की वास्तविक तिथि	
7.	देरी के लिए लगाए गए मुआवज़े का ब्यौरा (रकम बताएं) अगर कोई	
8.	कार्य की सकल राशि पूरा किया और भुगतान किया	
9.	उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके तहत काम किया गया	
10.	क्या बिडर ने काम करते समय क्वालिफाइड सुपरवाइजर को काम पर रखा था?	
11	i) काम की क्वालिटी (ग्रेडिंग बताएं) ।	बहुत बढ़िया / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ii) कम रेट पर दिए गए काम की रकम, अगर कोई हो।	
12.	i) क्या बिडर आर्बिट्रेशन के लिए गया था?	

	ii) अगर हाँ, तो क्लेम की कुल रकम	
	iii) कुल दी गई राशि	
13.	बिडर की क्षमताओं पर कमेंट्स	
	क) तकनीकी दक्षता	बहुत बढ़िया / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ख) वित्तीय सुदृढ़ता	बहुत बढ़िया / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ग) पर्याप्त टी एंड पी का जुटाना	बहुत बढ़िया / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	द) मैनपावर का जुटाव	बहुत बढ़िया / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ई) सामान्य व्यवहार	बहुत बढ़िया / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब

नोट: सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए

“ प्रतिहस्ताक्षरित ”

के हस्ताक्षर
रिपोर्टिंग ऑफिसर*
ऑफिस की मुहर के साथ

*सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या समकक्ष रैंक का अधिकारी

नोट: क्लाइंट से मिले परफॉर्मेंस/कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ऊपर बताए गए फॉर्मेट के अलावा किसी भी दूसरे फॉर्मेट में हो सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में ऊपर मांगी गई जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर अपलोड किए गए सर्टिफिकेट ऊपर मांगी गई जानकारी साबित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक IV
ए. वित्तीय जानकारी

क्रमांक I	विवरण	वित्तीय वर्ष (राशि लाख में)		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सर्टिफाइड ग्रॉस एनुअल फाइनेंशियल टर्नओवर।			
2	लाभ/हानि			

टिप्पणी:

i. स्टेटमेंट के साथ बैलेंस शीट/प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आंकड़े होने चाहिए, साथ ही बिडर के बिज़नेस के ऑडिटेड सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट/अकाउंट्स की कॉपी भी होनी चाहिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड हों। इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, साथ ही संविदाकर्ता के बिज़नेस के लेटेस्ट फाइनल अकाउंट्स, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड हों, क्रेडिट के सबूत के तौर पर होने चाहिए।

ii. समर्थित दस्तावेज जमा करें।

**अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम
फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित**

B. बोलीकर्ता का विवरण

क्र.सं.	विवरण	बोलीकर्ता द्वारा भरा जाना है
1.	चाहे एकल स्वामित्व हो या साझेदारी, बोलीदाता हो या कंपनी	
2.	बोलीकर्ता के मालिक/पार्टनर/डायरेक्टर के नाम फोटो के साथ	(कृपया यहां अपनी तस्वीर लगाएं)
3.	बोलीकर्ता का पता	
	टेलीफोन /मोबाइल	
	ईमेल	
	फैक्स	

क्रमांक।	विवरण	बोलीकर्ता द्वारा भरा जाना है
1	बैंक का नाम	
2	शाखा पता	
3	IFSC कोड (कैंसल चेक भी साथ में दिया जा सकता है)	
4	टेलीफोन और फैक्स नंबर	
5	संपर्क व्यक्ति का नाम	
6	बोलीकर्ता को बैंक से मिली क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा की रकम	
7	वह अवधि जब से बोलीदाता बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा है	
8	बैंक अकाउंट नंबर (करंट अकाउंट होना चाहिए)	
9.	खाते का प्रकार	
10	खाताधारक का पूरा नाम	
11	स्थायी खाता संख्या (पैन)।	

मैं/हम इसके द्वारा सहमत हैं और कन्फर्म करते हैं कि कर्मचारियों की सैलरी सीधे NEFT के ज़रिए उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी और अगर ऊपर बताए गए काम हमारी फर्म/कंपनी को दिए जाते हैं, तो उनके लिए भी NEFT से पेमेंट स्वीकार करते हैं।

**अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम
फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित**

अनुलग्नक V

किसी शेड्यूल्ड बैंक से बैंकर्स सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का फॉर्म

(इसे टेंडर के साथ बैंकर द्वारा सील किए गए लिफाफे में बंद करके भेजना होगा)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार मेसर्स-..... जिनका पता नीचे दिया गया है, हमारे बैंक के एक सम्मानित ग्राहक हैं और उन्हें रु. (रुपये) की सीमा तक के किसी भी कार्य के लिए अच्छा माना जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बैंक या किसी भी अधिकारी पर किसी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जा रहा है।

(हस्ताक्षर)

कृते बैंक

टिप्पणी:

1. बैंकर्स सर्टिफिकेट बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, और सीलबंद लिफाफे में होना चाहिए और इसका पता होना चाहिए रीजनल डायरेक्टर, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, एस्टेट डिपार्टमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर-751001, ओड़िशा।
2. पार्टनरशिप के सफल बिडर के मामले में, बैंक में रिकॉर्ड किए गए सभी पार्टनर्स के नाम शामिल करने वाला सर्टिफिकेट।

अनुलग्नक VI

मैट्रिक्स की वृद्धि

टेंडर देने वालों से अनुरोध है कि वे नीचे दी गई जानकारी भरें।

क्रम संख्या	वृद्धि स्तर	व्यक्ति का नाम और पदनाम	पता	ईमेल आईडी	फ़ोन नंबर
2	जूनियर प्रबंधन				
3	माध्यमिक प्रबंधन				
4	उच्चतम प्रबंधन				

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक VII

A. पब्लिक इंस्टीट्यूशन/क्लाइंट द्वारा डिबारमेंट की घोषणा और कानूनी नियमों का उल्लंघन न करने के बारे में अंडरटेकिंग

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर- 751001

कार्य का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओडिशा के तीन (03) आवासीय कॉलोनीयों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ (आईएफएमएस)।

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हूँ कि
 - a) मैं/हम या हमारी किसी संबद्ध फर्म* को भारत में किसी भी स्थान पर या किसी अन्य देश में भारतीय रिज़र्व बैंक सहित किसी भी सार्वजनिक संस्था/इकाई द्वारा(बोली जमा करने की आखिरी दिनांक) तक प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।
 - b) मैंने/हमने या हमारी किसी संबद्ध फर्म* ने पिछले तीन वर्षों में (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) तक भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।
 - c) अगर मुझे/हमें या हमारी किसी जुड़ी हुई फर्म* को भारत या किसी दूसरे देश में किसी पब्लिक संस्था/एंटिटी द्वारा बताए गए काम के लिए काम मिलने पर या उससे पहले डिबार/सस्पेंड/ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो हम बैंक को लिखकर बता देंगे।
 - d) पिछले तीन वर्षों में ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, न्यूनतम मजदूरी, या अन्य भुगतानों जैसे वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन / कमी के लिए किसी भी प्राधिकरण / न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही लंबित या पारित आदेश नहीं है (बोली प्रस्तुत करने की आखिरी दिनांक) ।
 - e) पिछले तीन वर्षों में (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) तक करार की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले हमारे किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी करार को रद्द / त्याग नहीं किया है।
 - f) बिना किसी गैर-कानूनी/गैर-कानूनी कार्यों या फाइनेंशियल बैंकिंग फ्रॉड में शामिल हुए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड साफ रहा है। प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी के मामले में, बोलीकर्ता या प्रोप्राइटर/पार्टनर/डायरेक्टर के खिलाफ पुलिस/कोर्ट/रेगुलेटरी प्राधिकारी के पास हमारा कोई केस नहीं है, जिसमें ऊपर बताई गई बातें शामिल हों।

2. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हूँ/करते हूँ/हैं कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म*.....(संबद्ध फर्म(फर्मों का नाम) (भारत अथवा किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा वर्जित/निलंबित/काली सूची में डाला गया है और यह (दिनांक) तक प्रभावी है। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी एवं रिकार्ड के लिए संलग्न है।

(बोलीकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक

स्थान

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)

*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा अगर मैनेजमेंट कॉमन हो, या बैन/सस्पेंडेड फर्म के पास काफी या मेजोरिटी शेयर हों और इस वजह से उसका कंट्रोलिंग वॉइस हो। इसके अलावा, सभी सक्सेसर फर्मों को भी एलाइड फर्म माना जाएगा।

B. बोलीकर्ता देश द्वारा भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने के बारे में अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफिकेट

(बोलीकर्ता को अपने लेटर हेड पर सील और ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी के साइन के साथ जमा करना होगा)

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

भुवनेश्वर- 751001

कार्य का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओडिशा के तीन (03) आवासीय कॉलोनिजों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ (आईएफएमएस)

महोदय,

2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी और उसके बाद के आदेशों / संशोधन की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है, जो सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले एक देश के बोलीकर्ता से खरीद पर प्रतिबंधों के बारे में है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीकर्ता का नाम)

- i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
- ii. भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश से हो और सक्षम अधिकारी के पास रजिस्टर्ड हो, जिसका सर्टिफिकेट साथ में हो, या
- iii. भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश से हो, जहाँ भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन बढ़ाई है, या
- iv. यह भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश से है, जहाँ भारत सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है।

(ऊपर दिए गए में से जो भी लागू न हो उसे काट दें)।

3. मैं/हम यह भी सर्टिफाई करते हैं कि (बोलीकर्ता का नाम) इस बारे में सभी ज़रूरतें पूरी करता है और ऊपर बताए गए ऑफिस मेमोरेण्डम और उसके बाद के ऑर्डर/रिविज़न के तहत विचार किए जाने के लिए एलिजिबल है। मैं/हम यह भी वादा करता/करते हैं कि ऐसे संविदा के मामले में भी जहाँ हमें बैंक/RBI से सब-संविदा करने की इजाज़त है, मैं/हम (बोलीकर्ता का नाम) भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देशों के किसी संविदाकर्ता को कोई काम सब-संविदा नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा संविदाकर्ता ऊपर बताए गए ऑफिस मेमोरेण्डम/ऑर्डर में दी गई सभी ज़रूरतें पूरी नहीं करता/करती।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि, अगर हमारी तरफ से जमा किया गया यह अंडरटेकिंग / डिक्लेरेशन / सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे टेंडर / वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट / टर्मिनेट करने के लिए

आज़ाद होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी आज़ाद होगा, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट / परफॉर्मेंस बैंक गारंटी / सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करना और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा बुलाए गए टेंडर में भाग लेने से रोकना शामिल है।

फर्म के ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी के हस्ताक्षर और नाम, रबर स्टैम्प के साथ

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक VIII

सफल वेंडर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले और सप्लाई किए जाने वाले कंज्यूमेबल्स की एक इंडिकेटिव लिस्ट

A. मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग, प्लैट्स की सफाई और टॉयलेट, बाथरूम आदि की सफाई

क्रम संख्या	सफाई सामग्री का विवरण	ब्रांड/मेक	खपत की मात्रा (प्रति वर्ष)
1	बायो-डिग्रेडेबल गीला और सूखा कचरा बैग-छोटा (19" x 22") (30 लाइनर वाला एक पैकेट)-घर में रहने वालों के लिए	आईएसआई चिह्न	आवश्यकतानुसार
2	बायो-डिग्रेडेबल गीला और सूखा कचरा बैग-छोटा (19" x 22")-कॉमन एरिया	आईएसआई चिह्न	-वही-
3	बायो-डिग्रेडेबल गीला और सूखा कचरा बैग - बड़ा (30" x 40") कॉमन एरिया के लिए	आईएसआई चिह्न	-वही-
4	टॉयलेट बाउल और वॉश बेसिन क्लीनर	पर्यावरण-अनुकूल/हरित प्रमाणित	-वही-
5	शीशा साफ करने का सामान	पर्यावरण-अनुकूल/हरित प्रमाणित	-वही-
6	फ्लोर क्लीनर	पर्यावरण-अनुकूल/हरित प्रमाणित	-वही-
7	कालीन क्लीनर	पर्यावरण-अनुकूल/हरित प्रमाणित	-वही-
8	हाथ धोने का तरल साबुन	डायवर्स-सॉफ्ट केयर स्टार H100/डेटॉल/लाइफ-बॉय/समकक्ष	-वही-
9	बेगॉन स्प्रे (250ml)	बेगॉन या समकक्ष	-वही-
10	फर्श की सफाई करने वाला ब्रश (कॉयर)	पर्यावरण-अनुकूल/हरित प्रमाणित	-वही-
11	लिफ्ट फ्रेशनर (मशीन + रिफिल)	अंबीपुर या समकक्ष	-वही-
12	लिफ्ट फ्रेशनर रिफिल (7ml)	अंबीपुर या समकक्ष	-वही-
13	मूत्रालय स्क्रीन और नेफ़थलीन बॉल्स	डायवर्स टास्की या समकक्ष	-वही-
14	पीवीसी धूल कलेक्टर	मानक गुणवत्ता	-वही-
15	रूम फ्रेशनर	अंबीपुर /गोदरेज या समकक्ष	-वही-
16	टॉयलेट ब्रश (फर्श की सफाई)	मानक गुणवत्ता	-वही-

17	टॉयलेट ब्रश प्लास्टिक (आयताकार)-2.5'	मानक गुणवत्ता	-वही-
18	टॉयलेट ब्रश प्लास्टिक (गोल)-2.5'	मानक गुणवत्ता	-वही-
19	बर्तन ब्रश (स्टील)	मानक गुणवत्ता	-वही-
20	बर्तन ब्रश (नायलॉन)	मानक गुणवत्ता	-वही-
21	W/C पैन्स ब्रश 2.5' प्लास्टिक (गोल)	मानक गुणवत्ता	-वही-
22	वॉश बेसिन क्लीनिंग ब्रश (नायलॉन)	मानक गुणवत्ता	-वही-
23	डिटरजेंट पाउडर	मानक गुणवत्ता	-वही-
24	ब्लीचिंग पाउडर	मानक गुणवत्ता	-वही-
25	सफाई एसिड	मानक गुणवत्ता	-वही-
26	डस्टर क्लॉथ (2' * 2') साइज़	कपास	-वही-
27	गैमैक्सीन पाउडर	मानक गुणवत्ता	-वही-
28	ईंजी क्लीन रिफिल प्लस 50	मूल या समतुल्य	-वही-
29	ईंजी क्लीन मोप	रूट्स(R-50) या समकक्ष	-वही-
30	एयर फ्रेशनर (बड़ा)	ओडोनिल या समकक्ष	-वही-
31	फिनाइल (काला)	डॉक्टर या समकक्ष	-वही-
32	फिनाइल (श्वेत)	डॉक्टर या समकक्ष	-वही-
33	प्लास्टिक की बाल्टी 16 लीटर .	अंकुर/सुप्रीम या समकक्ष	-वही-
34	प्लास्टिक की बाल्टी 10 लीटर .	अंकुर/सुप्रीम या समकक्ष	-वही-
35	प्लास्टिक मग 1 लीटर .	अंकुर/सुप्रीम या समकक्ष	-वही-
36	पीला डस्टर 2'*2' (कांच की सफाई के लिए)	मानक गुणवत्ता	-वही-
37	स्टील आइटम क्लीनर	डायवर्सी टास्की या समकक्ष	-वही-
38	फर्नीचर पॉलिश तरल	डाइवर्सी टास्की R4 शाइन अप या समकक्ष	-वही-
39	खड़िका झाड़ू	मानक गुणवत्ता	-वही-
40	बाहरी स्थान के लिए हैंडल के साथ खड़िका झाड़ू ।	मानक गुणवत्ता	-वही-
41	पूरा झाड़ू (बड़ा)	मानक गुणवत्ता	-वही-
42	मच्छर स्प्रे (काला)	हिट या समकक्ष	-वही-
43	फ्लोर वॉटर वाइपर ब्रश (अच्छी क्वालिटी)	मूल या समतुल्य	-वही-
44	स्क्रबर नायलॉन	मानक गुणवत्ता	-वही-
45	स्क्रबर स्टील ऊन	मानक गुणवत्ता	-वही-
46	डस्ट बिन (मध्यम)-12"	नील कमल या समकक्ष	-वही-

47	कचरा टोकरी (बड़ी-60 लीटर) हरा और नीला	नील कमल या समकक्ष	-वही-
48	कचरा टोकरी (पैडल प्रकार) छोटा-9"	नील कमल या समकक्ष	-वही-
49	स्कोच ब्राइट - 4" * 4"	मानक गुणवत्ता	-वही-
50	हाथ के दस्ताने	मानक गुणवत्ता	-वही-
51	टॉयलेट पेपर रोल	मानक गुणवत्ता	-वही-
52	मच्छर भगाने वाली क्रीम/कॉइल-केयरटेकर रूम/जिम, आदि।	गुड नाइट / ऑल-आउट/समकक्ष	-वही-
53	आउटसोर्सिंग स्टाफ के लिए फेस मास्क	मानक गुणवत्ता	-वही-

B. संविदाकर्ता को बैंक के सभी रेजिडेंशियल एरिया में फ्लैट में रहने वाले सभी लोगों को बायो-डिग्रेडेबल गार्बेज बैग (गीले और सूखे दोनों तरह के इको-फ्रेंडली) (Annexure VIII - A में बताए गए साइज़ के अनुसार) हर महीने या जब ज़रूरत हो, सप्लाई करने होंगे, क्योंकि यह टेंडर के कंज्यूमेबल्स/ओवरहेड चार्ज में शामिल है। अगर एक पैकेट में 30 लाइनर हैं, तो वेंडर को साइट की ज़रूरत के हिसाब से तीनों रेजिडेंशियल कॉलोनियों में हर फ्लैट के लिए हर महीने दो पैकेट सप्लाई करने होंगे।

C. रोटरी फ़्लोर क्लीनिंग मशीन, स्क्रबर, इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर, स्वीपिंग मशीन आदि जैसी क्लीनिंग मशीनें सफल वेंडर द्वारा ज़रूरत पड़ने पर सभी जगहों पर दी जाएंगी। हालांकि, बैंक ऊपर दिए गए खर्च के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देगा, संविदाकर्ता कंज्यूमेबल और ओवरहेड्स में लगने वाले चार्ज शामिल कर सकता है।

D. पाइपलाइन

सभी ज़रूरी टूल्स और टैकल, बिब कॉक/एंगल कॉक/फ्लश कॉक के स्टैंडर्ड क्वालिटी वॉशर, टेफ्लॉन टेप और सभी टूल्स आदि, जैसा साइट पर ज़रूरी हो।

E. सेनेटरी

सभी ज़रूरी टूल्स और टैकल, स्टैंडर्ड क्वालिटी के खराब होने वाले सामान जैसे स्पन यार्न, पुट्टी, कॉटन थ्रेड, वॉशर आदि, जैसा साइट पर ज़रूरी हो।

F. पंप संचालन

सभी ज़रूरी टूल्स और टैकल, साइट पर ज़रूरत के हिसाब से सभी तरह के कंज्यूमेबल्स जैसे तेल, ग्रीस, कॉटन वेस्ट आदि की स्टैंडर्ड क्वालिटी।

G. बढ़ईगीरी और निर्माण

सभी ज़रूरी टूल्स और टैकल, स्टैंडर्ड क्वालिटी के टेप, नट, कील, बोल्ट, गलैंड/थिम्बल, लेड वायर आदि। काम पूरी ऊंचाई पर किया जाएगा; स्कैफोल्डिंग आदि के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया जाएगा।

H. विद्युत कार्य

सभी ज़रूरी टूल और टैकल, स्टैंडर्ड क्वालिटी का इस्तेमाल करने का सामान जैसे इलेक्ट्रिक टेप, कीलें, स्कू, PVC गट्टी, लकड़ी की गट्टी, 2.0 m लंबे तार आदि, जैसा साइट पर ज़रूरी हो।

I. बागवानी

साइट पर ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग टूल, टैकल, होज़ पाइप, हाथ से चलने वाला या पावर से चलने वाला लॉन घास काटने की मशीन, हेज कटर, प्रूनिंग लैडर आदि।

J. ओवरहेड्स

काम पर रखे गए लोगों की यूनिफॉर्म का खर्च, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, कचरा उठाना, ग्रीन वेस्ट को OWC यार्ड तक ले जाना, सुपरवाइजर का मोबाइल चार्ज और बाकी सभी ओवरहेड्स आदि।

यह लिस्ट पूरी नहीं है। टेंडर दस्तावेज में बताए गए कार्यों के दायरे में आने वाले सभी कार्यों को पूरा करने के लिए बैंक को ज़्यादा/कम मात्रा और किसी भी दूसरे सफाई के सामान/वस्तु की ज़रूरत हो सकती है।

नोट: ऊपर बताए गए कार्यों में रिपेयर/रिप्लेसमेंट/मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी कोई भी सामान बैंक सप्लाय करेगा, जिसका ज़िक्र टेंडर दस्तावेज में नहीं था। संविदा मिलने पर बैंक के अप्रूव्ड मेक/मॉडल सफल बिडर के साथ शेयर किए जाएंगे।

स्थान:

दिनांक:

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक IX
प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन प्रस्तुतियों से सभी को पता है, हम(बोलीकर्ता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्रीमान/सुश्री
..... (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) का गठन, नियुक्ति और प्राधिकरण करते हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और का पद धारण कर रहे हैं।

हमारे वकील के रूप में, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, " **बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और आरबीआई भुवनेश्वर, ओडिशा की तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाओं (आईएफएमएस) के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए।** भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए आइटम दर करार के आधार पर, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना और आरबीआई को सूचना / प्रतिक्रिया प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हमारे अटॉर्नी द्वारा कानूनी तौर पर किए गए सभी कार्यों, कार्यों और वस्तु को मंजूरी देने के लिए सहमत हैं और हमारे ऊपर बताए गए अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्यों, कार्यों और वस्तु को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

टिप्पणी:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से स्टैम्प और नोटराइज़ होना चाहिए।

दिया गया पावर ऑफ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल होगा।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

बोलीकर्ता की मुहर/सील

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का साइन होगा जिसके साइन और प्राधिकारी को वेरिफाई किया जाएगा)।

अनुलग्नक X
01 अक्टूबर, 2025 से मिनिमम वेज (सेंट्रल) और लागू कानूनी कॉम्पोनेंट (फिक्स्ड कॉम्पोनेंट)
के आधार पर वेज की अनुमानित लागत

श्रम घटक-निश्चित						
क्र.सं.	विवरण	वर्ग	संख्या	न्यूनतम मजदूरी	कार्य के दिन	वेतन
1	गैर-तकनीकी पर्यवेक्षक	अत्यधिक कुशल	4	981	312	12,24,288.00
2	तकनीकी पर्यवेक्षक	अत्यधिक कुशल	4	981	312	12,24,288.00
3	प्लंबर	कुशल	4	893	312	11,14,464.00
4	बढ़ई	कुशल	4	893	312	11,14,464.00
5	फ्रेब्रिकेटर	कुशल	2	893	312	5,57,232.00
6	इलेक्ट्रीशियन	कुशल	7	893	365	22,81,615.00
7	इलेक्ट्रीशियन	कुशल	3	893	312	8,35,848.00
8	प्लंबर का हेल्पर	अर्द्ध कुशल	4	760	312	9,48,480.00
9	बढ़ई का सहायक	अर्द्ध कुशल	4	760	312	9,48,480.00
10	निर्माता का सहायक	अर्द्ध कुशल	2	760	312	4,74,240.00
11	पंप ऑपरेटर	अर्द्ध कुशल	4	760	365	11,09,600.00
12	इलेक्ट्रीशियन का हेल्पर	अर्द्ध कुशल	7	760	365	19,41,800.00
13	इलेक्ट्रीशियन का हेल्पर	अर्द्ध कुशल	2	760	312	4,74,240.00
14	बागवानी श्रमिक	अर्द्ध कुशल	8	760	312	18,96,960.00
15	बागवानी श्रमिक	अकुशल	11	674	312	23,13,168.00
16	तीन रेजिडेंशियल कॉलोनियों के लिए	अकुशल	19	674	365	46,74,190.00

	मैटेनेंस/HK वर्कर्स।					
17	फ्लैटों की सफाई के लिए कर्मचारी	अकुशल	4	674	312	8,41,152.00
18	टॉयलेट/बाथरूम आदि की सफाई के लिए वर्कर।	अकुशल	5	674	312	10,51,440.00
19	कुल न्यूनतम मजदूरी					2,50,25,949.00
20	तय नियमों के मुताबिक, एलिजिबल मैनपावर पर 8.33% का बोनस					13,88,923.38
21	तय नियमों के मुताबिक, एलिजिबल मैनपावर पर 13% की दर से PF					22,93,200.00
22	तय नियमों के मुताबिक, योग्य लोगों पर ESIC @ 3.25%					5,41,896.88
23	जीएसटी को छोड़कर कुल मजदूरी					2,92,49,969.25
24	क्रमांक 23 पर 18% जीएसटी					52,64,994.47
25	कुल मजदूरी श्रम घटक-निश्चित (जीएसटी सहित) {क्रमांक 23+ क्रमांक 24}					3,45,14,963.72

अनुलग्नक XI
वेतन के अनुपालन पर वचन

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर- 751001

मैं/हम पूरी ईमानदारी से यह वादा करता/करती हूँ कि:

मैं /हम उनके द्वारा तैनात मैनेजर को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वैधानिक भुगतानों जैसे न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआई, बोनस आदि (जैसा कि अनुलग्नक X में विस्तृत है) के अनुसार मजदूरी का भुगतान करेंगे।

ii. मैं/हम असल में बैंक से रीइंबर्समेंट के लिए मजदूरी और दूसरे सभी कानूनी बकायों के पेमेंट का सबूत पेश करूंगा/करूंगी।

श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में किसी भी संशोधन के बारे में अधिसूचना बैंक से प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत करूंगा / करेंगे।

स्थान:

दिनांक:

**अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम
फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित**

अनुलग्नक XII
सुरक्षा कोड के पालन पर वचन

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर- 751001

मैं/हम नीचे दिए गए सेफ्टी कोड मानने के लिए सहमत हूँ/हैं:

- i. मैं/हम टेंडर और इंडियन स्टैंडर्ड्स में बताए गए सेफ्टी नियमों का पालन करेंगे। यह अपने कर्मचारियों को काम के हिसाब से बैंक के बताए अनुसार ज़रूरी सेफ्टी उपकरण देगा। सेफ्टी खंड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी मॉडल सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
- ii. फर्स्ट-एड के सामान/किट, स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई, आसानी से मिलने वाली स्थान पर रखी जानी चाहिए।
- iii. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए पब्लिक हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
- iv. कोई भी व्यक्ति जो ड्यूटी पर शराब या किसी नशीली दवा के नशे में पाया जाता है, वह ड्यूटी के लिए अयोग्य है और उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- v. जिन ग्रीन एरिया में AMC का काम होना है, वहां ज़हरीले रेग्डल और कीड़े हो सकते हैं। सफल बिडर को पूरे संविदा पीरियड के दौरान एक्सीडेंट रोकने के लिए बहुत ध्यान रखना होगा।
- vi. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए काम करने वालों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।
- vii. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा मज़दूर लगाया जाएगा।
- viii. खोदा हुआ सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई की स्थान की कम से कम ऊंचाई एक मीटर होनी चाहिए।
- ix. किसी बिल्डिंग या वर्किंग प्लेटफॉर्म के फर्श में हर खुली स्थान पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही फेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।

- x. किसी भी फ़र्श, छत या स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर इतना ज़्यादा मलबा या सामान नहीं होना चाहिए कि वह अनसेफ हो जाए।
- xi. मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव फुटवियर और रबर हैंड-ग्लव्स दिए जाएंगे।
- xii. वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और दस्ताने दिए जाएंगे।
- xiii. लेड या लेड प्रोडक्ट्स वाला कोई भी पेंट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिवाय पेस्ट या रेडीमेड पेंट के।
- xiv. जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो काम करने वालों के इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाने चाहिए।
- xv. काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और टैकल, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होने चाहिए।
- xvi. सामान को ऊपर उठाने या नीचे करने या लटकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की और सही मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।

स्थान:

दिनांक:

**अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम
फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित**

भाग- II (मूल्य बोली)

ई-निविदा संख्या: **RBI/Bhubaneswar Regional Office/Estate/33/25-26/ET/682**

(मात्राओं की अनुसूची)

(प्राइस यहां कोट नहीं किया जाना चाहिए और इसे केवल MSTC पोर्टल पर ऑनलाइन कोट किया जाना चाहिए)

संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे साइट विज़िट के बाद पार्ट-I में बताई गई शर्तों और काम के डिटेल्ड स्कोप को कन्फर्म करते हुए अपने रेट बताएं।

फर्म का नाम और पता :

नोट: MSTC पोर्टल में प्राइस बिड भरने से पहले कृपया पार्ट II के टर्म्स कंडीशंस और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन्स पढ़ें।

आरबीआई भुवनेश्वर, ओडिशा के बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और तीन (03) आवासीय कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाओं (आईएफएमएस) के लिए करार देने हेतु निविदा " हेतु ई-निविदा

गैर- श्रम घटक [परिवर्तनीय घटक]

बोली लगाने वाला अपनी मनचाही रकम सिर्फ MSTC की वेबसाइट पर बता सकता है।

आइटम ए	12 महीनों के लिए कंज्यूमेबल्स और ओवरहेड्स की लागत टेंडर के अलग-अलग हिस्सों में बताए गए कार्यों को पूरा करने के लिए FTU पर अलग-अलग साइज़ के ग्रीन सर्टिफाइड/इको-फ्रेंडली सफाई के प्रोडक्ट और मटीरियल और बायो-डिग्रेडेबल/इको-फ्रेंडली कचरा बैग/मशीनरी/टूल/दूसरे ऐसे कंज्यूमेबल्स की सप्लाई का खर्च, लगे हुए लोगों के लिए यूनिफॉर्म (गर्मी और सर्दी) का खर्च, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च (जिसमें OWC, SQBM से ग्रीन कचरा/खाद लाना-ले जाना शामिल है), BMC के बताए गए जगहों पर हफ्ते में कम से कम दो/तीन बार कचरा उठाना, सुपरवाइजर का मोबाइल चार्ज और कंज्यूमेबल्स के मुनाफे सहित दूसरे सभी ओवरहेड खर्च। नोट: बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस आइटम के लिए कोटेशन देने से पहले एनेक्सर VIII देखें और साइट की कंडीशन से खुद को परिचित करने के लिए सभी जगहों पर जाएं। हालांकि, बोलीकर्ताओं अपने असेसमेंट के अनुसार कोई भी नॉन-ज़ीरो अमाउंट कोट करने के लिए आज़ाद हैं। कंज्यूमेबल्स और ओवरहेड्स की ज़ीरो कॉस्ट कोट करने वाले बोलीकर्ताओं को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।	कृपया MSTC वेबसाइट पर GST को छोड़कर प्रत्येक वर्ष (12 महीने) का रेट बताएं।
-----------	---	--

आइटम बी	प्रति वर्ष लाभ/सेवा शुल्क (12 महीने) बोलीकर्ता को प्रत्येक वर्ष (12 महीने) का प्रॉफिट/सर्विस चार्ज, GST को छोड़कर, बताना होगा। रु. में (प्रतिशत में नहीं) क्रम संख्या – 23 (GST को छोड़कर कुल मज़दूरी) में बताई गई कुल मिनिमम मज़दूरी के 3.00 प्रतिशत या उससे ज़्यादा प्रॉफिट/सर्विस चार्ज बताना होगा, जो रु.8,77,500/- (राउंड ऑफ़) होता है। संविदाकर्ता के प्रॉफिट/सर्विस चार्ज को रु.8,77,500/- से कम बताने वाली बिड्स को बिना कोई कारण बताए रिजेक्ट कर दिया जाएगा।	कृपया MSTC वेबसाइट पर GST को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष (12 महीने) रुपये में रकम बताएं।
कुल योग (आइटम A + आइटम B) दो डेसिमल तक राउंड ऑफ)	-करना-	

नियम और शर्तें और ज़रूरी निर्देश

- A. MOP और तीन रेजिडेंशियल कॉलोनिजों में लगे लेबर कंपोनेंट के रेट बताने के लिए प्राइस बिड में कोई प्रोविज़न नहीं होगा। हालांकि, वेंडर अपने द्वारा लगाए गए मैनपावर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा समय-समय पर तय किए गए प्रोविज़न/कानून/एक्ट/टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार सैलरी देगा, जैसे मिनिमम वेज, EPF, ESI, बोनस आदि (जैसा कि **एनेक्सर X में डिटेल में बताया गया है**)। लेबर/वर्कफोर्स (लेबर कंपोनेंट) की फिक्स्ड कॉस्ट, पेमेंट का प्रूफ दिखाने पर असल बेसिस पर रीइंबर्स की जाएगी, जो स्टैच्युटरी रेट्स के अनुसार होगा। अगर कोई स्टैच्युटरी पेमेंट किसी वेंडर या लेबर कैटेगरी के लिए लागू नहीं है, तो उसे रीइंबर्स नहीं किया जाएगा, भले ही उसका ज़िक्र प्राइस बिड में किया गया हो।
- B. प्राइस बिड (पार्ट II) के आइटम A में बताए गए कंज्यूमेबल्स और ओवरहेड्स की कॉस्ट के लिए ज़ीरो अमाउंट कोट करने वाले बोलीकर्ताओं को बिना कोई कारण बताए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत कम/ज़्यादा रेट्स के मामले में बैंक वेंडर से रेट एनालिसिस और जस्टिफिकेशन मांगेगा (- / + कंज्यूमेबल्स और ओवरहेड्स के लिए बैंक की अनुमानित कीमत का 25%) और सही कारण मिलने पर ही बैंक काम देगा। बताए गए रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा।
- C. क्रम संख्या – 23 (GST को छोड़कर कुल मज़दूरी) में बताई गई कुल मिनिमम मज़दूरी के 3.00 प्रतिशत या उससे ज़्यादा प्रॉफिट/सर्विस चार्ज बताना होगा, जो रु.8,77,500/- (राउंड ऑफ़) होता है। इस रकम अर्थात रु.8,77,500/- से कम संविदाकर्ता के प्रॉफिट/सर्विस चार्ज बताने वाली बिड बिना कोई कारण बताए रिजेक्ट कर दी जाएगी।
- D. बैंक सिर्फ वेंडर द्वारा अपने कर्मचारियों को एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस (ESI), एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) [और मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज] के लिए किए गए मौजूदा मिनिमम कानूनी ज़रूरी पेमेंट का ही पेमेंट करेगा, जैसा लागू हो।
- E. मिनिमम सैलरी रेट (प्लस VDA) चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) के जारी नोटिफिकेशन के हिसाब से कैलकुलेट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 01 अक्टूबर, 2025 से लागू।

- F. EPF (एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड) में कंटीब्यूशन नए नियमों और रेगुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। संविदाकर्ता द्वारा दिया गया एम्प्लॉयर कंटीब्यूशन, असली डॉक्यूमेंट्री सबूत दिखाने पर बैंक द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
- G. अगर किसी मज़दूर की मज़दूरी किसी भी महीने ₹21,000/- से ज़्यादा नहीं है, तो ESIC (एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) में कंटीब्यूशन, जैसा लागू हो, संविदाकर्ता द्वारा भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में, संविदाकर्ता द्वारा दिया गया एम्प्लॉयर का कंटीब्यूशन (3.25%), असली डॉक्यूमेंट्री सबूत दिखाने पर बैंक द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
- H. ठेकेदार को संबंधित अधिनियमों, कानूनों आदि के तहत देय बोनस का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान किया गया बोनस वास्तविक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिनियमों, कानूनों आदि के अनुसार बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा।
- I. एजेंसी को कानूनी बकाया और तैनात मैनपावर को उनके बैंक अकाउंट में किए गए पेमेंट के प्रूफ की कॉपी जमा करनी होगी और इसे महीने के बिल के साथ जमा करना होगा।
- J. बिड लगाने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉफ़िट/सर्विस चार्ज बताते समय उन्हें अपने तैनात स्टाफ़ से काम करवाने के लिए मैनेजरियल सुपरवाइज़री/एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देने पर होने वाला सारा खर्च शामिल करना चाहिए।
- K. बोलीकर्ता को मात्रा की सच्चाई के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा। एजेंसी टेंडर जमा करने से पहले काम की मात्रा जानने के लिए साइट पर जा सकती है।
- L. पार्ट-II अर्थात प्राइस बिड के साथ कोई एनक्लोजर नहीं लगाना चाहिए।
- M. पार्ट-II में कोई भी शर्त, अलग से कंडीशनल नोट आदि नहीं जोड़े जाने चाहिए।
- N. कृपया MSTC पोर्टल पर दिए गए फ़ॉर्मेट का ही इस्तेमाल करें।
- O. ऊपर बताई गई टोटल बिड अमाउंट के अलावा बैंक कोई और चार्ज नहीं देगा।
- P. टोटल बिड प्राइस डेसिमल के दो प्लेस तक कोट किया जाना चाहिए।
- Q. बिड लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्राइस बिड जमा करने से पहले साइट पर जाकर साइट की कंडीशन जान लें / काम का स्कोप समझ लें।
- R. टेक्निकल बिड (पार्ट-I) में बताए गए सभी नियम और शर्तें प्राइस बिड का हिस्सा होंगी। इसलिए, बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने रेट उसी हिसाब से बताएं।

स्थान:

दिनांक:

**अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम
फर्म/बोलीदाता का कार्यालय मुहर सहित**

अगर इस निविदा का हिंदी अनुवाद अंग्रेजी रूपांतरण के साथ मेल न खाता हो या उसमें अधिक शर्तें दी गई हो अथवा वह अंग्रेजी रूपांतरण से भिन्न हो तो, अंग्रेजी रूपांतरण अभिभावी माना जाएगा।

If Hindi translation of this tender conflicts with the English version or contains terms in addition to or different from the English version, the English version shall prevail.